

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश, भोपाल**  
**(शाखा-भू-प्रबंध)**

**सी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं.-2, तुलसी नगर, भोपाल, म0प्र0 - 462003**

क्रमांक/ F-1/FP/MP/MIN/33660/2018/2320  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19-9-25

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)  
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
इंदिरा पर्यावरण भवन,  
अलीगंज, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली-110003

**विषय:-** सतना वनमण्डल के परिक्षेत्र मझगंवा के ग्राम-पिपरीटोला के कक्ष PF-870 (नया) रकबा 4.600 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि में ओपन कास्ट पद्धति से ओकर व्हाइट क्ले, लेटराइट खनिज उत्खनन नवीनीकरण हेतु श्री शरद बंसल को उपयोग पर देने बावत। ऑनलाईन प्रस्ताव क्र- FP/MP/MIN/33660/2018

**संदर्भ:-** भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 6-MPC066/2018-BHO दिनांक 16.01.2025


--0--

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई 06 बिन्दुओं की जानकारी संबंधितों से प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नानुसार प्रेषित है :-

स.क्र.	चाही गई जानकारी	प्रस्तुत जानकारी
i	The chronology of the project with details of events along with the relevant enclosures are required for complete understanding of the instant proposal.	इस बिन्दु के संबंध में आवेदक संस्थान द्वारा प्रकरण से संबंधित समस्त Chronology सहपत्रों सहित परिशिष्ट-1 (पृ0-1 से 43) के रूप में संलग्न की गई है।
ii	As per the provisions under Van (Sanrakshn Evam Samvardhan Adhinyam), 1980 it has been mentioned that all mining projects for which diversion of forest land have been approved before 27.05.2015, the UA should have obtained approval of forest land in the safety zone. However, to enable various user agencies to obtain approval of safety zone, an opportunity was given by the Ministry for the user agencies to deposit NPV (for forest area located in the safety zone) by 31.03.2023 along with simple interest of 12% w.e.f. 1.04.2018 onwards till the deposit is made and to obtain approval under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhinyam, 1980 for diversion of forest area located in the safety zone by 30.09.2023. The status of safety zone in the instant proposal along with compliance as per the guidelines as mentioned above needs submission. Further, the user agency has not mentioned the safety zone area in component wise break-up in online Part-I and the KML file of safety zone has not been uploaded.	इस बिन्दु के संबंध में लेख है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के पत्र दिनांक 19.12.2002 को 8.0 हेक्टेयर वनक्षेत्र में खनन हेतु अनुमति दी गई थी, जिसे भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 21.07.2009 में संशोधित कर 4.6 हेक्टेयर किया गया है। भारत सरकार के स्वीकृति आदेश परिशिष्ट-2 एवं 3 पर संलग्न है। इस खदान का सेप्टी जोन 0.802 हेक्टेयर है तथा यह 0.802 हेक्टेयर इसी 4.6 हेक्टेयर स्वीकृत क्षेत्र में सम्मिलित है। सेप्टी जोन स्वीकृत 4.6 हेक्टेयर क्षेत्र के बाहर नहीं है। अतः सेप्टी जोन का NPV भुगतान पूर्व में ही किया जा चुका है। सेप्टी जोन दर्शाने वाली KML फाईल को प्रस्ताव के भग-1 में बिन्दु क्रमांक C(a) में अपलोड कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त Component wise breakup भी बिन्दु क्रमांक B-2.4 में सुधार कर दिया गया है, जो परिशिष्ट-4 पर संलग्न है। अतः प्रस्ताव में उल्लेखित सम्पूर्ण 4.6 हेक्टेयर वनभूमि की NPV पूर्व से ही जमा की जा चुकी है, जिसका विवरण परिशिष्ट-5 एवं 6 पर संलग्न है।

iii	<p>The Chapter-7, Para 7.8 (i) (e) issued under Consolidated Guidelines and Clarifications on Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 says that "any proposal for diversion of forest for mining involving any forest land in respect of which diversion has been approved earlier will invariably be submitted along with the present status of compliance of the conditions of all previous FCs duly certified by the concerned Regional Officer of the MoEF&amp;CC and the same needs submission. The State Govt. shall provide the detailed compliance report to the concerned Regional Office for further needful in this regard.</p>	<p>भारत सरकार द्वारा दिनांक 19.12.2002 से जारी स्वीकृति तथा संशोधित आदेश दिनांक 21.07.2009 में उल्लेखित शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रस्ताव के भाग-1 में बिन्दु A-5 पर अपलोड है। पालन प्रतिवेदन की प्रति पुनः परिशिष्ट-7 एवं 8 के रूप में संलग्न है।</p>
iv	<p>The mining lease has been extended over an area of 8 ha though the user agency has already surrendered an area of 3.4 ha. This needs clarification wrt the area for which the mining lease is valid.</p>	<p>वन भूमि के स्वीकृत खनिपट्टा 8.0 हेक्टेयर क्षेत्र में पूर्व में वन विभाग एवं खनिज साधन विभाग द्वारा स्वीकृत प्रदान की गई थी। स्वीकृत खनिपट्टा क्षेत्र 8.0 हेक्टेयर में से वन विभाग द्वारा वर्ष 2009 में 3.4 हेक्टेयर क्षेत्र पर समर्पण स्वीकार कर शेष बचे 4.6 हेक्टेयर क्षेत्र पर सीमांकन कर उत्खनन की अनुमति दी गई थी। (3.4 हेक्टेयर वनक्षेत्र वन विभाग को सौंप दिया गया था तथा वन विभाग के आधिपत्य में है) प्रार्थी द्वारा 4.6 हेक्टेयर क्षेत्र पर ही खनिपट्टा का नवकरण चाहा गया। इस 4.6 हेक्टेयर क्षेत्र से ही उत्खनन कार्य किया जायेगा, जो परिशिष्ट-9 पर संलग्न है। भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 12.01.2015 के अनुसार खनिपट्टा की अवधि 50 वर्ष मान्य है। अतः भारत सरकार द्वारा इस खदान की FCA 1980 के तहत स्वीकृति प्राप्त होने पर खदान 2054 तक प्रभावशील रहेगी।</p>
v	<p>The user agency reported that 0.028 ha forest land is required for approach road for which an approach road with a width of 5.7 feet has been proposed whereas the historical satellite imagery shows that an approach road approx. 14 feet (width) is in existence. This needs clarification with regard to the actual area under the use of this road.</p>	<p>इस खदान के लिये 4 मीटर चौड़ी तथा 145 मीटर लम्बी निकासी मार्ग की आवश्यकता है, जिसका कुल रकबा 0.058 हेक्टेयर होता है। इस 0.058 हेक्टेयर की KML File प्रस्ताव के भाग-1 में बिन्दु क्रमांक C(a) एवं बिन्दु क्रमांक B 24 पर अपलोड कर दी गई है, जो परिशिष्ट-10 पर संलग्न है।</p>
vi	<p>Compensatory afforestation has been proposed over degraded forest land comprising an area of 8 ha owing to failed plantation work carried out earlier over the non-forest land comprising an area of 8 ha. However, the State Govt. has not uploaded/ submitted the KML file of degraded forest land identified and proposed for CA. Further, it may be clarified that why the plantation is being proposed on degraded forest land and not on the same non-forest land. The State Govt. is requested to comment on the sit suitability of the non forest land identified earlier of CA plantation.</p>	<p>बिन्दु क्रमांक 6 के पालन में प्रकरण में आवेदक संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गई गैर वनभूमि ग्राम नयागांव की आराजी नम्बर 96/1 रकबा 8.00 हेक्टेयर है। वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाये जाने पर पूर्व में रोपण कार्य किया गया था। उक्त प्रदाय की गई गैर वनभूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के तहत अधिसूचना क्रमांक डी-594-90-03-दस-तीन 17 फरवरी 2003 राजपत्र प्रकाशन दिनांक 28 फरवरी 2003 से संरक्षित वन घोषित किया जा चुका है, जिसका वर्तमान में वन कक्ष क्रमांक पी-868 है। इस प्राप्त पूर्व गैर वनभूमि पर पुनः रोपण योजना तैयार की गई है, जो संरक्षित वन घोषित होने से वनभूमि हो चुकी है। प्राप्त गैर वनभूमि (वर्तमान संरक्षित वन) की KML File पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। (उपयुक्तता प्रमाण एवं रोपण योजना की छायाप्रति संलग्न है, जो परिशिष्ट-12 पर संलग्न है)</p>

उपरोक्तानुसार प्राप्त जानकारी अनुशंसा सहित संलग्न प्रेषित कर अनुरोध है कि प्रकरण में भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करे।  
संलग्न:-उपरोक्तानुसार।



(एच.एस.मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक ०९-०९-२५


पृ० क्रमांक// F-1/FP/MP/MIN/33660/2018/ 2321

प्रतिलिपि-

1. उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं.-3, ई-5, रविशंकर नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर भारत सरकार को प्रेषित जानकारी की प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, रीवा वृत्त, रीवा, मध्यप्रदेश।
3. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, सतना, मध्यप्रदेश।
4. श्री शरद बंसल, मु.पो. जैतवारा, जिला-सतना, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न-उपरोक्तानुसार (अनुक्रमांक-1 हेतु)



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल



# कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, वनमण्डल सतना, मध्य प्रदेश

(मुख्यारगंज रेल्वे फाटक के पास सिबिल लाईन सतना)

E-mail-[dfotsatna@mp.gov.in](mailto:dfotsatna@mp.gov.in)

Phone- 07672-223355

कमांक / मा0चि0 / 7335  
प्रति,

सतना, दिनांक / 11 / 8 / 2025

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
(भू-प्रबंध)  
वन भवन, भोपाल

विषय:-वनमण्डल सतना के परिक्षेत्र मझगवां ग्राम पिपरीटोला के वन कक्ष कमांक पीएफ-870 के रकवा 4.600 हेक्टेयर वनभूमि में ओपन कास्ट पद्धति से ओकर, व्हाइट क्ले, लेटराइट खनिज उत्खनन नवीनीकरण का श्री शरद कुमार बंसल, सतना के व्यपवर्तन का ऑन लाईन प्रस्ताव कमांक FP/MP/MIN/33660/2010

- संदर्भ:-1. आपका पत्र कमांक/211 दिनांक 17.01.2025  
2. मुख्य वन संरक्षक, रीवा पत्र कमांक/मा0चि0/561 दिनांक 24.01.2025  
3. आवेदक शरद कुमार बंसल, जैतवारा, सतना का आवेदन दिनांक 14.07.2025

000

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र से प्रकरण में भारत सरकार के पत्र दिनांक 16.01.2025 से 6 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

संदर्भित पत्र कमांक 03 से आवेदक संस्था द्वारा बिन्दु कमांक 01 से 05 तक की जानकारी प्रस्तुत की गई है, जो संलग्न है तथा बिन्दु कमांक 06 निम्नानुसार है-

क्र0	चाही गई जानकारी के बिन्दु	पालन प्रतिवेदन
6	Compensatory afforestation has been proposed over degraded forest land comprising an area of 8 ha owing to failed plantation work carried out earlier over the non-forest land comprising an area of 8 ha. However, the State Govt. has not uploaded/submitted the KML file of degraded forest land identified and proposed for CA. Further, it may be clarified that why the plantation is being proposed on degraded forest land and not on the same non-forest land. the State Govt. is requested to comment on the suitability of the non forest land identified earlier of CA plantation.	बिन्दु कमांक 6 के पालन में प्रकरण में आवेदक संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गई गैर वनभूमि ग्राम नयागांव की आराजी नम्बर 96/1 रकवा 8.00 हे0 है। वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाये जाने पर पूर्व में रोपण कार्य किया गया था। उक्त प्रदाय की गई गैर वनभूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के तहत अधिसूचना कमांक डी-594-90-03-दस-तीन 17 फरवरी 2003 राजपत्र प्रकाशन दिनांक 28 फरवरी 2003 से संरक्षित वन घोषित किया जा चुका है, जिसका वर्तमान में वन कक्ष कमांक पी-868 है। इसी प्राप्त पूर्व गैर वनभूमि पर पुनः रोपण योजना तैयार की गई है, जो संरक्षित वन घोषित होने से वनभूमि हो चुकी है। प्राप्त गैर वनभूमि (वर्तमान संरक्षित वन) की के0एम0एल0 फाइल पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। (उपयुक्तता प्रमाण एवं रोपण योजना की छायाप्रति संलग्न है) प्रपत्र-12



*Minis*

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)

अतएव प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उठाई गई 6 बिन्दुओं की आपत्ति की पूर्ति कर आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत संदर्भित पत्र मय संलग्नक सहित आपकी ओर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

वनमण्डल अधिकारी  
वनमण्डल सतना

पृष्ठांकन/मा0चि0/7336  
प्रतिलिपि,

सतना, दिनांक/11/8/2025

1. मुख्य वन संरक्षक, रीवा वृत्त रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
2. श्री शरद कुमार बंसल, ग्राम/पोस्ट जैतवारा, जिला सतना की ओर सूचनार्थ।

वनमण्डल अधिकारी  
वनमण्डल सतना

प्रेषक - शरद कुमार बंसल  
पो. जैतवारा, जिला सतना (म.प्र.)

दिनांक : 14/07/2025

प्रति,

✓ श्री मान वनमंडल अधिकारी महोदय  
वन मण्डल सतना  
जिला सतना (म.प्र.)

विषय : वन मंडल सतना के परिक्षेत्र मझगवां ग्राम पिपरीटोला के वन कक्ष क्रं. पी.-870 के रकवा 4.600 हेक्टेयर वनभूमि में ओपन कास्ट से ओकर, व्हाइटक्ले, लेटराइट खनिज उत्खनन नवीनीकरण का श्री शरद कुमार बंसल, सतना के व्यपवर्तन का आन लाइन प्रस्ताव क्र. FP/MP/MIN/33660/2010.

सन्दर्भ : प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) वन भवन, तुलसी नगर म.प्र. भोपाल के पत्र क्रं. एफ-1/FP/MIN/33660/2018/211 दिनांक 17.01.2025.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्र. FP/MP/MIN/33660/2018 दिनांक 16.01.2025 द्वारा चाही गई जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

D.F.O.

बिंदु क्र. 1 :-

14/07

प्रकरण से संबंधित समस्त Chronology सह पत्रों के साथ संलग्न प्रेषित है।  
प्रपत्र - 1 (परिशिष्ट P-1 से परिशिष्ट P-43 तक)

बिंदु क्र. 2 :-

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा अपने पत्र दिनांक 19.12.2002 को 8.0 हे. वनक्षेत्र में खनन हेतु अनुमति दी गई थी। जिसे दिनांक 21.07.2009 में संशोधित कर 4.6 हे. किया गया। संलग्न प्रपत्र -2 एवं 3

इस खदान का सेप्टी जोन 0.802 हे. है तथा यह 0.802 हे. इसी 4.6 हे. स्वीकृत क्षेत्र में सम्मिलित है। सेप्टी जोन स्वीकृत 4.6 Ha. क्षेत्र के बाहर नहीं है। अतः सेप्टी जोन का NPV भुगतान पूर्व में ही किया जा चुका है।

सेप्टी जोन दर्शाने वाली KML फाइल को प्रस्ताव के भाग-1 में बिंदु क्र. C (a) में अपलोड कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त Component wise breakup में भी बिंदु क्र. B 24 में सुधार कर दिया गया है। संलग्न प्रपत्र -4

अतः प्रस्ताव में उल्लेखित सम्पूर्ण 4.6 हे. वनभूमि की NPV पूर्व से ही जमा की जा चुकी है। संलग्न प्रपत्र- 5 एवं 6



बिंदु क्र. 3 :-

भारत सरकार द्वारा दिनांक 19.12.2002 से जारी स्वीकृति तथा संशोधित आदेश दिनांक 21.07.2009 में उल्लेखित शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रस्ताव के भाग-1 में बिंदु A-5 पर अपलोड है। पालन प्रतिवेदन की प्रति पुनः संलग्न है। प्रपत्र- 7 एवं 8

बिंदु क्र. 4 :-

वन भूमि के स्वीकृत खनिपट्टा 8.0 हे. क्षेत्र में पूर्व में वन विभाग एवं खनिज साधन विभाग द्वारा स्वीकृत प्रदान की गई थी। स्वीकृत खनिपट्टा क्षेत्र 8.0 हे. में से वन विभाग द्वारा वर्ष 2009 में 3.4 हे. क्षेत्र पर समर्पण स्वीकार कर शेष बचे 4.6 हे. क्षेत्र पर सीमांकन कर उत्खनन की अनुमति दी गई थी (3.4 हे. वनक्षेत्र वन विभाग को सौंप दिया गया था तथा यह वन विभाग के अधिपत्य में है) प्रार्थी द्वारा 4.6 हे. क्षेत्र पर ही खनिपट्टा का नवकरण चाहा गया है। इस 4.6 हे. क्षेत्र से ही उत्खनन कार्य किया जायेगा। संलग्न प्रपत्र -9

भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 12.01.2015 के अनुसार खनिपट्टा की अवधि 50 वर्ष मान्य है। अतः भारत सरकार द्वारा इस खदान की FCA 1980 के तहत स्वीकृति प्राप्त होने पर खदान 2054 तक प्रभावशील रहेगी।

बिंदु क्र. 5 :-

इस खदान के लिए 4 मी. चौड़ी तथा 145 मी. लम्बी निकासी मार्ग की आवश्यकता है। जिसका कुल रकवा 0.058 हे. होता है। इस 0.058 हे. की KML File प्रस्ताव के भाग-1 में बिंदु क्र. C(a) एवं बिंदु क्र. B 24 पर अपलोड कर दी गई है। संलग्न प्रपत्र -10

बिंदु क्र. 6 :-

प्रस्ताव में आवेदक संस्था द्वारा उपलब्ध छतिपूर्ति वनीकरण हेतु 8.0 हे. गैर वनभूमि ग्राम नयागांव खसरा न. 96/1 परिक्षेत्र मझगां वन मंडल सतना को उपलब्ध करवाई जा चुकी है तथा रोपण की राशि भी जमा करवा दी गई है। KML File भाग-1 के कालम क्र. L में अपलोड कर दी गई है, इस बिंदु का संबंध वन विभाग से है। संलग्न प्रपत्र - 11

अतः उपरोक्तानुसार चाही गई समस्त जानकारी सहपत्रों सहित संलग्न प्रेषित है। कृपया अतिशीघ्र स्वीकृत आदेश जारी करने की कृपा करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

भवदीय



**Sharad Kumar Bansal**

P.O. JAITWARA

Dt. Satna (M.P.) Pin-485 221

सन्दर्भ : भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (फ़ॉरेस्ट कंजर्वेशन डिवीजन) जोर बाग रोड नई दिल्ली के पत्र दिनांक 16.01.2025.

**बिंदु क्रमांक - 1 Chronology of mine (Poparitola 4.6 H. file no. F-1/FP/MP/MIN /33660/2018 की जानकारी निम्नानुसार है :-**

1. भारत सरकार द्वारा इस खदान के लिए पत्र दिनांक 19.12.2002 से 8.0 Ha. वन क्षेत्र की गैरवानिकी उपयोग की अनुमति वन एवं पर्यावरण अधिनियम 1980 के तहत दी गई | भारत सरकार की अनुमति की प्रति संलग्न है | परिशिष्ट P-1
2. भारत सरकार द्वारा दिनांक 19.12.2002 से जारी स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों का पालन प्रतिवेदन आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसे वन मंडलाधिकारी सतना द्वारा दिनांक 11.02.2004 को मुख्य वन संरक्षक भोपाल को भेजा गया | संलग्न परिशिष्ट P-2
3. आवेदक द्वारा स्वीकृत वनक्षेत्र 8.0 Ha. में से 3.4 Ha. वनक्षेत्र में खनिज की उपलब्धता पर्याप्त न होने के कारण इसे वन विभाग को समर्पित किया गया | तदानुसार भारत सरकार द्वारा शेष 4.6 Ha. वनक्षेत्र के गैर वानिकी उपयोग हेतु संशोधित स्वीकृति पत्र दिनांक 21.07.2009 से जारी की गई | भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित स्वीकृति की प्रति संलग्न है | परिशिष्ट P -3
4. भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित स्वीकृति आदेश दिनांक 19.12.2002 के तत्पश्चात पत्र दिनांक 06.01.2010 को शुद्धि पत्र जारी किया गया, इस शुद्धि पत्र के अनुसार इस खदान की वैधता दिनांक 18.12.2012 तक निर्धारण की गई प्रति संलग्न है | परिशिष्ट P-4
5. इस खान की वैधता दिनांक 18.12.2012 को समाप्त होने पर यह खदान बंद कर दी गई |
6. इस खनिपट्टा का नवकरण आवेदन पत्र दिनांक 20.12.2010 को प्रस्तुत किया गया | संलग्न परिशिष्ट P-5
7. नवकरण आवेदन पत्र के सम्बन्ध में वन मंडलाधिकारी, सतना एवं वन संरक्षक, रीवा द्वारा समय-समय पर अतिरिक्त जानकारियां चाही गईं, जिसकी पूर्ती उपरांत दिनांक 31.01.2013 को वन संरक्षक रीवा द्वारा प्रकरण का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन किया गया | संलग्न परिशिष्ट P-6
8. यह कि रजिस्ट्रेशन के बाद की समस्त औपचारिकता की पूर्ती करते हुए दिनांक 26.10.2013 को वन संरक्षक पदेन वन मंडल अधिकारी, सतना द्वारा प्रकरण मुख्य वन संरक्षक रीवा को भेजा गया | संलग्न परिशिष्ट P-7
9. मुख्य वन संरक्षक रीवा द्वारा प्रकरण को दिनांक 12.11.2013 को मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल को अग्रेषित किया गया | संलग्न परिशिष्ट P-8

10. मुख्य वन संरक्षक (भू- प्रबंध) भोपाल द्वारा पत्र दिनांक 02.12.2013 के द्वारा प्रकरण में अतिरिक्त जानकारी के साथ प्रकरण को वेवसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भेजने हेतु वन मंडल अधिकारी सतना को लेख किया गया | संलग्न परिशिष्ट P-9
11. तदनुसार प्रकरण को दिनांक 18.02.2014 को पोर्टल के माध्यम से वन मंडल अधिकारी द्वारा मुख्य वन संरक्षक रीवा को भेजा गया | संलग्न परिशिष्ट P-10
12. मुख्य वन संरक्षक रीवा द्वारा प्रकरण को दिनांक 01.03.2014 को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू- प्रबंध) भोपाल को भेजा गया | संलग्न परिशिष्ट P-11
13. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू- प्रबंध) भोपाल द्वारा पत्र दिनांक 25.04.2014 द्वारा अतिरिक्त जानकारी चाही गई | संलग्न परिशिष्ट P-12
14. वन संरक्षक वन मंडल सतना के पत्र दिनांक 27.08.2014 द्वारा आवेदक शरद कुमार बंसल से जानकारी चाही गई | संलग्न परिशिष्ट P-13
15. आवेदक द्वारा पत्र दिनांक 20.10.14 द्वारा वन संरक्षक वन मंडल सतना द्वारा चाही गई जानकारी प्रस्तुत की गई | संलग्न परिशिष्ट P-14
16. वन संरक्षक वन मंडल सतना द्वारा पत्र दिनांक 01.11.14 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू- प्रबंध) भोपाल द्वारा चाही गई जानकारी मुख्य वन संरक्षक रीवा को भेजी गई | संलग्न परिशिष्ट P-15
17. मुख्य वन संरक्षक रीवा द्वारा पत्र दिनांक 25.11.14 द्वारा जानकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल को भेजी गई | संलग्न परिशिष्ट P-16
18. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल द्वारा पत्र दिनांक 24.01.15 द्वारा जिलाध्यक्ष सतना से जानकारी चाही गई | संलग्न परिशिष्ट P-17
19. म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल द्वारा पत्र दिनांक 27.09.16 द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली से मार्गदर्शन चाहा गया | संलग्न परिशिष्ट P-18
20. म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल द्वारा पत्र दिनांक 30.01.17 द्वारा पुनः भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली से अभिमत चाहा गया | संलग्न परिशिष्ट P-19
21. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल द्वारा जिलाध्यक्ष सतना से चाही गई जानकारी कार्यालय कलेक्टर सतना द्वारा दिनांक 12.03.18 को दी गई | संलग्न परिशिष्ट P-20
22. कार्यालय कलेक्टर द्वारा दी गई जानकारी को वन मंडल अधिकारी सतना द्वारा दिनांक 02.04.18 को मुख्य वन संरक्षक रीवा को भेजी गई | संलग्न परिशिष्ट P-21
23. मुख्य वन संरक्षक रीवा द्वारा जानकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल को भेजी गई | संलग्न परिशिष्ट P-22

24. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल द्वारा पत्र दिनांक 25.05.18 से अतिरिक्त जानकारी चाही गई | संलग्न परिशिष्ट P-23
25. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल के पत्र दिनांक 25.05.18 द्वारा चाही गई जानकारी को ऑनलाइन अपलोड करने के उपरांत दिनांक 07.06.18 को भाग-2 की पूर्ति हेतु लेख किया गया | संलग्न परिशिष्ट P-24
26. ऑनलाइन प्रकरण भाग-2 की पूर्ति कर वन मंडल अधिकारी सतना द्वारा दिनांक 07.08.2018 एवं वन संरक्षक रीवा द्वारा दिनांक 23.08.2018 को प्रेषित किया गया | संलग्न परिशिष्ट P-25,26
27. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल द्वारा प्रकरण को दिनांक 05.10.2018 को भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल को प्रेषित किया गया | संलग्न परिशिष्ट P-27
28. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के द्वारा अपने पत्र दिनांक 03.12.2018 से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू- प्रबंध) भोपाल से अतिरिक्त जानकारी चाही गई | संलग्न परिशिष्ट P-28
29. उपरोक्त पत्र द्वारा चाही गई जानकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू- प्रबंध) भोपाल द्वारा अपने पत्र दिनांक 30.09.2019 द्वारा प्रदान की गई | संलग्न परिशिष्ट P-29
30. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा प्रकरण को REC में दिनांक 24.12.19 को एजेंडा न. 2 में रखा गया |
31. REC की मीटिंग में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा अतिरिक्त जानकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल से पत्र दिनांक 03.01.2020 के द्वारा चाही गई संलग्न परिशिष्ट P-30
32. चाही गई जानकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) द्वारा अपने पत्र दिनांक 09.03.2020 के द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल को प्रेषित की गई | संलग्न परिशिष्ट P-31
33. प्रकरण को सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में REC में दिनांक 26.05.2020 एजेंडा न. 3 में रखा गया एवं प्रकरण को अनुशंसा के साथ भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली को भेजा गया |
34. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा पत्र दिनांक 06.08.2020 द्वारा अतिरिक्त जानकारी चाही गई | संलग्न परिशिष्ट P-32
35. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा चाही गयी जानकारी को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) द्वारा दिनांक 24.09.2020 को प्रेषित किया गया | संलग्न परिशिष्ट P-33

36. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा पत्र दिनांक 24.03.2021 द्वारा अतिरिक्त जानकारी चाही गई | संलग्न परिशिष्ट P-34
37. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा चाही गई जानकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल पत्र दिनांक 29.06.2021 द्वारा प्रेषित की गई | संलग्न परिशिष्ट P-35
38. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा पत्र दिनांक 25.11.2021 से अतिरिक्त जानकारी चाही गई | संलग्न परिशिष्ट P-36
39. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल द्वारा पत्र दिनांक 28.03.2022 द्वारा चाही गई जानकारी प्रेषित की गई | संलग्न परिशिष्ट P-37
40. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा पत्र दिनांक 25.06.2022 द्वारा अतिरिक्त जानकारी चाही गई | संलग्न परिशिष्ट P-38
41. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल द्वारा चाही गई जानकारी दिनांक 17.08.2022 को प्रेषित किया गया | संलग्न परिशिष्ट P-39
42. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा पत्र दिनांक 30.01.2023 से अतिरिक्त जानकारी चाही गई | संलग्न परिशिष्ट P-40
43. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल द्वारा चाही गई जानकारी दिनांक 08.02.2023 को प्रेषित की गयी संलग्न परिशिष्ट P-41
44. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा प्रकरण REC मीटिंग में दिनांक 13.06.2023 को एजेंडा 10 में रखा गया | तत्पश्चात क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा प्रकरण को अनुसंशा के साथ भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली को दिनांक 20.06.2023 को भेजा गया |
45. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली अपने पत्र दिनांक 12.09.2023 द्वारा अतिरिक्त जानकारी चाही गई | संलग्न परिशिष्ट P-42
46. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा चाही गई जानकारी पत्र दिनांक 23.10.2024 द्वारा प्रेषित की गई | संलग्न परिशिष्ट P-43
47. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल ने भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा चाही गई जानकारी दिनांक 12.12.2024 को को प्रेषित की गई है |
48. भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 16.01.2025 से 06 बिन्दुओं की पुनः जानकारी चाही गई |



भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA  
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र,  
Regional Office, Western Region,  
E-3/240, अरेरा कालोनी/Arera Colony,  
भोपाल (म०प्र०)/Bhopal-462016 (M.P.)  
दूरभाष /Phone: 466525, 465496, 465054  
फैक्स /Fax: 0755-463102  
तार /Telegram: CENTFOREST  
अणुडाक /E-mail: rccfwr@sancharnet.in

क्रमांक: 8सी/5/435/1997-एफसीडब्ल्यू/ 2971

दि. 19-12-2002,

प्रति,

प्रधान सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
वन विभाग, वल्लभ भवन,  
भोपाल ।

विषय: सतना जिले में लेटराइट, व्हाइट क्ले व ओकर्स के उत्खनन हेतु 8.00 हे० वनभूमि श्री शरद कुमार बंसल को उपयोग पर देने बाबत।

- संदर्भ: 1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक 8सी/5/435/1997-एफसीडब्ल्यू दिनांक 27.08.1998  
2. मु०व०स०(भू-सर्वे), म०प्र० का पत्रांक एफ-1/63/94/10-11/3853 दिनांक 29.11.2002

महोदय,

कृपया अपने उक्त विषयक पत्रांक एफ-5/18/97/10/3, दिनांक 05.05.1997 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन का अनुरोध किया गया था ।

उक्त वनभूमि के उल्लिखित उद्देश्य हेतु प्रत्यावर्तन के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा, उसमें लगायी गयी शर्तों के अधीन, सिद्धान्ततः सहमति दी गयी थी ।

उपरोक्त संदर्भित पत्र (2) द्वारा नोडल अधिकारी, म०प्र० शासन ने उक्त शर्तों की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा केन्द्र सरकार की ओर से सतना जिले में लेटराइट, व्हाइट क्ले व ओकर्स के उत्खनन हेतु 8.00 हे० वनभूमि श्री शरद कुमार बंसल को वनेत्तर उपयोग के लिये दिये जाने का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों पर औपचारिक अनुमोदन किया जाता है :-

1. वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।
2. क. वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर सतना जिले के रघुराजपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम नयागांव के खसरा नं० 96/1 :पार्ट: में 8.00 हे० गैर वन भूमि पर इस पत्र के निर्गत होने के दो वर्ष के अंदर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा ।  
ख. यह भूमि आरक्षित/संरक्षित वन घोषित की जायेगी ।
3. उपयोगकर्ता के खर्च पर, भूमि पर क० संख्या, बियरिंग और खम्भे से खम्भे की दूरी सहित, आर०सी०सी० खम्भों (उंचाई 4 फीट) का प्रयोग करते हुये खनन पट्टा क्षेत्र का सीमांकन किया जायेगा ।
4. वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर खनित क्षेत्र का समतलीकरण किया जायेगा । खनन एक तरफ से एक भाग से दूसरे भाग की ओर व्यवस्थित तरीके से किया जायेगा तथा जिस किसी भाग में उत्खनन पूर्ण हो जाये वहाँ पर जितनी जल्दी हो सके समतलीकरण कार्य किया जायेगा ।

5. खनन पट्टे की अवधि 10 वर्ष होगी ।
6. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।
7. प्रत्यावर्तित वनभूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा ।
8. राज्य सरकार द्वारा लगाई गई अन्य कोई भी शर्त ।

भवदीय,

(दीपक श्रीवास्तव)

उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:

1. निदेशक(एफ0सी0) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
2. मुख्य वन संरक्षक (भू-सर्वे) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, म0प्र0 शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
3. वन संरक्षक, रीवा वृत्त, रीवा, म0प्र0 ।
4. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, सतना (म0प्र0) ।
5. श्री शरद कुमार बंसल, ग्राम जैतवारा, जिला सतना (म0प्र0) ।
6. आदेश पत्रावली ।

दीपक श्रीवास्तव  
(दीपक श्रीवास्तव) 18-12-20

उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

san/order/2other/6-7

## कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सतना (म.प्र.)

क्रमांक/मा.चि./  
प्रति.

सतना, दिनांक

मुख्य वनसंरक्षक(भू-सर्वेक्षण)  
सतपुडा भवन भोपाल

विषय:-सतना वनमण्डल के अंतर्गत वन परिक्षेत्र मझगावां के कक्ष क्र 230 पी. में 8.00 हे.क्षेत्र में लेटराइट,व्हाइट क्लै व ओकर्स के उत्खनन हेतु श्री शरद कुमार बंसल को उपयोग पर देने बाबत ।

संदर्भ:-आपका पत्र क्र./पृ/एफ-1/152/94/10-11/1786 दिनांक 4.7.03 ।

आपके संदर्भित क्रमांक के पालन में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा दिनांक 19.12.02 को दी गई स्वीकृति में रोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन आपकी ओर भेजा जा रहा है ।

1. वनभूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा के संबंध में आवेदक द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है जो चार प्रतियों में संलग्न है ।
2. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण 8.00 हे पर ग्राम नया गांव की गैर वनभूमि खसरा नं. 96/1 पार्ट में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु 87553.00 की राशि का बजट आवंटन प्राप्त हुई है । वृक्षारोपण कार्य किया जा रहा है ।
3. ग्राम नया गांव के खसरा नं. 96/1 पार्ट को क्र.डी-594 -90-3-10-3 दिनांक 17.2.03 से अधिसूचित किया गया है ।
4. उपयोग कर्ता के खर्च पर खनन पट्टा क्षेत्र का सीमांकन कम संख्या, बियरींग और खम्भे से खम्भे की दूरी सहित आर.सी.सी.पीलर सहित खनिज विभाग के खनि निरीक्षक के साथ संयुक्त रूप से किया गया है जिसका मौका पंचनामा फील्ड बुक एवं नक्शे की छायाप्रति संलग्न है ।
5. खनित क्षेत्र 8.00 हे के समतलीकरण हेतु आवेदक से निर्धारित दर 10000 रु.प्रति हे. से 80000 रु.जमा कराया गया जिसका समायोजन चालान नं. 7/3 दिनांक 10.5.03 से किया जा चुका है
6. खननपट्टे की अवधि 10 वर्ष पर आवेदक द्वारा सहमति दी गई है ।
7. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किये जाने का आवेदक का वचन पत्र संलग्न है ।
8. उपयोग कर्ता से प्रत्यावर्तित वन भूमि का प्रत्याशा मूल्य निर्धारित दर 1000 रु. से 8000 रु. जमा कराया गया जिसका समायोजन चालान नं. 7/3 दिनांक 10-5-03 से किया जा चुका है ।
9. स्वीकृत खदान के आस-पास के 2 कि.मी. की परिधि में वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन नहीं होने तथा होने पर सूचना देने का वचन पत्र आवेदक से प्राप्त को संलग्न भेजा जा रहा है ।
10. आवेदक द्वारा भविष्य में कोई अतिरिक्त शर्त लगाये जाने पर उन्हें मानने का वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे संलग्न कर भेजा जा रहा है ।

पालन प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित है ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

वनमण्डलाधिकारी  
वनमण्डल सतनापृ.क्र./मा.चि./  
प्रतिलिपि:-

257

सतना, दिनांक

11/2/03

1. वनसंरक्षक रीवा वृत्त की ओर उनके पत्र क्रमांक/मा.चि./4568 दिनांक 21.8.03 के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

2. कलेक्टर (खनिज शाखा) सतना की ओर सूचनार्थ । संयुक्त सीमांकन एवं स्थल मा.चि. संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

वनमण्डलाधिकारी  
वनमण्डल सतना

11/2/03



सत्यमेव जयते

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA  
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय  
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र,  
Regional Office, Western Region,  
"केन्द्रीय पर्यावरण भवन"  
"Kendriya Paryavarana Bhavan"  
लिन्क रोड नं०-3, Link Road No. 3  
E-5, रविशंकर नगर/Ravi Shankar Nagar,  
भोपाल (म०प्र०)/Bhopal-462016 (M.P.)  
फोन- 2466525, 2463102, 2465496  
अणुडाक /E-mail: rccfbhopal@gmail.com

कमांक: 8C/5/435/1997-FCW/ 1805,

दि०-21-7-2009,

प्रति,

प्रधान सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
वन विभाग, वल्लभ भवन,  
भोपाल ।

**विषय:** सतना जिले में लेटराइट, व्हाइट क्ले व ओकर्स के उत्खनन हेतु (8.00 हे० वनभूमि में से) संशोधित औपचारिक अनुमोदन 4.600 हे० वनभूमि उपयोग पर देने एवं 3.400 हे० वनभूमि समर्पण हेतु श्री शरद कुमार बंसल के प्रस्ताव बाबत ।

**संदर्भ:** 1. इस कार्यालय का औपचारिक अनुमोदन पत्रांक 8सी/5/435/1997-एफसीडब्ल्यू/2971 दिनांक 19/12/2002  
2. अपर प्रधान मु०व०सं० एवं नोडल अधिकारी, म०प्र० का पत्रांक एफ-1/152/94/10-11/2759 दिनांक 24/12/2008

महोदय,

कृपया मध्यप्रदेश सरकार के उक्त विषयक पत्रांक एफ-5/18/97/10/3 दिनांक 05/05/1997 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के उपरोक्त संदर्भित पत्र (2) का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन/समर्पण का अनुरोध किया गया था ।

उक्त वनभूमि के उल्लिखित उद्देश्य हेतु प्रत्यावर्तन के लिए इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा, उसमें लगायी गयी शर्तों के अधीन, औपचारिक स्वीकृति दी गयी थी । उपरोक्त संदर्भित पत्र (2) द्वारा नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन ने 3.400 हे० वनभूमि समर्पण का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । अतः केन्द्र सरकार की ओर से 4.600 हे० वनभूमि उपयोग पर देने एवं 3.400 हे० वनभूमि समर्पण हेतु श्री शरद कुमार बंसल के प्रस्ताव को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृति आदेश दिनांक 19/12/2002 (संदर्भ संख्या 1) को अधिग्रहित करते हुए निम्नलिखित शर्तों पर औपचारिक अनुमोदन दिया जाता है :-

1. वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।
2. अ) वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर सतना जिले के रघुराजपुर तहसील के अन्तर्गत ग्राम-नयागांव के खसरा कमांक 96/1(पार्ट) में समतुल्य गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा ।  
ब) इस गैर वनभूमि को आरक्षित वन घोषित किया जायेगा ।  
स) इस गैर वनभूमि को आरक्षित वन घोषित करने के लिए भारतीय वन अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत जारी मूल अधिसूचना की एक प्रति यह वनभूमि सौंपने के 6 माह के अन्दर नोडल अधिकारी द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी ।

.....2

3. उपयोगकर्ता के खर्च पर, भूमि पर कम संख्या, बियरिंग और खम्भे की दूरी सहित, आर0सी0सी0 खम्भों (ऊँचाई 4 फिट) का प्रयोग करते हुये खनन पट्टा क्षेत्र का सीमांकन किया जायेगा ।
4. वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर समतलीकरण किया जायेगा । खनन एक तरफ से एक भाग से दूसरे भाग की ओर व्यवस्थित तरीके से किया जायेगा तथा जिस किसी भाग में उत्खनन पूर्ण हो जाये वहाँ पर जितनी जल्दी हो सके समतलीकरण कार्य किया जायेगा तथा उसका reclamation किया जायेगा
5. खनन पट्टे की अवधि 10 वर्ष होगी ।
6. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जायेगा ।
7. प्रत्यावर्तित वनभूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा ।
8. राज्य शासन द्वारा लगायी गयी अन्य कोई शर्त । उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा अन्य कोई शर्त लगाये जाने की स्थिति में इसकी सूचना इस कार्यालय को दी जायेगी ।

इस कार्यालय के औपचारिक अनुमोदन पत्रांक 8सी/5/435/1997-एफसीडब्ल्यू/2971 दिनांक 19/12/2002 को निरस्त किया जाकर, उपरोक्त औपचारिक अनुमोदन प्रेषित किया जाता है ।

भवदीय,

(सुजाय बैनर्जी)

उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:

1. उप सचिव(एफ0सी0),पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
3. वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमण्डल सतना, जिला-सतना, मध्यप्रदेश ।
4. श्री शरद कुमार बंसल, ग्राम-जैतवारा, जिला-सतना, मध्यप्रदेश ।
5. आदेश पत्रावली ।

(सुजाय बैनर्जी)

उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)



सत्यमेव जयते

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA  
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय  
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

परिशिष्ट - P-4  
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र,  
Regional Office, Western Region,  
"केन्द्रीय पर्यावरण भवन"  
"Kendriya Paryavarana Bhavan"  
लिंक रोड नं०-3, Link Road No. 3  
E-5, रविशंकर नगर/Ravi Shankar Nagar,  
भोपाल (म०प्र०)/Bhopal-462016 (M.P.)  
फोन- 2466525, 2463102, 2465496  
अणुडाक /E-mail: rccfbhopal@gmail.com

शुद्धि पत्र

दि०-०६-०१-२०१०,

क्रमांक: 8C/5/435/1997-FCW/ 47,  
प्रति,

अपर मुख्य सचिव (वन),  
मध्यप्रदेश शासन,  
वन विभाग, वल्लभ भवन,  
भोपाल (मध्यप्रदेश) ।

विषय: सतना जिले में लेटराइट, व्हाइट क्ले व ओकर्स के उत्खनन हेतु (8.00 हे० वनभूमि में से) संशोधित औपचारिक अनुमोदन 4.600 हे० वनभूमि उपयोग पर देने एवं 3.400 हे० वनभूमि समर्पण हेतु श्री शरद कुमार बंसल के प्रस्ताव बाबत ।

- संदर्भ: 1) इस कार्यालय का औपचारिक अनुमोदन पत्रांक 8सी/435/1997-एफसीडब्ल्यू/2971 दिनांक 19/12/2002  
2) अपर प्रधान मु०व०सं० एवं नोडल अधिकारी, म०प्र० का पत्रांक एफ-1/152/94/10-11/2759 दिनांक 24/12/2008  
3) इस कार्यालय का संशोधित औपचारिक अनुमोदन पत्र क्रमांक 8सी/435/1997-एफसीडब्ल्यू/1805 दिनांक 21/7/2009

महोदय,

इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक (1) जिसके माध्यम से प्रकरण में 8.00 हे० का औपचारिक अनुमोदन दिनांक 19/12/2002 को प्रदान किया गया था । नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश के संदर्भित पत्र (2) के माध्यम से प्रकरण में 4.600 हे० वनभूमि उपयोग पर दिये जाने एवं 3.400 हे० वनभूमि समर्पण की अनुशंसा उपरांत कार्यालय के संदर्भित पत्र (3) के माध्यम से पुनः संशोधित औपचारिक अनुमोदन जारी किया गया ।

इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र (3) द्वारा जारी औपचारिक अनुमोदन के बिन्दु संख्या-5 में "खनन पट्टे की अवधि 10 वर्ष होगी" के स्थान पर "खनन पट्टे की अवधि दिनांक 19/12/2002 से 18/12/2012 तक (10 वर्ष) होगी ।" पढ़ा जाए ।

अन्य शर्तें इस कार्यालय के उपरोक्त औपचारिक अनुमोदन पत्र (3) के अनुसार यथावत् रहेंगी ।

भवदीय,

(सुजॉय बैनर्जी)

उप वन संरक्षक(केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:

1. उप सचिव(एफ०सी०) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी०जी०ओ० काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबंध) एवं नोडल अधि०, म०प्र० वन विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
3. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल सतना, जिला-सतना, मध्यप्रदेश ।
4. श्री शरद कुमार बंसल, ग्राम-जैतवारा, जिला-सतना, मध्यप्रदेश ।
5. आदेश पत्रावली

(सुजॉय बैनर्जी)

उप वन संरक्षक(केन्द्रीय)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज) जिला सतना (म0प्र0)

क्रमांक/

/खनिज/2010/1627

सतना, दिनांक 20.12.2010

प्रति,

वन संरक्षक,  
वन मंडल सतना।

विषय— ग्राम पिपरीटोला की कक्ष क्र0-203 पी0 नया कक्ष क्र0-870पी मे स्वीकृत खनि पट्टे के नवकरण के संबंध में।

—00—

विषयन्तार्गत के संबंध मे आवेदक श्री शरद कुमार बंसल द्वारा प्रस्तुत नवकरण फार्म बी जो कि ग्राम पिपरीटोला की कक्ष क्र0-870 पी के नवकरण के संबंध प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्राप्त आवेदन मूलतः 06 प्रतियों मे आपकी ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न—उपरोक्तानुसार 06 नग फार्म बी।



*(Signature)*  
खनि अधिकारी  
हेतु कलेक्टर  
जिला सतना (म0प्र0)

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत नवीन प्रस्ताव की अभिरखीकृति

आवेदक/संस्थान शारद कुमारी (वेन्सल) पु.पो. जैलबारा जिला सतना (म.प्र.)  
को वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत सतना वनमण्डल सतना  
परिक्षेत्र मझगांव तथा कक्ष क्रमांक 230 पुवाजा (हाटा 870 पी) में एकवा 4-610 हे०  
हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव दिनांक 22-1-13 को प्राप्त हुआ एवं  
इस प्रस्ताव का रजिस्ट्रेशन नम्बर 11/STA/MJM/13/01 है।

आवेदक सं पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क रू० 5000 + 25000/- कुल राशि 30000/-  
की राशि ड्राफ्ट/चेक नम्बर 827664 दिनांक 8-1-2013 एवं  
दिनांक 8-1-2013 इंस्ट्रुमेंट विमटि (वाला क्रमांक 11861/2013)  
नम्बर 11-1-13 से जमा कर दिया गया है।

पंजीयन क्रमांक 11/STA/MJM/13/01  
दिनांक 31-1-2013

मुख्य वन संरक्षक  
रीवा वृत्त, रीवा, म०प्र०

पृष्ठां०/क्रमांक/मा०चि०/ 806 रीवा, दिनांक 31-1-13  
प्रतिलिपि:-

- 1- आवेदक संस्थान शारद कुमारी (वेन्सल) पु.पो. जैलबारा जिला सतना (म.प्र.)
- 2- वनमण्डलाधिकारी सतना वनमण्डल सतना की ओर सूचनार्थ।  
सेलोन:- उपरोक्तानुसार।
- 3- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबंध) म०प्र० भोपाल की ओर सूचनार्थ।

मुख्य वन संरक्षक  
रीवा वृत्त, रीवा, म०प्र०

## कार्यालय वन मण्डल, सतना, मध्यप्रदेश

कमांक/मा.चि./  
प्रति,

सतना, दिनांक / / /2013

मुख्य वनसंरक्षक  
रीवा वृत्त रीवा

विषय:- ग्राम पिपरीटोला, तहसील मझगवां जिला सतना के कम्पार्टमेन्ट नम्बर पी-870 परिक्षेत्र मझगवां के अन्तर्गत रकवा 4.600 हेक्टेयर वनभूमि में ओकर, व्हाटक्ले, लेटराईट खनिपट्टा नवकरण के स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।

संदर्भ:- आपका पृष्ठांकन कमांक/मा0चि0/806 दिनांक 31.01.2013।

000

आपके संदर्भित पत्र द्वारा विषयांकित प्रकरण पंजीयन उपरान्त भाग दो की पूर्ति हेतु इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के प्रपत्र 2 की पूर्ति तथा चेकलिस्ट अनुसार पूर्ति की जाकर चार प्रतियों में आपकी ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु अवलोकनार्थ सम्प्रेषित है।

संलग्न:- प्रस्ताव चार प्रतियों में।



वनसंरक्षक  
एवं पदेन वनमण्डल अधिकारी  
वनमण्डल सतना

पृष्ठांकन कमांक/मा0चि0/ 9231

सतना, दिनांक/26/10/2013

प्रतिलिपि:-

✓ मेसर्स शरद कुमार बंशल मुकाम पोस्ट जैतवारा जिला सतना की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ।



वनसंरक्षक

एवं पदेन वनमण्डल अधिकारी  
वन मण्डल, सतना





कार्यालय वन वृत्त रीवा (मध्यप्रदेश)  
केन्द्रीय विद्यालय मार्ग, जयंती कुंज रीवा (ग.प्र.) 486001  
Fax-241689 E-mail cfrewa@mp.gov.in

\*\*\*\*\*

क्रमांक/मा0चि0/7212

रीवा, दिनांक 12-11-13

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
(भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश भोपाल

विषय-

ग्राम पिपरीटोला, तहसील मझगवां, जिला सतना, परिक्षेत्र मझगवां के अंतर्गत कक्ष क्रमांक पी-870 रकबा 4.600 हेक्टेयर वन भूमि में लेटराइट ब्लाइट क्ले ओकर्स के उत्खनन हेतु मेसर्स शरद कुमार बंशल मुकाम पोष्ट जैतवारा जिला सतना को नवीनीकरण हेतु उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भ :- वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सतना का पत्र क्रमांक/ मा0चि0/9230 दिनांक 26-10-2013

---:00:---

विषयांकित संदर्भित पत्र के संबंध में निवेदन है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत ग्राम पिपरीटोला, तहसील मझगवां, जिला सतना के परिक्षेत्र मझगवां के अंतर्गत कक्ष क्रमांक पी-870 रकबा 4.600 हेक्टेयर वन भूमि में लेटराइट ब्लाइट क्ले ओकर्स के उत्खनन हेतु मेसर्स शरद कुमार बंशल मुकाम पोष्ट जैतवारा, जिला सतना को नवीनीकरण हेतु उपयोग पर देने बावत् वन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

आवेदक संस्थान मेसर्स शरद कुमार बंशल द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत नवीनीकरण प्रस्ताव तैयार कर पंजीयन हेतु मय पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था, जिसे इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/मा0चि0/806 दिनांक 31.01.2013 के द्वारा पंजीयन क्रमांक 11/STA/MJM/13/01 दिनांक 31.01.2013 से वनक्षेत्र 4.600 हेक्टेयर का पंजीयन किया जाकर वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सतना को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्राप्त नवीनीकरण प्रस्ताव की समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु भेजा गया था।



वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सतना ने प्राप्त नवीनीकरण प्रस्ताव में आवेदक संस्थान से समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति कराकर अपने अनुशंसा सहित प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक संस्थान मेसर्स शरद कुमार बंशल ने नवीनीकरण वन प्रस्ताव में सभी अभिवचन पत्रों एवं अभिलेखों में हस्ताक्षर कर मूल पत्र नवीनीकरण प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है, जिसमें वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सतना द्वारा भी हस्ताक्षर किये गये हैं।

अतः वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सतना द्वारा प्राप्त नवीनीकरण प्रस्ताव वन संरक्षण (अधिनियम) 1980 के विचारार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

संलग्न:- नवीनीकरण प्रस्ताव 3 प्रति में।

मुख्य वन संरक्षक  
रीवा वृत्त, रीवा (म0प्र0)

पृ0 क्रमांक/मा0चि0/

रीवा, दिनांक

प्रतिलिपि :-

- 1- वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सतना की ओर उनके पत्र क्रमांक/मा0चि0 /9230 दिनांक 26.10.2013 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
- 2- मेसर्स शरद कुमार बंशल मुकाम पोष्ट जैतवारा जिला सतना (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक  
रीवा वृत्त, रीवा (म0प्र0)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-1/704/2013/10-11/3670

भोपाल, दिनांक 02-12-13

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)

रीवा वृत्त रीवा

मध्यप्रदेश।

विषय:- रीवा वृत्त के वनमण्डल सतना के परिक्षेत्र मझगांवा के वनखण्ड छनिहरा के कक्ष क्रमांक पी-870 में रकबा 4.600 हेक्टेयर वन भूमि में लेटराइट व्हाइट, क्ले ओकर्स के उत्खनन नवीनीकरण का प्रस्ताव- मेसर्स शरद कुमार बंसल, मुकाम-पोस्ट जैतवारा जिला सतना।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./7212 दिनांक 12.11.2013

—0—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। आपके उक्त संदर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण करने पर प्रस्ताव में कमियां पाई गई है, जो निम्नानुसार है:-

1. प्रकरण पर पूर्व में भारत सरकार के पत्र दिनांक 19.12.2002 एवं मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पत्र दिनांक 05.03.2003 द्वारा खनन पट्टे की अवधि 10 वर्ष के लिए जारी की गई थी। भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.01.2010 से शुद्धि पत्र जारी कर औपचारिक अनुमोदन के बिन्दु संख्या 05 में संशोधन कर खनन पट्टे की अवधि 19.12.2002 से 18.12.2012 तक (10 वर्ष) की गई थी। प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा प्रकरण की स्वीकृत अवधि 18.12.2012 को समाप्त हो गई थी, परन्तु आपके द्वारा प्रस्ताव 11 माह की अवधि व्यतीत होने के उपरांत प्रस्तुत किया गया है इस विलम्ब के कारणों का कोई औचित्य भी नहीं बताया गया है, जबकि भारत सरकार के निर्देश अनुसार स्वीकृत प्रस्ताव अवधि समाप्त होने के 01 वर्ष पूर्व नवीनीकरण प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिये।
2. प्रस्ताव में संलग्न 1:50,000 के स्केल के मानचित्र पर आवेदित स्थल चिन्हांकित कर इन्डेक्स में नेशनल पार्क, वायोस्पर रिजर्व, वन्यप्राणी कारिडोर, अभ्यारण्य सैम्पल प्लाट एवं 10 कि.मी. की परिधि में स्वीकृत प्रकरणों को लेख किया गया है, मानचित्र में आवेदित स्थल से उक्त वन्यप्राणियों के क्षेत्रों की दूरी नहीं दर्शाई गई है ना ही इन्डेक्स में लेख की गई है। मानचित्र में उक्त वन्यप्राणियों की आवेदित स्थल से दूरी दर्शाई जावे एवं इन्डेक्स में अंकित कर संबंधित वन मंडल अधिकारी के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करें।
3. 1:15000 स्केल के मानचित्र पर प्रस्तावित स्थल की जी.पी.एस. रीडिंग तथा मानचित्र में इन्डेक्स दर्शाया जाकर संबंधित वनमंडलाधिकारी को हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव की उक्त कमियों की पूर्ति कर तीन प्रतियों में भेजे। प्रस्ताव कार्यालयीन पत्र दिनांक 05.07.2013 के निर्देश अनुसार वेबसाईट के माध्यम से प्रेषित करें तथा प्रस्ताव की साँफ़ कापी तीन प्रतियों में भेजें।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

पू0क्रमांक/एफ-1/704/2013/10-11/3671  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 02-12-13

1. वन संरक्षक एवं पदेन वन मंडल अधिकारी, वन मंडल सतना, मध्यप्रदेश।
2. जिलाध्यक्ष (खनिज शाखा) जिला-सतना, मध्यप्रदेश।
3. मेसर्स शरद कुमार बंसल, मुकाम-पोस्ट जैतवारा जिला सतना।  
की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

# कार्यालय वन मण्डल सतना (म0प्र0)

कमांक/मा.चि./

सतना, दिनांक / / /2014

प्रति,

मुख्य वनसंरक्षक  
रीवा वृत्त रीवा

विषय:- रीवा वृत्त रीवा के वनमण्डल सतना के परिक्षेत्र मझगवां के वनखण्ड छनिहरा के कक्ष कमांक पी-870 में रकवा 4.600 हेक्टेयर वन भूमि में लेटराइट व्हाइट, क्ले ओकर्स, के उत्खनन नवीनीकरण का प्रस्ताव- मेसर्स शरद कुमार बंसल, मुकाम पोस्ट जैतवारा जिला सतना।

संदर्भ:-अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म0प्र0 भोपाल का पृष्ठांकन कमांक/3671 दिनांक 02.12.2013।

000

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन म0प्र0 भोपाल के संदर्भित पत्र से उठाई गई आपत्तियों की पूर्ति कर प्रतिवेदन अवलोकनार्थ सम्प्रेषित है।

क.	उठाई गई आपत्ति के विन्दु	आपत्तियों का पूर्ति प्रतिवेदन
1	प्रकरण पर पूर्व में भारत सरकार के पत्र दिनांक 19.12.2002 एवं मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पत्र दिनांक 05.03.2003 द्वारा खनन पट्टा की अवधि 10 वर्ष के लिए जारी की गई थी। भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.01.2010 से शुद्धि पत्र जारी कर औपचारिक अनुमोदन के विन्दु संख्या 05 में संशोधन कर खनन पट्टे की अवधि 19.12.2002 से 18.12.2012 तक (10 वर्ष) की गई थी। प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा प्रकरण की स्वीकृत अवधि 18.12.2012 को समाप्त हो गई थी, परन्तु आपके द्वारा प्रस्ताव 11 माह की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त प्रस्तुत किया गया है। इस विलम्ब के कारणों का कोई औचित्य भी नहीं बताया गया है, जबकि भारत सरकार के निर्देश अनुसार स्वीकृत प्रस्ताव अवधि समाप्त होने के 01 वर्ष पूर्व नवीनीकरण प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए।	मेसर्स शरद कुमार बंसल का नवीनीकरण प्रस्ताव कलेक्टर खनिज शाखा सतना के पत्र कमांक/1627 दिनांक 20.12.2010 द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। (पत्र की छायाप्रति संलग्न हैं) इस कार्यालय द्वारा नवीनीकरण प्रस्ताव पत्र कमांक/मा0चि0/2253 दिनांक 8.4.2011 से मुख्य वनसंरक्षक रीवा वृत्त रीवा की ओर प्रेषित किया गया। मुख्य वनसंरक्षक रीवा वृत्त रीवा द्वारा नवीनीकरण प्रस्ताव में आपत्तियों की पूर्ति हेतु पत्र दिनांक 30.4.2011 से प्रस्ताव इस कार्यालय को भेजा गया। नवीनीकरण प्रस्ताव में आपत्तियों की पूर्ति पश्चात प्रकरण का पंजीयन दिनांक 31.01.2013 को होने के उपरान्त भाग 2 की पूर्ति बाद प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्र दिनांक 26.10.2013 से वरिष्ठ कार्यालय की ओर प्रेषित किया गया। आवेदक द्वारा स्वीकृति अवधि समाप्त होने के 2 वर्ष के पूर्व नवीनीकरण प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
2	प्रस्ताव में संलग्न 1:50000 के स्केल के मानचित्र पर आवेदित स्थल चिन्हांकित कर इन्डेक्स में नेशनल पार्क, वायोस्पर रिजर्व, वन्यप्राणी कारीडोर, अभ्यारण्य सैम्पल प्लाट एवं 10 किमी0 की परिधि में स्वीकृत प्रकरणों को लेख किया गया है, मानचित्र में आवेदित स्थल से उक्त	प्रस्ताव में संलग्न 1:50000 के स्केल के मानचित्र पर आवेदित स्थल चिन्हांकित कर इन्डेक्स में नेशनल पार्क, वायोस्पर रिजर्व, वन्यप्राणी कारीडोर, अभ्यारण्य सैम्पल प्लाट एवं 10 किमी0 की परिधि में स्वीकृति प्रकरणों का लेख तथा आवेदित स्थल से वन्यप्राणियों

<p>वन्यप्राणियों के क्षेत्रों की दूरी नहीं दर्शाई गई है न ही इन्डेक्स में लेख की गई है। मानचित्र में उक्त वन्यप्राणियों की आवेदित स्थल से दूरी दर्शाई जावे एवं इन्डेक्स में अंकित कर संबंधित वन मण्डल अधिकारी के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करें।</p>	<p>के क्षेत्रों की दूरी मानचित्र में दर्शाकर लेख तथा इन्डेक्स में लेख किया जाकर हस्ताक्षर कर संलग्न है; आवेदित क्षेत्र से उत्तर प्रदेश स्थित रानीपुर अभ्यारण्य क्षेत्र 10 किमी० की परिधि के अन्दर का क्षेत्र है, जिसे मानचित्र पर अंकित कर दिया गया है।</p>
<p>3 1:15000 स्केल के मानचित्र पर प्रस्तावित स्थल की जी०पी०एस० रीडिंग तथा मानचित्र में इन्डेक्स दर्शाया जाकर संबंधित वनमण्डलाधिकारी को हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करें।</p>	<p>1:15000 स्केल के मानचित्र पर प्रस्तावित स्थल की जी०पी०एस० रीडिंग ली जाकर मानचित्र में तथा इन्डेक्स दर्शाया गया है। मानचित्र में पूर्व चिन्हांकित स्थल वर्तमान में लिये गये जी०पी०एस० रीडिंग अनुसार चिन्हांकित स्थल से अलग दिखाता है। मौके पर पूर्व से स्वीकृति अनुसार क्षेत्र में से प्रस्तावित स्थल का जी०पी०एस० लोकेशन लिया गया और उस नक्शे पर चिन्हांकित किया गया है, जो सही है, उसी अनुसार मानचित्र में अंकित है। पुराना निकासी मार्ग नक्शे में पूर्व से अंकित है। नवीनीकरण पश्चात् पुराने निकासी मार्ग का ही उपयोग किया जावेगा। मानचित्र में हस्ताक्षर कर प्रस्तुत है।</p>

प्रस्ताव की उक्त कमियों की पूर्ति कर चार प्रतियों में साफ्ट कॉपी के साथ भेजी जा रही है। साथ ही प्रस्ताव निर्देश दिनांक 6.07.2013 के अनुसार वेबसाइट के माध्यम से भी भेजा जा रहा है।

संलग्न:- प्रस्ताव एवं साफ्ट कॉपी चार प्रतियों में।

  
वनसंरक्षक

एवं पदेन वनमण्डल अधिकारी  
वनमण्डल सतना

पृष्ठांकन क्रमांक/मा०चि०/1095


सतना, दिनांक 18/2/2014

प्रतिलिपि:-


अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन म०प्र० भोपाल की ओर उनके संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ सम्प्रेषित।

जिलाध्यक्ष (खनिज शाखा) जिला-सतना, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

मेसर्स शरद कुमार बंसल, मुकाम-पोस्ट जैतवारा जिला सतना की ओर सूचनार्थ।



वनसंरक्षक  
एवं पदेन वनमण्डल अधिकारी  
वनमण्डल सतना





कार्यालय वन वृत्त रीवा (मध्यप्रदेश)  
केन्द्रीय विद्यालय मार्ग, जयंती कुंज रीवा (म.प्र.) 486001  
Fax-241689 E-mail cfrewa@mp.gov.in

\*\*\*\*\*

क्रमांक/मा0चि0/ प्रति, 1200

रीवा, दिनांक 1-3-14

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
(भू-प्रबंध)

मध्यप्रदेश भोपाल

विषय:- रीवा वृत्त के वनमण्डल सतना के परिक्षेत्र मझगवां के वनखण्ड छनिहरा के कक्ष क्रमांक पी-870 में रकबा 4.600 हेक्टेयर वन भूमि में लेटराइट ब्लाइट, क्ले ओकर्स के उत्खनन नवीनीकरण का प्रस्ताव- मेसर्स शरद कुमार बंशल, मुकाम-पोष्ट जैतवारा जिला सतना ।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/एफ-1/704/2013/10-11/3670 दिनांक 02.12.2013 एवं वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सतना का पत्र क्रमांक/मा0चि0/1094 दिनांक 18-02-2014

---:00:---

विषयांकित संदर्भित पत्र के संबंध में निवेदन है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत परिक्षेत्र मझगवां के वनखण्ड छनिहरा के कक्ष क्रमांक पी-870 रकबा 4.600 हेक्टेयर वन भूमि में लेटराइट ब्लाइट, क्ले ओकर्स के उत्खनन नवीनीकरण के भेजे गये प्रस्ताव में उठाई गई आपत्तियों की पूर्ति वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सतना द्वारा कमियों की पूर्ति कर बिन्दुवार प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है, जो संलग्न कर अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

विषयांकित प्रकरण के विलंब के संबंध में लेख है कि आवेदक संस्थान का नवीनीकरण प्रस्ताव कलेक्टर खनिज सतना के पत्र क्रमांक/1627 दिनांक 20.12.2010 से वनमण्डलाधिकारी सतना को प्राप्त हुआ था, जिसकी छाया प्रति संलग्न है, वनमण्डलाधिकारी सतना प्राप्त नवीनीकरण प्रस्ताव का जांच एवं परीक्षण कर पत्र क्रमांक/मा0चि0/2253 दिनांक 08.4.2011 से इस कार्यालय को भेजा गया था, जिसका परीक्षणोपरान्त भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति में अधिरोपित शर्त **Reclamation** एवं अन्य शर्तों के पालन के संबंध में मूलतः नवीनीकरण प्रस्ताव वापस कर प्रतिवेदन चाहा गया था। वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सतना द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण का पंजीयन दिनांक 31.01.2013 को किया जाकर वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सतना को भाग-2 की पूर्ति हेतु भेजा गया था, प्रकरण में भाग-2 की पूर्ति होने के पश्चात अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया है। प्रकरण में भाग-2 सरकार के शर्तों के पालन के संबंध में एवं अभिलेखों की पूर्ति करने में विलंब हुआ है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।  
सी.डी. 3 नम

मुख्य वन संरक्षक  
रीवा वृत्त, रीवा (म0प्र0)

पू0 क्रमांक/मा0चि0/  
प्रतिलिपि :-

रीवा, दिनांक

- 1- वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सतना की ओर उनके पत्र क्रमांक/मा0चि0 /1094 दिनांक 18.02.2014 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
- 2- मेसर्स शरद कुमार बंशल मुकाम पोष्ट जैतवारा जिला सतना (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

मुख्य वन संरक्षक  
रीवा वृत्त, रीवा (म0प्र0)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-1/704/2013/10-11/1039  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 25-4-14

मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)  
रीवा वृत्त रीवा  
मध्यप्रदेश।

विषय:- रीवा वृत्त के वनमण्डल सतना के परिक्षेत्र मझगंवा के वनखण्ड छनिहरा के कक्ष क्रमांक पी-870 में रकबा 4.600 हेक्टेयर वन भूमि में लेटराईट व्हाइट, क्ले ओकर्स के उत्खनन नवीनीकरण का प्रस्ताव- मेसर्स शरद कुमार बंसल, मुकाम-पोस्ट जैतवारा जिला सतना।

संदर्भ:- आपका पत्र क्र./मा.चि./7212 दिनांक 12.11.2013 एवं पत्र क्र./1200 दिनांक 01.03.2014

—0—

संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा विषयांतर्गत नवीनीकरण का प्रस्ताव भेजा गया है। इस संबंध में लेख है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 05.07.2013 से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन भूमि व्यपवर्तन के प्रकरणों में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत संबंधित कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीन संशोधित प्रपत्रों में भेजने के निर्देश दिये गये हैं। इन निर्देशों के पालन हेतु मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पत्र क्रमांक/एफ-5-16/1981/10-3 दिनांक 22.10.2013 (प्रति संलग्न) से समस्त कलेक्टर्स, मध्यप्रदेश एवं समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)/वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मध्यप्रदेश को लेख किया गया है।

अतः भारत सरकार के आदेश अनुसार विषयांतर्गत प्रकरण में भी उक्त निर्देशानुसार संबंधित कलेक्टर का प्रमाण पत्र नवीन प्रपत्र में प्राप्त कर तत्काल इस कार्यालय को भेजे, ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

पू0क्रमांक/एफ-1/704/2013/10-11/1039  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 25-4-14

1. वन संरक्षक एवं पदेन वन मंडल अधिकारी, वन मंडल सतना, मध्यप्रदेश।
2. जिलाध्यक्ष (खनिज शाखा) जिला-सतना, मध्यप्रदेश।
3. मेसर्स शरद कुमार बंसल, मुकाम-पोस्ट जैतवारा जिला सतना।  
की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

5/1

## कार्यालय वनमण्डल सतना, मध्य प्रदेश

क्रमांक / मा.चि. /

5100

सतना, दिनांक 12/8/2014

प्रति,

मेसर्स शरद कुमार बंसल  
मु०पोस्ट जैतवारा जिला सतना

विषय-रीवा वृत्त के वनमण्डल सतना के परिक्षेत्र मझगवां के वनखण्ड छनिहरा के कक्ष क्रमांक पी-870 में रकवा 4.600 हेक्टेयर वनभूमि में लेटराईट व्हाइट, क्ले ओकर्स के उत्खनन नवीनीकरण का प्रस्ताव- मेसर्स शरद कुमार बंसल मुकाम पोस्ट जैतवारा जिला सतना।

- संदर्भ:- 1. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/मा०चि०/3233 दिनांक 22.5.2014।  
2. मुख्य वनसंरक्षक रीवा वृत्त रीवा का पत्र क्रमांक/मा०चि०/3256 दिनांक 26.5.2014।

इस कार्यालय के संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसके द्वारा वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि व्यपवर्तन के प्रकरणों में अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत संबंधित कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीन संशोधित प्रपत्रों में भेजने हेतु लेख किया गया था। आपके द्वारा नवीन संशोधित प्रमाण पत्र कलेक्टर से प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

मुख्य वनसंरक्षक रीवा वृत्त रीवा के संदर्भित पत्र से विषयांकित के सम्बन्ध में नवीन संशोधित प्रमाणपत्र कलेक्टर जिला सतना से प्राप्त कर प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है। अतः कलेक्टर जिला सतना से नवीन संशोधित प्रमाण पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु वरिष्ठ कार्यालय की ओर प्रेषित किया जा सके।

वन संरक्षक

एवं पदेन वन मण्डल अधिकारी

रीवा मण्डल सतना

पृष्ठांकन क्रमांक/मा०चि०/

सतना, दिनांक/ / /2014

प्रतिलिपि:-

मुख्य वनसंरक्षक रीवा वृत्त रीवा की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वन संरक्षक

एवं पदेन वनमण्डल अधिकारी

वन मण्डल, सतना

प्रेषक— शरद कुमार बंसल  
पो0—जैतवारा, जिला सतना  
(म0प्र0) 485221

दिनांक—20.10.2014

प्रति,

श्रीमान् वनसंरक्षक महोदय  
वन मंडल, सतना  
जिला सतना (म0प्र0)

विषय—रीवा वृत्त के वनमंडल सतना के परिक्षेत्र मझगावां के वनखण्ड छनिहरा के कक्ष क्रमांक पी-870 में रकवा 4.600 हे0 वन भूमि में लेट्टराइट, व्हाइट क्ले, ओकर्स के उत्खनन नवीनीकरण का प्रस्ताव—मेसर्स शरद कुमार बंसल, मु0—पो0, जैतवारा, जिला सतना (म0प्र0)

- संदर्भ—1. कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष भू—प्रबंध) सतपुडा भवन, भोपाल का पत्र क्रं0/एफ-1/704/2013/10-11/1038, दिनांक 25.04.2014।  
2. आवेदक का पत्र दिनांक 28.04.2014 एवं 08.09.2014 जो श्रीमान कलेक्टर महोदय को संबोधित है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र क्रं0 01 जिसमें, वनभूमि प्रकरणों में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत संबंधित कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण—पत्र नवीन संशोधित प्रपत्रों में मांगा गया है। आवेदक ने अपने संदर्भित पत्र क्रं0 02 दिनांक 28.04.2014 द्वारा संशोधित प्रारूप में प्रमाण—पत्र जारी करने हेतु लेख किया था एवं पुनः दिनांक 08.09.2014 को स्मरण पत्र श्रीमान् कलेक्टर महोदय के यहां प्रस्तुत किया था।

अतः कलेक्टर महोदय द्वारा दिनांक 15.10.2014 को प्रमाण—पत्र क्रं0 02बी/121/14-15 जारी किया गया है, जो संलग्न प्रेषित है।

कृपया अतिशीघ्र अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें

संलग्न—प्रमाण—पत्र मूल प्रति एवं 4 छायाप्रतियों में।



भवदीय  
शरद कुमार बंसल

प्रतिलिपि—1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), रीवा वृत्त, जिला रीवा (म0प्र0)

2. कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू—प्रबंध), सतपुडा भवन, भोपाल (म0प्र0)

## कार्यालय वनमण्डल सतना, मध्य प्रदेश

क्रमांक / मा.चि. /

सतना, दिनांक / / /2014

प्रति,

मुख्य वनसंरक्षक  
रीवा वृत्त रीवा

विषय- रीवा वृत्त के वनमण्डल सतना के परिक्षेत्र मझगवां के वनखण्ड छनिहरा के कक्ष क्रमांक पी-870 में रकवा 4.600 हेक्टेयर वन भूमि में लेटराईट, व्हाईट, क्ले, ओकर्स के उत्खनन नवीनीकरण का प्रस्ताव-मेसर्स शरद कुमार बंसल, मुकाम-पोस्ट जैतवारा जिला सतना।

संदर्भ:-आपका पत्र क्रमांक/मा0चि0/3256 दिनांक 26.5.2014।

आपके संदर्भित पत्र से रीवा वृत्त के वनमण्डल सतना के परिक्षेत्र मझगवां के वनखण्ड छनिहरा के कक्ष क्रमांक पी-870 में रकवा 4.600 हेक्टेयर वन भूमि में लेटराईट, व्हाईट, क्ले, ओकर्स के उत्खनन नवीनीकरण का प्रस्ताव-मेसर्स शरद कुमार बंसल, मुकाम-पोस्ट जैतवारा जिला सतना के सम्बन्ध में अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म0प्र0 भोपाल के पत्र दिनांक 12.5.2014 से भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र दिनांक 5.7.2013 से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वनभूमि व्यवर्तन के प्रकरणों में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत संबंधित कलेक्टर अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीन संशोधित प्रपत्रों में भेजा जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

मेसर्स शरद कुमार बंसल मु0पोस्ट जैतवारा द्वारा विषयांकित के सम्बन्ध में चाहे गये अनुसार नवीन संशोधित प्रपत्रों में कलेक्टर सतना द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 20.10.2014 को इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर आपकी ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

संलग्न:- अनापत्ति प्रमाण पत्र।

वन संरक्षक

एवं पदेन वन मण्डल अधिकारी  
वन मण्डल सतना

पृष्ठांकन क्रमांक/मा0चि0/7160 सतना, दिनांक / ( / ) /2014

प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन म0प्र0 भोपाल की ओर उनके संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ सम्प्रेषित।

संलग्न:- अनापत्ति प्रमाण पत्र।

2. मेसर्स शरद कुमार बंसल मुकाम -पोस्ट जैतवारा जिला सतना की ओर सूचनार्थ।

वनसंरक्षक

एवं पदेन वनमण्डल अधिकारी  
वन मण्डल सतना

28/10/14



कार्यालय वन वृत्त रीवा (मध्यप्रदेश)  
केन्द्रीय विद्यालय मार्ग, जयंती कुंज रीवा (म.प्र.) 486001  
Fax-241689 E-mail cfrewa@mp.gov.in

\*\*\*\*\*

क्रमांक/मा0चि0/  
प्रति,

रीवा, दिनांक

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
(भू-प्रबंध)

मध्यप्रदेश भोपाल

विषय:- रीवा वृत्त के वनमण्डल सतना के परिक्षेत्र मझगवां के वनखण्ड छनिहरा के कक्ष क्रमांक पी-870 मे रकबा 4.600 हेक्टेयर वन भूमि मे लेटराइट ब्लाइट, क्ले ओकर्स के उत्खनन नवीनीकरण का प्रस्ताव- मेसर्स शरद कुमार बंशल, मुकाम-पोष्ट जैतवारा जिला सतना ।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/एफ-1/704/2013/10-11/1038 दिनांक 25.04.2014 एवं वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सतना का पत्र क्रमांक/ मा0चि0/7159 दिनांक 01-11-2014

---:00:---

विषयांकित संदर्भित पत्र के संबंध में निवेदन है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत परिक्षेत्र मझगवां के वनखण्ड छनिहरा के कक्ष क्रमांक पी-870 रकबा 4.600 हेक्टेयर वन भूमि में लेटराइट ब्लाइट, क्ले ओकर्स के उत्खनन नवीनीकरण के भेजे गये प्रस्ताव मे भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र दिनांक 05.07.2013 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि व्यपवर्तन के प्रकरणों में अनुसूचित जनजाति और अन्य पम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत संबंधित कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीन संशोधित प्रपत्रों में वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सतना द्वारा प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है, जो संलग्न कर अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

मुख्य वन संरक्षक  
रीवा वृत्त, रीवा (म0प्र0)

रीवा, दिनांक 25-11-14

पृ0 क्रमांक/मा0चि0/ 7200  
प्रतिलिपि :-

- 1- वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सतना की ओर उनके पत्र क्रमांक/मा0चि0/7159 दिनांक 01-11-2014 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
- 2- मेसर्स शरद कुमार बंशल मुकाम पोष्ट जैतवारा जिला सतना (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक  
रीवा वृत्त, रीवा (म0प्र0)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल  
क्रमांक/एफ-1/704/2013/10-11/  
प्रति,

जिलाध्यक्ष,  
जिला-सतना, मध्यप्रदेश।

विषय:-रीवा वृत्त के वनमण्डल सतना के परिक्षेत्र मझगंवा के वनखण्ड छनिहरा के कक्ष क्रमांक पी-870 में रकबा 4.600 हेक्टेयर वन भूमि में लेटराईट व्हाइट, क्ले ओकर्स के उत्खनन नवीनीकरण का प्रस्ताव-मेसर्स शरद कुमार बंसल, मुकाम-पोस्ट जैतवारा जिला सतना।

—0—

उपरोक्त विषयांकित वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु नवीनीकरण प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक रीवा के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। जिसमें वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत आपके द्वारा जारी प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा जारी नवीन प्रपत्र Annexure-II, FORM-II में प्रस्तुत किये गये हैं (छायाप्रति संलग्न) परंतु प्रमाण पत्र के बिंदु क्रमांक-ए के अनुसार जिला स्तरीय समिति के अभिलेख एवं उपखंड स्तरीय समिति के अभिलेख संलग्न नहीं किये गये हैं, जो कि अति आवश्यक है।

अतः लेख है कि जिला स्तरीय समिति एवं उपखंड स्तरीय समिति के तहत हुई बैठक के कार्यवाही विवरण के अभिलेख तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था करें ताकि विषयांकित प्रकरण का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार को प्रेषित किया जा सके।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ0क्रमांक/एफ-1/704/2013/10-11/253  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 24-1-15

1. मुख्य वन संरक्षक, रीवा वृत्त रीवा की ओर आपके पत्र क्रमांक/मा.चि./7199 दि. 25.11.2014 के संदर्भ में लेख है कि उपरोक्तानुसार जिलाध्यक्ष जिला सतना से जिला स्तरीय समिति एवं उप खंड स्तरीय समिति के अभिलेख प्राप्त कर तत्काल इस कार्यालय को भिजवायें।
  2. वन संरक्षक एवं पदेन वन मंडल अधिकारी, वन मंडल सतना, मध्यप्रदेश।
  3. जिलाध्यक्ष (खनिज शाखा) जिला-सतना, मध्यप्रदेश।
  4. मेसर्स शरद कुमार बंसल, मुकाम-पोस्ट जैतवारा जिला सतना।
- की ओर मुख्य वन संरक्षक रीवा के पत्र क्रमांक/मा.चि./7199 दि. 25.11.2014 के तारतम्य में आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन,  
वन विभाग,  
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

वरिष्ठ P-18

क्रमांक/1452/2329/2016/10-3  
प्रति,

भोपाल दिनांक 27 सितम्बर, 2016

श्री निशीथ सक्सेना  
वरिष्ठ सहायक वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)  
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगज  
जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110001

विषय : ग्राम पिपरीटोला तह0 मझगवां, जिला सतना के परिक्षेत्र मझगवां के अन्तर्गत कक्ष क्रं0 पुराना पी 203/नया पी 870, रकबा 4.60 हे0 वनभूमि में लेट्टराइट, व्हा.क्ले, ओकर्स के उत्खनन हेतु मेसर्स शरद कुमार बंसल, मु0-पो0 जैतवारा, जिला सतना को उपयोग पर देने बाबत।

—00—

विषयांकित प्रकरण में श्री शरद कुमार बंसल, ग्राम/पोस्ट जैतवारा, जिला सतना से प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक 21.07.2016 की छायाप्रति सहफाइलों सहित संलग्न है, जिसमें उनके द्वारा खान एवं खनिज संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रावधानों एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 01.04.2015 के प्रावधानों के अनुसार उन्हें स्वीकृत खनिपट्टा की अवधि 50 वर्ष मान्य करने हेतु अनुरोध किया गया है। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-000

- (i) श्री शरद कुमार बंसल, ग्राम/पोस्ट जैतवारा, जिला-सतना को ग्राम पिपरीटोला तह0 मझगवां, जिला सतना के परिक्षेत्र मझगवां के अन्तर्गत कक्ष क्रं0 पुराना पी 203/नया पी 870, रकबा 8.00 हे0 वनभूमि में लेट्टराइट, व्हाइट क्ले, ओकर्स के उत्खनन की स्वीकृति भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8सी/5/435/1997-FCW/2971 दिनांक 19.12.2002 से प्रदान की गई थी, जिसमें से 3.40 हेक्टेयर क्षेत्र आवेदक द्वारा समर्पण कर शेष 4.60 हेक्टेयर क्षेत्र भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8सी/5/435/1997-FCW/2971 दिनांक 21.07.2009 से स्वीकृत किया गया।
- (ii) उक्त स्वीकृत क्षेत्र के लिये आवेदक द्वारा नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि रुपये 28,79,600.00 भी वनमण्डलाधिकारी, सतना के कार्यालय में जमा करा दी गई थी, जिसके उपरान्त कार्य करने की सहमति प्रदान की गई है।
- (iii) उक्त खनिपट्टा क्षेत्र दिनांक 19.12.2002 से 18.12.2012 तक 10 वर्षों के लिये स्वीकृत था, जिसमें आवेदक द्वारा माईनिंग का कार्य किया गया।
- (iv) आवेदक द्वारा नवीनीकरण का प्रकरण अवधि समाप्त होने के पूर्व नियमानुसार कलेक्टर, खनिज शाखा के यहाँ प्रस्तुत किया गया, जिसे उनके द्वारा दिनांक

✓


20.12.2010 को वन संरक्षक, सतना को प्रेषित किया गया, जो आज दिनांक तक विचाराधीन है।

- (v) आवेदक द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र दिनांक 01.04.2015 के पैरा-2 का संदर्भ देते हुये लेख किया गया है कि ऐसे समस्त प्रस्ताव जो नवीनीकरण हेतु विचाराधीन है कि अवधि खनिज मूल पट्टा अनुसार ही 50 वर्षों के लिये मान्य किया गया है साथ ही भारत का राजपत्र जो 12.01.2015 को प्रकाशित हुआ है उसके अनुसार समस्त खनिज पट्टों की अवधि मूल स्वीकृति से 50 वर्ष कर दी गई है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा S.B. CIVIL W.P. NO. 12767 of 2015 निर्णय दिनांक 16.12.2016, मे 0 इण्डस्ट्रीयल मिनरल सप्लायर्स विरुद्ध राजस्थान सरकार एवं अन्य के मामले में दिये गये निर्णय की प्रति संलग्न की गई है, जिसमें 50 वर्ष तक कार्य करने की अनुमति के आदेश दिये गये हैं।
- (vi) आवेदक द्वारा लेख किया गया है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत पूर्व में ही उन्हें स्वीकृति प्राप्त है तथा नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि भी जमा की गई है। अतः स्वीकृत खनिज पट्टे की अवधि मूल स्वीकृत दिनांक से 50 वर्ष करने साथ ही माईनिंग कार्य करने की अनुमति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। जिससे प्रार्थी को खनिज पट्टा की अवधि का नुकसान न हो।

2/ उपरोक्तानुसार आवेदक का प्रकरण अभी तक नवीनीकरण हेतु लंबित है। भारत का राजपत्र, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 जो 12.01.2015 को प्रकाशित हुआ है, उसके प्रावधान अनुसार समस्त खनिज पट्टों की अवधि 50 वर्ष की गई है, साथ ही भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 11-51/2015/एफ.सी. दिनांक 01.04.2015 के पैरा-2 एवं जारी दिशा-निर्देश 01.05.2015 में उल्लेख अनुसार समस्त खनिज पट्टों को भविष्य में नवीनीकरण न करते हुये उनके मूल स्वीकृति पट्टा अवधि से 50 वर्ष की अवधि मान्य की गई है। इस प्रकार आवेदक का खनिज पट्टा उनके मूल स्वीकृति पट्टा अवधि से 50 वर्ष मान्य करने योग्य है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 01.04.2015 एवं 01.05.2015 के अनुक्रम में उक्त खनिज पट्टे की अवधि को विस्तारित (EXTEND) मान्य की जाये अथवा नहीं कृपया मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

  
(रमेश कुमार श्रीवास्तव)  
सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग  
भोपाल दिनांक 27 सितम्बर, 2016

पृ.क्र./1453/2329/2016/10-3  
प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, लिंक रोड नं.-3 रविशंकर, नगर भोपाल की ओर आवेदन पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय भोपाल
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल
4. मुख्य वन संरक्षक, रीवा वृत्त रीवा, मध्यप्रदेश
5. कलेक्टर (खनिज शाखा) सतना, मध्यप्रदेश
6. वन संरक्षक वन मण्डल कार्यालय सतना, मध्यप्रदेश
5. श्री शरद कुमार बंसल, पोस्ट जैतवारा जिला-सतना, मध्यप्रदेश, 489221  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
वन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल, 462004

क्रमांक/एफ-25-1/2017/10-3  
प्रति,

भोपाल, दिनांक: जनवरी, 2017

श्री निशीथ सक्सेना  
वरिष्ठ सहायक महानिरीक्षक, (एफ.सी.)  
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
पर्यावरण भवन, इंदिरा पर्यावरण भवन,  
अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110001

विषय:- ग्राम पिपरीटोला तह0 मझगवां, जिला सतना के परिक्षेत्र मझगवां के अन्तर्गत कक्ष क्रं0 पुराना पी 203/नया पी 870, रकबा 4.60 हे0 वनभूमि में लेट्टराइट, व्हा.क्ले, ओकर्स के उत्खनन हेतु मेसर्स शरद कुमार बंसल, मु0-पो0 जैतवारा, जिला सतना को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- इस विभाग पत्र क्रमांक 1452/2329/2016/10-3 दिनांक 27.09.2016.

—0—

उपरोक्त विषय में कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें।

2/ विषयांकित प्रकरण में आवेदक श्री शरद कुमार बंसल, मु.पो. जैतवारा, जिला-सतना से प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक 21.07.2016 की छायाप्रति सहपत्रों सहित इस विभाग के संदर्भित पत्र दिनांक 27.09.2016 (छायाप्रति संलग्न) से प्रेषित कर भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 11-51/2015-एफसी दिनांक 01.04.2015 में दिये गये निर्देश के अनुक्रम में खनिपट्टे की अवधि को विस्तारित (Extend) मान्य की जाये अथवा नहीं, मार्गदर्शन चाहा गया था, जो अभी तक अप्राप्त है।

3/ आवेदक सस्थान द्वारा पुनः स्मरण पत्र दिनांक 06.01.2017 (छायाप्रति संलग्न) प्रेषित कर प्रकरण में शीघ्र निराकरण करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः निर्देशानुसार अनुरोध है कि इस विभाग के पत्र दिनांक 27.09.2016 के संदर्भ में कृपया भारत सरकार का अभिमत शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही हेतु निर्णय लिया जा सके।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(रमेश कुमार श्रीवास्तव)  
सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग  
भोपाल, दिनांक 30 जनवरी, 2017

पृ0क्रमांक/एफ-25-1/2017/10-3  
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. मुख्य वन संरक्षक, रीवा वृत्त रीवा, मध्यप्रदेश।
4. कलेक्टर (खनिज शाखा) सतना, मध्यप्रदेश।
5. वनमंडलाधिकारी (सामान्य) वन मंडल, सतना, मध्यप्रदेश।
6. वन संरक्षक वनमंडल कार्यालय, सतना, मध्यप्रदेश।
7. मेसर्स शरद कुमार बंसल, ग्राम पोस्ट जैतवारा जिला-सतना, मध्यप्रदेश 489221.  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) शाखा जिला सतना (म0प्र0)  
 क्र0/वन अधि./जनजातीय/2017-18/ 6482 सतना, दिनांक 2/03/2018  
 प्रति,

श्री शरद कुमार वंशल  
 निवासी ग्राम जैतवारा तहसील विरसिंहपुर  
 जिला सतना (म0प्र0)

विषय:- ग्राम पिपरीटोला तहसील विरसिंहपुर जिला सतना के 4.60 हे. वन क्षेत्र पर ओकर, व्हाइट क्ले, लेटराइट का उत्खनन हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनुमति बावत्।

.....00.....

कृपया विषयांकित के संबंध में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा संस्थान शरद कुमार वंशल द्वारा ग्राम पिपरीटोला तहसील विरसिंहपुर जिला सतना के 4.60 हे. वन क्षेत्र पर ओकर, व्हाइट क्ले, लेटराइट का उत्खनन हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनापत्ति हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुआ।

उक्त परियोजना निर्माण कार्य में आने वाली वन भूमि का कुल योग 4.60 हे. वनभूमि प्रभावित होने का उल्लेख संस्थान द्वारा किया गया है, तथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र चाहा गया है।

अतः जिला समिति द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक 05.02.2018 में पारित किया गया है। तत्पश्चात अनापत्ति प्रमाण पत्र कलेक्टर महोदय द्वारा जारी किया गया। जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं ग्राम स्तरीय समिति का कार्यवाही विवरण उपखंड स्तरीय समिति का कार्यवाही विवरण एवं जिला स्तरीय समिति का कार्यवाही विवरण संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार ।

जिला संयोजक  
 जनजातीय कार्य विभाग  
 जिला सतना(म0प्र0)

पृष्ठा.क्र0/वन अधि./जनजातीय/2017-18/ 6483 सतना, दिनांक 2/03/2018  
 प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर जिला सतना।
2. वन संरक्षक एवं पदेन वनमंडल अधिकारी जिला सतना की ओर सूचनार्थ

जिला संयोजक  
 जनजातीय कार्य विभाग  
 जिला सतना(म0प्र0)



# कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, वनमण्डल सतना, मध्य प्रदेश

E-mail-[dfosatna@mp.gov.in](mailto:dfosatna@mp.gov.in)

Phone- 07672-223355

क्रमांक / मा0चि0 / 355/  
प्रति,

सतना, दिनांक / 24 / 2018

मुख्य वनसंरक्षक  
रीवा वृत्त रीवा

विषय- रीवा वृत्त के वनमण्डल सतना के परिक्षेत्र मझगवां के वनखण्ड छनिहरा के कक्ष क्रमांक पी-870 में रकवा 4.600 हेक्टैयर वनभूमि में लेटराइट व्हाइट, क्ले ओकर्स के उत्खनन नवीनीकरण का प्रस्ताव मेसर्स शरद कुमार बंसल मुकाम पोस्ट जैतवारा जिला सतना।

संदर्भ- अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन म0प्र0 भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-1/ 704/ 2013/10-11/254 दिनांक 24.01.2015।

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन म0प्र0 भोपाल के संदर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण के सम्बन्ध में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत जारी प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा जारी नवीन प्रपत्र Annexure-II, FORM-II में प्रमाण के विन्दु क्रमांक-ए के अनुसार जिला स्तरीय समिति के अभिलेख एवं उपखण्ड स्तरीय समिति के अभिलेख संलग्न नहीं किये गये हैं, जो अति आवश्यक है। जिला स्तरीय समिति एवं उपखण्ड स्तरीय समिति के तहत हुई बैठक के कार्यवाही विवरण के अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश हैं।

जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग जिला सतना के पत्र क्रमांक/6482 दिनांक 12.03.2018 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं ग्राम स्तरीय समिति का कार्यवाही विवरण, उपखण्ड स्तरीय समिति का कार्यवाही विवरण एवं जिला स्तरीय समिति का कार्यवाही विवरण संलग्न कर आवेदक श्री शरद कुमार बंसल जैतवारा को प्रदा किया गया है। श्री शरद कुमार बंसल जैतवारा द्वारा अपने आवेदन दिनांक 14.03.2018 से उपरोक्त अभिलेख इस कार्यालय में प्रस्तुत किये गये हैं।

अतः जिला स्तरीय समिति एवं उपखण्ड स्तरीय समिति के तहत हुई बैठक के कार्यवाही विवरण के अभिलेख एवं Annexure-II, FORM-II आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर सादर प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

पृष्ठांकन क्रमांक / मा0चि0 /  
प्रतिलिपि:-

सतना, दिनांक / / / 2018

वनमण्डल अधिकारी  
वनमण्डल सतना

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन म0प्र0 भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ सम्प्रेषित।

51-  
वनमण्डल अधिकारी  
वनमण्डल सतना

कार्यालय वन वृत्त शीवा (म.प्र.)

परिशिष्ट P-22

क्रमांक/मा0चि0/04/2-  
प्रति.

अपर प्रधान मुख्य वन सहायक  
(कक्षा मू-प्रबंध)  
सतपुडा गवन सोभाल (म.प्र.)

विषय-

शीवा वृत्त के वनमण्डल सतना के परिधेय मंडागवा के वनमण्डल सतना के वन कमाक पी-870 में रकबा 4600 हेक्टर वन भूमि में लटवाइत करीब वन क्षेत्र के उत्खनन नवीनीकरण के प्रस्ताव-मसारी शरद कमाक केमल पकाल के जैतवारा जिला सतना ।

सन्दर्भ-

आपका पृष्ठा कमाक एफ-1/704/2013/10-11/253 दिनांक 24.01.2014 वनमण्डलाधिकारी सतना का पत्र कमाक / मा0चि0/3051 दिनांक 02.04.2014

0

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुरोध है कि सदरमित पत्र द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के व्यपवर्तन हेतु नवीनीकरण प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्र कमाक मा0 चि0 7100 दिनांक 25.11.2014 से प्रेषित किया गया था जिसमें वन अधिकार अधिनियम 2008 के तहत जारी प्रमाण पत्र के बिन्दु कमाक -ए के अनुसार जिला स्तरीय समिति एवं उपमण्डल स्तरीय समिति के तहत हुई बैठक के कार्यवाही विवरण प्राप्त कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अतः वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सतना द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2008 के तहत जारी प्रमाण पत्र के बिन्दु कमाक -ए के अनुसार वांछित कार्यवाही विवरण आवेदक संस्थान से प्राप्त कर कार्यालयीन पत्र कमाक/ मा0चि0/3051 दिनांक 02.04.2014 द्वारा प्रेषित किया है जो मूलतः अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।  
संलग्न - उपरोक्तानुसार।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

मुख्य वन सहायक  
शीवा वृत्त शीवा (म.प्र.)

पृष्ठा0क्रमांक/मा0चि0/04/3

प्रतिलिपि- वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सतना की ओर आपके पत्र कमाक/ मा0चि0/3051 दिनांक 02.04.2014 के तारतम्य में सूचनार्थ सम्प्रेषित है।

मुख्य वन सहायक  
शीवा वृत्त शीवा (म.प्र.)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-1/FP/MP/MIN/33660/2018/JS34  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 25-5-18

श्री शरद कुमार बंसल,  
पो.ओ. जैतवारा, जिला-सतना,  
मध्य प्रदेश।

विषय:- वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत आवेदक संस्थाओं द्वारा नोडल अधिकारी स्तर पर प्राप्त होने वाले ऑनलाईन प्रस्ताव के संबंध में - **Renewal of Mining of Ocrel White clay & Granite Open Cast Mine (4.6 ha.)**

—0—

विषयांकित प्राप्त ऑनलाईन प्रस्ताव के फार्म-बी का परीक्षण करने पर प्रस्ताव में निम्न कमियां पाई गई हैं:-

1. अनुक्रमांक A-5 कॉलम में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल द्वारा पूर्व में प्रदाय की गई औपचारिक अनुमति पत्र में अधिरोपित शर्तों को एवं शर्तों के पालन की जानकारी भरी नहीं गई है।
2. अनुक्रमांक H-(i) कॉलम में पर्यावरणीय अनुमति पत्र की जानकारी भरी नहीं गई है।
3. अनुक्रमांक M-2(i) कॉलम में माईनिंग प्लान अनुमोदित होने की तिथि त्रुटिपूर्ण है।
4. अनुक्रमांक M-2(ii) कॉलम में माईनिंग प्लान अनुमोदित होने का पत्र अपलोड नहीं किया गया है। नो डाटा लेख है।
5. अनुक्रमांक M-2(vi) कॉलम में वनक्षेत्र उपयोग के प्लान की विस्तृत जानकारी 14,000 स्केल के मानचित्र में दर्शाया जाकर जी.पी.एस. रीडिंग सहित मानचित्र अपलोड नहीं किया गया है।
6. अनुक्रमांक M-4(i), M-5.1, M-5.2 कॉलम में पूर्वक्षण कार्य करने की जानकारी भरी नहीं गई है।
7. अनुक्रमांक M-7(ii) में खनिज परिवहन के लिये मार्गों की विस्तृत जानकारी तथा सर्वे ऑफ इंडिया के मानचित्र में मार्गों को दर्शाने वाला मानचित्र अपलोड नहीं किया गया है।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर प्रस्ताव शीघ्र ऑनलाईन इस कार्यालय को भिजवायें, जिससे कि प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जा सके।

(सुनील अग्रवाल)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल



shrad kumar bansal &lt;bkujtw@gmail.com&gt;

**Email Alert From System Administrator of Online Submission and Monitoring of Forests Clearances Proposal(OSMFCP) portal**

monitoring-fc@nic.in &lt;monitoring-fc@nic.in&gt;


Thu, Jun 7, 2018 at 2:50 PM

To: [bkujtw@gmail.com](mailto:bkujtw@gmail.com)Cc: [monitoring-fc@nic.in](mailto:monitoring-fc@nic.in)

A proposal seeking prior approval of Central Government under the Forest (Conservation) Act 1980, as per the details given below, has been examined by the Nodal Officer, Forest (conservation) Act, 1980, Government of Madhya Pradesh and has been found to be complete in all respect.

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <b>1. Proposal No.</b>                               | : | FP/MP/MIN/33660/2018                                      |
| <b>2. Proposal Name</b>                              | : | Renewal of Mining reserve of Ochre, White clay & Laterite |
| <b>3. Category of the Proposal</b>                   | : | Mining  |
| <b>4. Date of Submission</b>                         | : | 07/06/2018  |
| <b>5. Name of the Applicant with Contact Details</b> |   |   |
| Name   | : | Sharad  |
| Mobile No.   | : | 9425330497  |
| State  | : | Madhya Pradesh  |
| District   | : | Satna   |
| Pincode  | : | 485221  |
| <b>6. Area Applied (ha.)</b>                         | : | 4.6   |

Please provide duly signed hard copy of the above proposal along with all necessary enclosures to the office of the each concerned Divisional Forest Officer and the District Collector and upload a copy of the acknowledgement slip(s) (single pdf file) as per the format given below, obtained from each of the above authorities, on portal of this Ministry for further processing of the above proposal.



(System Administrator)



# कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, वनमण्डल सतना, मध्य प्रदेश

E-mail-[dfosatna@mp.gov.in](mailto:dfosatna@mp.gov.in)

Phone- 07672-223355

क्रमांक / मा०चि० / 8170  
प्रति,

सतना, दिनांक / 7 / 8 / 2018

मुख्य वनसंरक्षक  
रीवा वृत्त रीवा

विषय- जिला सतना में तहसील मझगवां के ग्राम पिपरीटोला के वन कक्ष क्रमांक पुराना पी-203 (नया पी-870) में रकवा 4.600 हेक्टैयर वनक्षेत्र में ओकर, व्हाइट क्ले, लेटराइट उत्खनन के नवीनीकरण प्रस्ताव आवेदक शरद कुमार बंसल ग्राम जैतवारा, जिला सतना (म०प्र०)।

संदर्भ- नोडल अधिकारी अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन म०प्र० भोपाल से प्राप्त ऑन लाइन प्रकरण दिनांक 12.06.2018।

नोडल अधिकारी अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन म०प्र० भोपाल से ऑन लाइन प्रकरण दिनांक 12.06.2018 से जिला सतना में तहसील मझगवां के ग्राम पिपरीटोला के वन कक्ष क्रमांक पुराना पी-203 (नया पी-870) में रकवा 4.600 हेक्टैयर वनक्षेत्र में ओकर, व्हाइट क्ले, लेटराइट उत्खनन के नवीनीकरण प्रस्ताव आवेदक शरद कुमार बंसल ग्राम जैतवारा, जिला सतना (म०प्र०) भाग-2 की पूर्ति हेतु प्राप्त हुआ है। उक्त ऑन लाइन प्रकरण की भाग-2 की पूर्ति की जाकर ऑन लाइन प्रकरण आपकी ओर प्रेषित किया गया है तथा प्रस्ताव की हार्ड कॉपी 5 प्रतियों में संलग्न कर आपकी ओर अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

पृष्ठांकन क्रमांक / मा०चि० /  
प्रतिलिपि:-

सतना, दिनांक / / / 2018

आवेदक श्री शरद कुमार बंसल मु०पो० जैतवारा जिला सतना की ओर सूचनार्थ।

वनमण्डल अधिकारी  
वनमण्डल सतना

वनमण्डल अधिकारी  
वनमण्डल सतना

कार्यालय वनसुखन अफेयर्स, वनसुखन सतमा मण्डल

dfotsatna@mp.gov.in  
DFO Inspection Report

Name of the Project :- Ochre, White Clay, Laterite Opencast Mining

Name of District/Division :- Satma

Name of Forest Range :- Majhgawan, Block-Chhanihara, Beat-Pipartola.

Forest Compartment No. :- P-203 (old), P-870 (new)

Date:- 01/08/2018

Sr. no.	Particular
1.	Extent is hectares.
2.	Location (lat-long) of the forest land proposed for diversion.
3.	Legal status of the forest land (Protected forest, reserved forests, revenue forest lands or any other forest land).
4.	Demarcation of the area with temporary cairns etc.
5.	Any signs of encroachment.
6.	Any activity already taken up within the forest land or adjoining non-forest land as part of the proposed project by the user agency. Details of action taken against the user agency in case of violation of the FC Act and Guidelines there under.
7.	Status of vegetation. Site quality, species composition etc.
8.	Importance of area from wildlife point of view. Status of wildlife (density and abundance of important species, bird life reptiles, butterflies and other scheduled animals, any endangered wildlife). Any latest census of wildlife in this area.
9.	Endemism of flora/fauna or any other unique ecosystem in the area.
10.	Current land use. Is this area managed as per prescriptions in the Working Plan and, if not, why?
11.	Importance of the area from historical or religious point of view

Point	Longitude	Latitude
A	N24°50'40.5"	E080°55'06.4"
B	N24°50'40.5"	E080°55'06.4"
1	N24°50'42.8"	E080°55'08.3"
2	N24°50'46.7"	E080°55'16.0"
3	N24°50'50.7"	E080°55'15.5"
4	N24°50'49.3"	E080°55'08.8"
5	N24°50'50.0"	E080°55'06.1"

परिचित वन क्षेत्र

आवृत्त क्षेत्र का सीक पर वन-विभाग

जी.पी.एम. द्वारा सर्वे किया गया है

नहीं

नहीं

नहीं

वन प्रणी संरक्षण क्षेत्र नहीं है।

नहीं

आक्य, फाइट वन, लेटराइट खनन परियोजना हेतु नक्कल गायी क्षेत्र आवृत्त है।

नहीं

12.	Any dependent persons/families on this land	नहीं
13.	Any displacement of persons proposed.	नहीं
14.	Is there any Rehabilitation and Resettlement Plan for the persons to be affected? Is there any dissenting ?	नहीं
15.	Compensatory afforestation proposed is on forest land or non-forest land. Location of this area, suitability of the area for CA. If in the degraded forest land then what is the current Working Plan prescription for the area? Distance of the non-forest land for CA from the nearest forest area. Number of patches in case the area should be more than 10 kms.	पूर्व में प्रकरण में 8 हे० की स्वीकृति भारत शासन से प्राप्त है, जिसकी लीज अवधि 18 दिसम्बर 2012 तक थी, जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। आवेदक संस्थान द्वारा 8 हे० वन भूमि के बदले में नयागोंव तह० बिरसिंहपुर के खसरा क्र०. 96/1 रकवा 8 हे० गैर वन भूमि प्रदाय की जा चुकी है, जिसमें वैकल्पिक वृक्षारोपण का कार्य किया जा चुका है। उक्त गैर वन भूमि का म०प्र० वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के तहत अधिसूचना दिनांक 17.02.2003 को किया जा चुका है। उक्त प्रकरण 4.60 हे० नवकरण का है जिसमें गैर वन भूमि एवं वृक्षारोपण की आवश्यकता नहीं है।
16.	Proposed area should not be part of any protected area. Also distance form the boundary of the nearest protected area should be more than 10 kms.	नहीं
17.	Dependence of tribals in the area. Whether the rights of the tribals have been recognized in the area.	कलेक्टर सतना का प्रमाण पत्र संलग्न है।
18.	Utility of the project, including the people living in closed vicinity of the project.	नहीं है
19.	In case of renewal whether all the conditions stipulated in the earlier sanction order have been complied with.	अधिरोपित शर्तों का पालन पूर्ण रूप से किया गया है।
20.	Alternatives examined by the user agency in case of non-site specific projects.	कोई विकल्प नहीं हैं।
21.	A certificate by the user agency that the forest land requested for diversion for non-forestry purpose is bare minimum.	आवेदक संस्थान के द्वारा वन क्षेत्र का उचित न्यूनतम है।
22.	Any scope of saving tree growth while ensuring that the purpose for which the forest land is being diverted is also not adversely affected.	नहीं
23.	Any other issue of significance.	कुछ नहीं है।
24.	Specific recommendations of the DFO with reasons for approval of the project.	वनमंडल सतना के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि 4.60 हे० वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत ओपेनकास्ट माइनिंग उपयोग के लिये नवीनीकरण का प्रस्ताव है। स्वीकृति दिया जाना है।

4/7/2018  
वनपरिक्षेत्राधिकारी  
वनपरिक्षेत्र मझगवाँ

4/7/2018  
उपवन मंडल अधिकारी चित्रकूट  
जिला- सतना (म०प्र०)

4/7/2018  
वन परिक्षेत्राधिकारी  
Divisional Forest Officer  
उपवन मंडल, सतना  
Place  
Date 01/08/2018

## Recommendation of DFO

सतना जिले के वनमण्डल सतना अन्तर्गत वन परिक्षेत्र मझगवां के ग्राम पिपरीटोला कक्ष क्रमांक पी-203 (नया 870) रकवा 4.600 हेक्टेयर वन क्षेत्र में ओकर, व्हाइट क्ले एवं लेटराइट उत्खनन के नवीनीकरण का प्रस्ताव ऑन लाइन प्राप्त हुआ था, जिसमें ऑन लाइन भाग-2 की पूर्ति उपरान्त वनमण्डल सतना के वन परिक्षेत्र मझगवां कक्ष क्रमांक पी-203 (नया 870) में नवीनीकरण के प्रस्ताव 4.600 हेक्टेयर में ओकर, व्हाइट क्ले एवं लेटराइट के उत्खनन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृत किये जाने हेतु आवेदक शरद कुमार बंसल ग्राम पोस्ट जैतवारा जिला सतना का प्रकरण अनुशंसित है।

वन मण्डल अधिकारी  
वन मण्डल, सतना (म.प्र.)  
वनमण्डल सतना

## कार्यालय वन वृत्त रीवा (म.प्र.)

जयंती कुन्ज वन विश्राम गृह के पास, सेंद्रल स्कूल मार्ग रीवा  
Fax-241689, E-mail- ccf.rwa@mp.gov.in, Ph-242098क्रमांक/मा0चि0/8110  
प्रति,

रीवा/दिनांक 23-08-18

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
( भू-प्रबंध )  
सतपुडा भवन भोपाल म0प्र0

विषय:- जिला सतना में तहसील मझगवां के ग्राम पिपरीटोला के वन कक्ष क्रमांक पुराना पी-203(नया पी-870) में रकबा 4.600 हेक्टेयर वनक्षेत्र में ओकर, व्हाइट क्ले, लेटराइट उत्खनन के नवीनीकरण प्रस्ताव आवेदक शरद कुमार बंसल ग्राम जैतवारा, जिला सतना (म0प्र0)

सन्दर्भ:- वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सतना का पत्र क्रमांक/मा0चि0/8170 दिनांक 07.08.2018

—0—

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र के संबंध में निवेदन है कि वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सतना द्वारा संदर्भित पत्र से आन लाईन प्राप्त प्रकरण की परीक्षणोपरान्त समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति की जाकर प्रकरण आन लाईन एवं हार्ड कापी में इस कार्यालय की ओर भेजा गया है, जिसकी इस कार्यालय द्वारा भी आन लाईन पूर्ति की जाकर हार्ड कापी आपकी ओर अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

मुख्य वन संरक्षक  
रीवा वृत्त रीवा (म.प्र.)

पृष्ठांकन/क्रमांक/मा0चि0/

प्रतिलिपि:- (1) वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सतना की ओर उनके पत्र क्रमांक/मा0चि0/8170 दिनांक 07.08.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ।

(2) श्री शरद कुमार बंसल मु0पो0 जैतवारा जिला सतना की ओर सूचनार्थ।

मुख्य वन संरक्षक  
रीवा वृत्त रीवा (म.प्र.)

भाग III  
संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।

1	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/ नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें	जी नहीं।
2	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत हैं। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	सहमत है।
3	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।	सतना जिले के वनमण्डल सतना अंतर्गत वन परिक्षेत्र मझगवां के ग्राम पिपरीटोला कक्ष क्रमांक पी-203(नया 870) रकबा 4.600 हेक्टेयर वनक्षेत्र में ओकर, व्हाइट क्ले एवं लेटराइट उत्खनन के नवीनीकरण प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृति किये जाने हेतु आवेदक शरद कुमार बंसल ग्राम पोष्ट जैतवारा जिला सतना का वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सतना द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर इस कार्यालय द्वारा भी स्वीकृति किये जाने हेतु अनुशंसित है।

तिथि : .....08.2018  
स्थान: रीवा

हस्ताक्षर वन संरक्षक  
रीवा वन क्षेत्र (म.प.)  
७

## Recommendation of CCF

सतना जिले के वनमण्डल सतना अंतर्गत वन परिक्षेत्र मझगवां के ग्राम पिपरीटोला कक्ष क्रमांक पी-203(नया 870) रकबा 4.600 हेक्टेयर वनक्षेत्र में ओकर, व्हाइट क्ले एवं लेटराइट उत्खनन के नवीनीकरण प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृति किये जाने हेतु आवेदक शरद कुमार बंसल ग्राम पोष्ट जैतवारा जिला सतना का वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सतना द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर इस कार्यालय द्वारा भी स्वीकृति किये जाने हेतु अनुशंसित है।

मुख्य वन संरक्षक  
रीवा वृत्त रीवा (म0प्र0)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-1/ FP/MP/MIN/33660/2018/

भोपाल, दिनांक

प्रेषक :-

सुनील अग्रवाल (भा.व.से.)  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं  
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980  
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),  
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, केन्द्रीय पर्यावरण भवन  
लिंग रोड नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- वन मंडल सतना के परिक्षेत्र मझगंवा ग्राम पिपरीटोला के कक्ष क्र. पी.एफ.-870 (नया) रकबा 4.600 हे. वनभूमि में ओपन कास्ट पद्धति से ओकर, व्हाइट क्ले, लेटराइट खनिज उत्खनन नवीनीकरण का श्री शरद कुमार बंसल, मु.पो. जैतवारा जिला सतना का प्रस्ताव।

-0-

मुख्य वन संरक्षक, रीवा के पत्र क्रमांक 8110 दिनांक 23.8.2018 से विषयांकित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

- श्री शरद कुमार बंसल, मु.पो. जैतवारा, सतना (रीवा) म.प्र. द्वारा वन मंडल सतना के वन परिक्षेत्र मझगंवा के ग्राम पिपरीटोला कक्ष क्र. पी.एफ.- 870 नया के रकबा 4.600 हे. वनभूमि में ओपन कास्ट पद्धति से ओकर, व्हाइट क्ले, लेटराइट खनिज उत्खनन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (2) नियम, 2003 के अंतर्गत नवीनीकरण का प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है:-

(i) वन भूमि :-

वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र	ग्राम का नाम	आरक्षित/संरक्षित वन खण्ड का नाम	कक्ष क्रमांक		रकबा (हेक्टे. में)
				पुराना	नया	
सतना	मझगंवा	पिपरीटोला	संरक्षित	PF- 203	PF- 870	4.600
योग-						4.600

- श्री शरद कुमार बंसल द्वारा ऑनलाईन पार्ट-1 की औपचारिकताएं पूर्ण की गई है।
- प्रस्ताव वेब पोर्टल के माध्यम से प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/33660/2018 ऑनलाईन इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है।
- आवेदक श्री शरद कुमार बंसल द्वारा 1:50000 स्केल के सर्वे ऑफ इंडिया के मानचित्र में नवीनीकरण हेतु प्रस्तावित खदान स्थल दर्शाकर मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।
- आवेदक द्वारा नवीनीकरण हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र का जियो रिफरेंस मानचित्र में अक्षांश/देशान्तर की रीडिंग अंकित कर मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।

6. आवेदक द्वारा परियोजना के कास्ट बेनिफिट एनालिसेस रिपोर्ट प्रस्ताव में संलग्न की गई है।
7. आवेदक द्वारा उक्त परियोजना के कार्य की भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा पत्र क्र. J-11015/234/2005-IA-II(M) दिनांक 01/08/2005 से प्रदत्त पर्यावरणीय अनुमति पत्र की प्रति प्रस्ताव में संलग्न की गई है।
8. आवेदक द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत संबंधित कलेक्टर सतना द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र क्र. 6482 दिनांक 12/03/2018 की प्रति सहपत्रो सहित प्रस्ताव में संलग्न की गई है।
9. आवेदक द्वारा प्रस्ताव में मेसर्स बलराम सिंह एसोसिएट प्रा.लि. मैहर जिला सतना द्वारा द्वारा वर्ष 2011-12 में तैयार की गई खनन योजना की प्रति प्रस्ताव में संलग्न की गई है।
10. खनन योजना अनुमोदित होने का भारत सरकार, खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो क्षेत्रीय, खान नियंत्रक का कार्यालय, जबलपुर के पत्र क्र. MP/Satna/Laterte/ M.Sch.-19/11-12/2733 दिनांक 10/10/2011 की प्रति प्रस्ताव में संलग्न है।
11. नवीनीकरण हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र भू-क्षरण होने की संभावना नहीं है।
12. प्रस्तावित वन क्षेत्र से किसी व्यक्ति या परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है।
13. वन मंडल अधिकारी, सतना द्वारा फार्म-बी के भाग-2 में प्रस्तावित वनक्षेत्र की इको-क्लास 3 तथा वनक्षेत्र का घनत्व 0.1 अंकित है।
14. प्रस्तावित वन क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों की संख्या निरंक है।
15. आवेदक द्वारा प्रस्तावित वन भूमि की मांग न्यूनतम की गई है।
16. प्रस्तावित वन भूमि राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य/बायोस्फियर रिजर्व/बाघ रिजर्व/ हाथी कॉरीडोर/वन्यप्राणी माइग्रेशन कॉरीडोर अन्तर्गत नहीं आता है।
17. प्रस्तावित वन भूमि राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य/बायोस्फियर रिजर्व/बाघ रिजर्व/ हाथी कॉरीडोर/वन्यप्राणी माइग्रेशन कॉरीडोर की सीमा से 10 कि.मी. की परिधि में नहीं आता है।
18. प्रस्तावित वन भूमि राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य/बायोस्फियर रिजर्व/बाघ रिजर्व/ हाथी कॉरीडोर/वन्यप्राणी माइग्रेशन कॉरीडोर की सीमा से 10 कि.मी. की परिधि में नहीं आता है।
19. प्रस्तावित वन क्षेत्र के अंतर्गत कोई पारम्परिक स्थल/ऐतिहासिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान नहीं है।
20. प्रस्तावित वनभूमि में वनस्पति और प्राणिजाति की दुर्लभ संकटापन विशिष्ट प्रजातियां नहीं पाई जाती है।


21. प्रस्ताव में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होना प्रतिवेदित नहीं है।
22. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक 8C/5/435/1997-FC दिनांक 21/07/2009 से रकबा 4.600 हे. वनक्षेत्र लेटराइट, व्हाइट क्ले, व ओकर्स 10 वर्ष की अवधि में उत्खनन हेतु श्री शरद कुमार बंसल को शर्तों के आधार पर औपचारिक अनुमति प्रदान की गई थी।
23. भारत सरकार, द्वारा अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन आवेदक द्वारा फार्म-बी में भरा गया है तथा शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।
24. प्रस्तावित प्रस्ताव नवीनीकरण का होने के कारण वैकल्पिक वृक्षारोपण नहीं किया जाना है, क्योंकि आवेदक द्वारा पूर्व में ही सतना जिले के रघुराजपुर तहसील के अन्तर्गत ग्राम- नयागांव के खसरा क्र. 96/1 (पार्ट ) में वैकल्पिक वृक्षारोपण रोपण हेतु रकबा 8.00 हे. गैरवनभूमि वन विभाग को दी जा चुकी है, जिसे म.प्र. राजपत्र दिनांक 28 फरवरी 2003 में अधिसूचित किया गया है जिसकी प्रति प्रस्ताव में संलग्न है।
25. वन मंडल अधिकारी, सतना द्वारा प्रस्तावित नवीनीकरण वनक्षेत्र के दिनांक 01/8/2018 को किये गये स्थल निरीक्षण का 24 बिन्दुओं पर आधारित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 01/08/2018 प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।
26. प्रस्तावित प्रस्ताव के भाग-2 में वन मंडल अधिकारी सतना द्वारा ओपन कास्ट पद्धति से लेटराइट, व्हाइट क्ले व आकर्स उत्खनन हेतु रकबा 4.600 हेक्टर वनभूमि आवेदक श्री शरद कुमार बंसल को नवीनीकृत कर उपयोग पर देने की अनुशंसा की गई है।
27. प्रस्तावित प्रस्ताव के भाग-3 में मुख्य वन संरक्षक, रीवा द्वारा रकबा 4.600 हे. वनभूमि में ओपन कास्ट पद्धति से लेटराइट, व्हाइट क्ले, व आकर्स उत्खनन के नवीनीकरण की अनुमति देने की अनुशंसा की गई है।

प्रस्ताव पर मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा अनुमति प्रदान करने का प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किया गया है। अतः प्रस्ताव की एक प्रति संलग्न कर अनुमति प्रदान करने का अनुरोध है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

(प्रस्ताव की एक प्रति)

भवदीय

  
(सुनील अग्रवाल)


पृ. क्रमांक/एफ-1/FP/MP/MIN/33660/2018/3112

भोपाल, दिनांक 5-10-18

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, रीवा वृत्त रीवा मध्य प्रदेश।
2. वन मंडल अधिकारी, (सा.) वन मंडल सतना, मध्य प्रदेश।
3. श्री शरद कुमार बंसल, मु.पो. जैतवारा, जिला सतना मध्य प्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल



भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST  
& CLIMATE CHANGE

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र  
Regional Office, Western Region  
"केन्द्रीय पर्यावरण भवन"  
"Kendriya Paryavaran Bhavan"  
लिंक रोड नं०-3, Link Road No. 3  
E-5, रविशंकर नगर/Ravi Shankar Nagar  
भोपाल (म०प्र०)/Bhopal-462016 (M.P.)  
Phone No. 0755- & 2466525, 2465496  
फैक्स नं./ Fax No. 0755-2463102  
अणुडाक /E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in

क्रमांक 6-MPC 066/2018-BHO/ 657  
प्रति,

दि. 3/12/18

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी  
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग  
सतपुड़ा भवन, भोपाल, (मध्यप्रदेश) ।

विषय: सतना जिले के परिक्षेत्र मझगंवा ग्राम- पिपरीटोला के कक्ष क्र० पी०एफ०-870 (नया) 4.600 हे०  
संरक्षित वनभूमि ओपन कास्ट पद्धति से ओकर व्हाइट क्ले, लेटराइट खनिज उत्खनन नवीनीकरण हेतु  
श्री शरद कुमार बंसल को उपयोग पर देने बाबत.

संदर्भ: आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक F-1/FP/MP/MIN/33660/2018/3111 dated 5/10/18.  
महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के संबंध में यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव से संबंधित  
निम्नलिखित जानकारियों/स्पष्टीकरण प्रेषित करने का कष्ट करें-

- 1) The original proposal was of Compartment No. PF-203 and at present it is in Compartment No PF-870. The fact needs to be supported by the approved working plan changes or notification, which is applicable.
- 2) The FCA approval for 4.6 ha was valid upto 18/12/2012 and the case was forwarded to this office for renewal after gap of 6 years. Therefore, status of the land during those 6 year along with the possession of land needs to be submitted to this office.
- 3) A certified copy of valid mining lease as on 8/10/2018 may kindly be submitted.
- 4) The DSS analysis shows the proposed area to be 0.58 ha short of 4.60 ha. So, correct area KML along with the approach road shall be submitted & uploaded on e. portal.
- 5) The DSS analysis shows the presence of MDF over 3 ha. State Govt. need to justify the stand with detail tree enumeration list and site photographs.
- 6) The State Govt. certified that CA was carried at on 8.00 ha. of non-forest land of Khasra No. 96/1 (Part). However, the Satellite images does not shows any plantation on the site. Therefore, SIR from concerned CCF for CA plantation may kindly be submitted.
- 7) The notification of CA land to PF/ RF needs to be submitted to this office.

उपरोक्त जानकारियों प्रेषित करने का कष्ट करें जिससे प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जा सके ।

भोपाल

(बी० अभय मास्कर)

उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि :

- 1) वनमण्डलाधिकारी, (सा०) वनमण्डल सतना, जिला-सतना, मध्यप्रदेश ।
- 2) श्री शरद कुमार बंसल, मु०पो०-जैतवारा, जिला-सतना, मध्यप्रदेश ।

भोपाल

(बी० अभय मास्कर)

उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-1/FP/MP/MIN/33660/2018/3140

भोपाल, दिनांक 30-9

प्रेषक :-

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं  
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980  
मध्यप्रदेश, भोपाल।

परी

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)  
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, पर्यावरण भवन,  
लिक रोड़ नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर,  
मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- सतना जिले के परिक्षेत्र मझगांवा ग्राम-पिपरीटोला के कक्ष क्र. पी.एफ.-870 (नया) 4.600 हे. संरक्षित वनभूमि ओपन कास्ट पद्धति से ओकर व्हाइट क्ले, लेटराइट खनिज उत्खनन नवीनीकरण हेतु श्री शरद कुमार बंसल को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/6-MPC066/2018-BHO/651 दिनांक 03/12/2018/10/2018

महोदय,

आपके संदर्भित पत्र द्वारा प्रकरण में 07 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। वन मंडल अधिकारी, सतना द्वारा अपने पत्र क्रमांक 9059 दिनांक 18/9/2019 से 07 बिन्दुओं की जानकारी प्रस्तुत की गई है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-


अ. क्र.	चाही गई जानकारी	उत्तर
1	The original proposal was of compartment No. PF-203 and at present it is in compartment No. PF-2870 . The fact needs to be supported by the approved working plan changes or notification, which is applicable.	सतना वन मंडल की कार्य आयोजना भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्र. 2967 दिनांक 10/12/2008 से पुनरीक्षित की गई थी, जिसकी समयावधि 2008-09 से 2017-18 तक निर्धारित थी। कार्य आयोजना पुनरीक्षण के पूर्व आवेदित स्थल का कक्ष क्रमांक पी-203 था। कार्य आयोजना पुनरीक्षण के पश्चात् कक्ष क्रमांक पी.एफ.-870 पुनरीक्षित किया गया है। पुराने एवं नये कार्य आयोजना के सत्यापित पृष्ठों की छायाप्रति संलग्न है।
2	The FCA approval for 4.6 ha was valid upto 18-12-2012 and the case was forwarded to this office for renewal after gap of 6 years. Therefore, status of the land during those 6 year along with the possession of land needs to be submitted to this office.	खदान की लीज की अवधि दिनांक 18/12/2012 तक थी। लीज अवधि समाप्ति दिनांक से लीज क्षेत्र वन विभाग के आधिपत्य में है। दिनांक 18/12/2012 के पश्चात् लीज क्षेत्र में उत्खनन एवं परिवहन का कार्य पूर्णरूपेण बन्द है।
3	A certified copy of valid mining lease as on 8-10-2018 may kindly be submitted.	कलेक्टर, सतना ने पत्र क्रमांक 4334 दिनांक 26/12/2018 (छायाप्रति संलग्न) में लेख किया है कि खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 संशोधन अध्यादेश 2015 के अधीन खनिजपट्टे की अवधि वृद्धि का पूरक अनुबन्ध वन विभाग की अनापत्ति/अभिमत प्राप्त होने पर अवधिवृद्धि के पूरक अनुबन्ध की कार्यवाही सम्पादित की जा सकेगी।

अ.क्र.	चाही गई जानकारी	उत्तर
4	The DSS analysis shows the proposed area to be 0.58 ha short of 4.60 ha. so, correct area KML along with the approach road shall be submitted & uploaded on e-portal.	आवेदक श्री शरद बन्सल द्वारा अपने पत्र दिनांक 03/01/2019 से लेख किया गया है कि जियो रिफरेंस मानचित्र में पिलर क्रमांक- A एवं B दर्शाना भूल गये थे। आवेदक द्वारा नया जियो रिफरेंस मानचित्र जी. पी.एस. रीडिंग सहित संलग्न प्रस्तुत किया गया है जिसमें उत्खनन हेतु 4.572 हे. एवं निकासी हेतु 0.028 हे. मार्ग दर्शाया गया है। कुल रकबा 4.600 हे. ही है। संशोधित KML फाईल ई-पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।
5	The DSS analysis shows the presence of MDF over 3 ha. State Govt. need to justify the stand with detail tree enumeration list and site photographs.	आवेदक द्वारा स्वीकृत खदान में कुल 0.705 हेक्टर वनक्षेत्र में ही उत्खनन का कार्य किया गया है। उत्खनित क्षेत्र में आवेदक द्वारा रोपित किये गये मिश्रित प्रजाति के पौधों में वर्तमान में 128 नग पौधे तथा 160 नग बांस भीरा कुल 288 नग पौधे जीवित पाये गये हैं। वन परिक्षेत्र अधिकारी मझगंवा/ उप वन मंडल अधिकारी चित्रकुट का प्रतिवेदन तथा गणना पत्रक, मौमा पंचनामा एवं छायाचित्र संलग्न है।
6	The State Govt. certified that CA was carried at on 8.00 ha. of non-forest land of khasra No. 96/1 (part), the Satellite images does not shjows any plantation on the site. Therefore, SIR from concerned CCF for CA plantation may kindly be submitted	आवेदक द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु उपलब्ध कराई गई रकबा 8.00 हे. गैरवनभूमि का वन मंडल अधिकारी, सतना द्वारा दिनांक 02/02/2019 को स्थल निरीक्षण किया गया जिसमें 520 नग जीवित पौधे पाये गये हैं। वर्तमान में उक्त क्षेत्र कक्ष क्रमांक पी-868 के अन्दर है। वृक्षारोपण क्षेत्र में क्षतिग्रस्त फेंसिंग तथा मृत पौधों के स्थान पर पौधा रोपण एवं वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा के व्यय की राशि आवेदक से प्राप्त कर पुनः कार्य कराने का वन मंडल अधिकारी, सतना द्वारा अपने पत्र क्र. 9059 दिनांक 18/9/2019 में उल्लेख किया गया है। 520 नग जीवित पौधों का गणना पत्रक, पंचनामा संलग्न है।
7	The notification of CA land to PF/RF needs to be submitted to this office.	आवेदक द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु ग्राम नयागांव खसरा नं. 96/1 रकबा 8.00 हे. उपलब्ध कराई गई गैरवनभूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 28/2/2003 में अधिसूचना क्र. डी 594-90-03-दस-3 दिनांक 17/2/2003 से अधिसूचित की गई है। राजपत्र की छायाप्रति संलग्न है।

अतः उपरोक्त प्राप्त प्रतिवेदन मय अभिलेखों के साथ संलग्न कर प्रकरण में सैद्धांतिक अनुमति प्रदान करने का अनुरोध है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

  
30/9/19  
(सुनील अग्रवाल)

भोपाल, दिनांक 30-9-19

पृष्ठ क्रमांक/एफ-1 / FP/MP/MIN/33660/2018/3141  
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा मध्यप्रदेश।
2. वन मंडल अधिकारी (सामान्य) वन मंडल, सतना, मध्यप्रदेश।
3. श्री शरद बंसल मु.पो. जैतवारा जिला सतना, म.प्र.

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

*30/9/19*  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

OK  
M  
30/9/19

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-1/2019/10-11/34  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 03-01-2020

श्री राजीव कुमार मिश्रा,  
वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी,  
सतना वनमंडल, सतना  
मध्यप्रदेश।

विषय:- सतना वन मंडल में श्री शरद कुमार बंसल की वन क्षेत्र में स्थित खदान 4.6 हेक्टेयर का नदीनीकरण।

-0-

आपके वनमंडल में 4.6 हेक्टेयर वन भूमि पर खदान नदीनीकरण का आवेदन श्री शरद कुमार बंसल द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है, जिसका अनुक्रमांक 33660/2018 है। इस प्रस्ताव को आपके द्वारा इस कार्यालय को उचित माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। प्रस्ताव पर प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत इसे स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया था।

दिनांक 24.12.2019 को भोपाल में आयोजित आर.ई.सी. की बैठक में इस परियोजना पर विचार किया गया। बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा के उपरांत भारत सरकार द्वारा यह पाया गया कि पूर्व में इस खदान के लिये 8 हेक्टेयर रकबे में वृक्षारोपण योजना तैयार की गई थी। इस तैयार की गई रोपण योजना में 8600 वृक्ष रोपित किये जाने थे।

आपके द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 02.02.2019 से यह अवगत कराया गया है कि स्थल पर कुल 2000 पौधे रोपित किये गये हैं, जिसमें वर्तमान में 520 पौधे जीवित हैं। भारत सरकार द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि गूगल इमैज में यह पौधे भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं।

अतः आप इस संबंध में स्वयं सीक स्थल का निरीक्षण कर प्रतिवेदन देवे। साथ ही निम्न जानकारी भी प्रस्तुत कर -

1. रोपण योजना में कितने पौधे रोपित करने का प्रावधान था तथा किस-किस प्रजाति के पौधे रोपित किये जाने थे।
2. वास्तविक रोपण किस वर्ष में हुआ है तथा कितने पौधे रोपित किये गये हैं।
3. यदि वृक्षारोपण योजना के अनुसार 8600 पौधे रोपित किये जाने थे तो केवल 2000 पौधे क्यों रोपित किये गये।
4. वृक्षारोपण पर वर्षवार कितना कितना व्यय किया गया।

उपरोक्त विन्दुओं पर एक सप्ताह में जानकारी प्रस्तुत करें।

(सुनील अग्रवाल)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ० क्रमांक/एफ-1/2019/10-11/35

भोपाल, दिनांक 03-01-2020

प्रतिलिपि-

मुख्य वन संरक्षक, सीवा वृत्त, सीवा, मध्यप्रदेश की और सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुनील अग्रवाल)  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध), संतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-1/FP/MP/MIN/33660/2018/998

भोपाल, दिनांक 09-03-2020

प्रेषक :-

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं  
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980  
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय)  
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, पर्यावरण भवन,  
लिंग रोड नं.-3, ई-5 रविशंकर नगर, भोपाल, म.प्र.

विषय:- सतना वन मंडल के परिक्षेत्र मझगंवा ग्राम पिपरीटोला के कक्ष क्र.पी.एफ.-870 (नया)  
रकबा 4.6 हे. वनभूमि में स्थित श्री शरद कुमार बंसल की खदान का नवीनीकरण।

संदर्भ:- ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/33660/2018

---0---

वर्ष 2002 में श्री शरद कुमार बंसल द्वारा सतना वन मंडल में लेटराईट खनिज के उत्खनन के लिये 8.00 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गई थी। आवेदक संस्था द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव क्रमांक से इस 8.00 हेक्टेयर में से 4.6 हेक्टेयर वन भूमि में खनन हेतु नवीनीकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

इस प्रस्ताव पर दिनांक 24.12.2019 को भारत सरकार में आयोजित बैठक में स्वीकृति हेतु विचार करने पर यह पाया गया कि क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य में मात्र 570 पौधे ही जीवित हैं। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा यह आपत्ति ली गई कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार 8600 पौधे रोपित होने थे तब रोपण में क्यों 2000 पौधे मात्र रोपित किये गये। मौके पर नीलगिरी के पौधे रोपित किये गये जबकि वृक्षारोपण योजना के अनुसार मिश्रित प्रजाति के पौधे रोपित होने थे।

इस संबंध में वनमण्डलाधिकारी, सतना से जानकारी चाहने पर उनके द्वारा पत्र क्रमांक 2383 दिनांक 26.02.2020 से अवगत कराया है कि तत्समय मौके पर पर्याप्त जल भण्डार होने के कारण 2000 पौधों का रोपण किया गया था। प्रकरण में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख द्वारा यह अनुमोदन दिया गया है कि क्षेत्र में भारत सरकार की वर्ष 2002 की स्वीकृति की शर्त के अनुसार अनुमोदित रोपण योजना के अनुसार 8600 पौधों का रोपण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

अतः इस संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 992 दिनांक 09/3/2020 से स्वीकृत योजना के अनुसार रोपण करने के लिये आवश्यक धन राशि सतना वन मंडल को उपलब्ध कराने के लिये प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) से अनुरोध किया गया है। यह कार्यवाही शीघ्र ही कर ली जावेगी। पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

आवेदक संस्था द्वारा वर्ष 2002 में ही रोपण के लिये आवश्यक राशि तथा क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये गैर वन भूमि उपलब्ध करा दी थी। इस प्रकार प्रकरण में आवेदक संस्था स्तर से किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हुई है।

अतः अनुरोध है कि प्रस्ताव पर भारत सरकार की स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

09/03/2020

(सुनील अग्रवाल)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

पू0 क्रमांक/एफ-1/FP/MP/MIN/33660/2018/999  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 09-03-2020

1. मुख्य वन संरक्षक, रीवा वृत्त, रीवा, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मंडल, सतना, मध्यप्रदेश
3. श्री शरद कुमार बंसल, मु.पो. जैतवारा जिला सतना, मध्य प्रदेश।  
की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

09/03/2020

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

0/0



भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र  
Regional Office, Western Region  
केन्द्रीय पर्यावरण भवन  
"Kendriya Parivaran Bhavan"  
एन.ए. रोड नं. 3, Link Road No. 3  
E-5, नारायण नगर/Ravi Shankar Nagar  
भोपाल (मध्य प्रदेश)/Bhopal-462016 (M.P.)  
फोन नं. 0755-2466525, 2465496  
फैक्स नं. / Fax No. 0755-2463102  
वेबसाइट / E-mail : moef-cc@nic.in

No. 6-MPC066/2018-BHO/ 668

Dt. 06/08/2020

To,

The Principal Secretary (Forests),  
Govt. of Madhya Pradesh,  
Vallabh Bhavan, Bhopal (M.P.)

Sub: Proposal for renewal of 4.6 ha Protected Forest land for mining of reserve of Ochre, White Clay and Laterite in favour of Shri Sharad Kumar Bansal, Jaitwara in Satna District in Madhya Pradesh.

Ref: MoEF&CC (RO HQ) letter No. 7-6/2020-ROHQ Voll-I dated 02/06/2020 (copy enclosed).

Sir,

With reference to above mentioned subject and letter under reference, I am directed to request you to look into the CA scheme plantation status in renewal of 4.60 ha of protected forest land for mining of reserves of Ochre, White clay & Laterite in favour of Mr. Sharad Kumar Bansal, Jaitwara in Satna District of Madhya Pradesh (FP/MP/MIN/33660/2018) which is as follows :-


- 1) The Stage-II for mining lease proposal was issued on dated 19/12/2002 and CA was approved on 8.00 ha non-forest land at Khasra no. 96/1(part) now Compartment no. P-868. The FCA approval for 4.6 ha was valid upto 18/12/2012.
- 2) The proposal was received by Regional Office, MoEF&CC, Bhopal in November 2019 for renewal of lease.
- 3) The proposal was examined and status of CA is as follows:-
  - a. The CA scheme in the year 1997 for 7 years with Rs. 1, 30, 024.00 was approved and amount was deposited on 20/06/2000. The plantation of mixed species (Sisoo, Karanj, Siras, Anolan, Neem, Cassia Semia, Bamboo, Teak) with 8,600 nos. of plants in 8 ha was approved in CA scheme.
  - b. The CA implementation report of the DFO Satna dated 02/01/2019 submitted that plantation was carried out in year 2004 with 2,000 saplings (eucalyptus species only) in 8 ha and now only 520 eucalyptus plants are present in this 8 ha area.
- 4) DSS analysis and Satellite images of CA land/ plantation shows that the area is barren with C.D less than 0.1.
- 5) The matter was placed in the REC dated 24/12/2019 at Agenda 2(copy enclosed) and REC deferred the proposal for want of "the report on plantation with present status and reason for failure along with reasons for variation in CA scheme (8, 600 plants in 8 ha) and actual implemented (2, 000 plants in 8 ha) and (only 520 plants available) shall be submitted by that State Govt. of Madhya Pradesh".
- 6) The State Govt. vide letter dated 09/03/2020 (copy enclosed) has submitted the following reply :
  - a. In the year 2002 only 2000 plants were planted in placed of 8600 plants in 8 ha.
  - b. Now, the State Govt is proposing for 8600 plants on same land and required amount is proposed from State CAMPA funds which will be in addition to the expenditure incurred in 2002.

Contd....2

6. Further, whether the proposal of renewal deserves consideration by the Central Government, needs to be examined in light of following :
- As per the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 there will not be any renewal mining leases granted for metallic and non-metallic minerals as the leases have been deemed to have been granted for a period of 50 years or date of expiry or renewal granted under MMDR Act, 1957 of 31<sup>st</sup> March, 2020 whichever is later. Moreover, on the expiry of validity the lease has to be auctioned. Therefore, maintainability of the proposal needs to be examined in light of limitations provided in the MMDR Amendment Act, 2015.
  - Further, Ministry vide its guidelines dated 01/04/2015 has extended the validity of FC approvals accorded in the past for a period co-terminus with the validity granted under the MMDR Act, 2015. Validity of the forest clearance granted in the extant case needs to be examined in light of provisions contained in the guidelines dated 01/04/2015 by the Regional Office.
7. With regards to the non-compliance/ partial compliance of conditions stipulated in the approvals already granted, it is mentioned that to deal with such case detailed guidelines have been issued by the Ministry on 29/01/2018 which were incorporated at para 1.21 (iii) of the Handbook issued on 28/03/2019.


In view of the above, it is requested that the State Govt to examine the observations, as indicated above and the same may be submitted to the Regional Office, Bhopal for further necessary action in the matter at the earliest.


Encl : As above


  
(B. Abhay Bhaskar)  
Asstt. Inspector General of Forests (Central)

Copy to :-

- The Addl. Director General of Forests (FC), Govt. of India, Ministry of Environment and Forests and Climate Change, Agni, C-wing, 3<sup>rd</sup> Floor, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi - 110003.
- The APCCF (LM) and Nodal Officer, Forest Department, Satpura Bhavan, Bhopal, M.P.

  
9

  
(B. Abhay Bhaskar)  
Asstt. Inspector General of Forests (Central)

  
20/8/2020

कार्या. अ.प्र.मु.व.स (भू.प्र.)  
आवक क्रमांक.....  
मध्यप्रदेश, भोपाल

20/8/2020

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ-1 / FP/MP/MIN/33660/2018/ 3210

भोपाल, दिनांक 24/09/2020

प्रेषक :-

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं  
गोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980  
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)  
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, पर्यावरण भवन,  
लिक रोड नं.-3, ई-5, रविशंकर नगर,  
मध्य प्रदेश।

विषय:- वग मंडल, सताना के परिक्षेत्र मझगांवा ग्राम पिंपरीटोला के वन कक्ष क्र. PF- 870 रकबा 4.600 हेक्टेयर वनभूमि में ओपन कास्ट पद्धति से ओकरर व्हाट क्लै, लैटराइट खनिज उत्खनन नवीनीकरण कर श्री शरद कुमार बंसल, सताना का प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक / 6-MPC 066/2018-BHO/668 Dated 06/08/2020

---0---

कृपया आपने संदर्भित पत्र से भारत सरकार द्वारा उठाये गये निम्न बिन्दुओं पर जवाब चाहा है:-

6. Further the proposal of renewal deserves consideration by the Central Government, needs to be examined in light of following.
  - a. As per the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 there will not be any renewal mining leases granted for metallic and non-metallic minerals as the leases have been deemed to have been granted for a period of 50 years or date of expiry or renewal granted under MMDR Act, 1957 of 31<sup>st</sup> March, 2020 whichever is later. Moreover, on the expiry of validity the lease has to be auctioned. Therefore, maintainability of the proposal needs to be examined in light of limitations provided in the MMDR Amendment Act, 2015.
  - b. Further, Ministry vide its guidelines dated 01/04/2015 has extended the validity of FC approvals accorded in the past for a period co-terminus with the validity granted under the MMDR Act, 2015. Validity of the forest clearance granted in the extant case needs to be examined in light of provisions contained in the guidelines dated 01/04/2015 by the Regional Office.
7. With regard to the non-compliance/ partial compliance of conditions stipulated in the approvals already granted, it is mentioned that to deal with such case detailed guidelines have been issued by the Ministry on 29/01/2018 which were incorporated at para 1.21 (ii) of the Handbook issued on 28/03/2019.

बिन्दु क्रमांक-06 के संबंध में टीप निम्नानुसार है :-

6. भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 12/01/2015 से सभी माईनिंग लीज को 50 वर्ष या 31/03/2020 तक जो भी बाद में हो, विस्तारित किया गया है।

- भारत सरकार द्वारा राजपत्र दिनांक 10/02/2015 से (XXXI) खनिजों को गौण खनिज घोषित किये जाने की सूची जारी की गई है। (संलग्न परिशिष्ट-1)
- मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग ने राजपत्र दिनांक 13/02/2018 से सभी गौण खनिजों की माईनिंग लीज 30 वर्ष या दिनांक 31/3/2025 जो भी बाद में हो, स्वीकृति के निर्देश दिये गये हैं। (संलग्न परिशिष्ट-2)
- खनिज साधन विभाग ने यह सहमति दी है कि श्री शरद बन्सल की लीज दिनांक 31/03/2034 तक बढ़ाने जाने में कोई आपत्ति नहीं है बशर्त वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृति प्राप्त हो। (संलग्न परिशिष्ट-3)
- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा परिपत्र क्रमांक 11-51/2015-FC दिनांक 01/04/2015 में भी इसके निर्देश है। (संलग्न-परिशिष्ट-4)
- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के परिपत्र क्रमांक 11-51/2015-FC दिनांक 01/05/2015 में स्पष्ट निर्देश है कि किसी खदान में केवल उसी भाग के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अनुमोदन की आवश्यकता है जिसकी लीज पूर्व में स्वीकृत न हो। इस खदान में पूर्ण लीज क्षेत्र का वन (संरक्षण) अधिनियम में अनुमोदन पूर्व से प्राप्त है। (संलग्न-परिशिष्ट-5)
- राज्य शासन, वन विभाग द्वारा अपने पत्र क्रमांक/1452/2329/2016/10-3 दिनांक 27/9/2016 से इस संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से मार्गदर्शन चाहा था जो अभी तक अप्राप्त है। (संलग्न परिशिष्ट-6)
- पुनः राज्य शासन वन विभाग द्वारा अपने स्मरण पत्र क्रमांक/एफ-25-1/2017/10-3 दिनांक 30/01/2017 से उक्त संबंध में भारत सरकार से मार्गदर्शन चाहा गया। जिसका प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। (संलग्न परिशिष्ट-7)

बिन्दु क्रमांक-7 के संबंध में लेख है कि मार्गदर्शिका के बिन्दु 1.21 (iii) में वन (संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों में उल्लंघन पर दण्ड का प्रावधान है। यह प्रावधान आवेदक संस्थाओं के लिये है। इस प्रस्ताव में आवेदक स्तर से कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। क्षतिपूर्ति वनीकरण में हुई कमी के लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही समान्तर रूप से की जा रही है।

अतः भारत सरकार द्वारा चाही गई जानकारी पर बिन्दुवार विवरण प्रस्तुत है।


संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय  
24/9/2020  
(सुनील अग्रवाल)

पृ० क्रमांक/एफ-1/FP/MP/MIN/33660/2018/ 3211  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 24/09/2020

1. मुख्य वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा, मध्यप्रदेश।
  2. वन मंडल अधिकारी (सामान्य) वन मंडल, सतना मध्यप्रदेश।
  3. श्री शरद कुमार बन्सल, मु.पो.- जैतवारा, जिला सतना, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

o/c



भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA  
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST  
AND CLIMATE CHANGE

एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय  
Integrated Regional Office  
"केंद्रीय पर्यावरण भवन"  
Kendriya Parivaran Bhawan  
मिना रोड नं. 1, Link Road, नं. 7, E-8  
एनएच 307/का. शंकर नगर  
भोपाल (Bhopal)-462010 (MP)।  
Ph: 0755-2469707, 2469525  
BBS नं./Fax No. 0755-2463102  
अनुदाक./E-mail: iowz.bpl-mef@nic.in

File No. 6-MPC066/2018-BHO/ 253

Dated : 24.03.2021

To:  
The Principal Secretary (Forests)  
Govt. of Madhya Pradesh  
Vallabh Bhawan  
Bhopal (MP).

Sub: Proposal for renewal of 4.60 ha PF land for mining of reserve of ochre, white clay and laterite in favour of Shri Sharad Kumar Bansal, Jaitwara in Satna district of MP.

Ref.: 1. MoEF&CC letter No. 7-6/2020-ROHQ(Vol-I) dated 02.06.2020.  
2. This office letter No. 6-MPC066/2018-BHO/668 dated 06.08.2020.  
3. APCCF(LM), Govt. of MP letter No. F-1/FP/MP/MIN/33660/2018/3210 dated 24.09.2020.

Sir,  
With reference to the above mentioned subject and letter under reference, I am directed to request you that the point wise replies shall be submitted on following points :

1. Original proposal envisaged afforestation of 8600 plants of which only 2000 were planted and currently only 520 plants are surviving on the said land. Now again plantation of 8600 plants has been proposed without accounting for existing/surviving plants of 580 and guidelines on CA issued by the MoEF&CC which provides for raising of 1000 plants per hectare.
2. Status of utilization of compensatory levies realized from the user agency in lieu of diversion of forest land in the year 2002 for raising CA.
  - a. How much amount was deposited in CAMPA fund for CA?
  - b. How much amount was spent for plantation?
  - c. What is the status of remaining amount i.e. where is the amount and how much?
  - d. How much amount has been proposed for remaining plantation and what is the source of the said amount?
  - e. Detailed project report of remaining plantation shall be submitted.
3. Detailed status report for non compliance/partial compliance of the conditions stipulated in the approval under Para 1.21(iii) of FCA Handbook 2019 shall be submitted.

*(Signature)* 24-3-21  
(Hare Ram Kumar)  
Technical Officer (Forestry)

1. The PCCF & HoFF, Govt. of MP, Satpura Bhawan, Bhopal.
2. The APCCF(LM), Govt. of MP, Satpura Bhawan, Bhopal.

*(Signature)* 24-3-21  
(Hare Ram Kumar)  
Technical Officer (Forestry)

APCCF (LM)  
*(Signature)*

P.C.C.F. (HoFF)  
M.P., Bhopal  
*(Signature)*



कार्या. अ.प्र.सु.व.सं (मु.प्र.)  
आवक क्रमांक.....  
मध्यप्रदेश, भोपाल

*(Signature)*

*(Signature)*  
27/3/21

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-1/FP/MP/MIN/33660/2018/274

भोपाल, दिनांक 29-6-21

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय)

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, पर्यावरण भवन,

लिंग रोड़ नं.-3, ई-5, रविशंकर नगर, भोपाल,

मध्य प्रदेश।

विषय:-सतना जिले के परिक्षेत्र मझगंवा ग्राम-पिपरीटोला के कक्ष के PF-870 (नया) रकबा 4.600 हे. संरक्षित वनभूमि ओपन कास्ट पद्धति से ओकर व्हाइट क्ले, लैटराइट खनिज उत्खनन नवीनीकरण हेतु - श्री शरद कुमार बंसल को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 6-MPC 066/2018-BHO/253 दिनांक 24/03/2021

--0--

कृपया प्रकरण में आपने संदर्भित पत्र से निम्न तीन बिन्दुओं पर जानकारी चाही है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	चाही गई जानकारी	प्रस्तुत जानकारी का विवरण
1	Original proposal envisaged afforestation of 8600 plants of which only 200 were planted and currently only 520 plants are surviving on the said land. Now again plantation of 8600 plants has been proposed without accounting for existing/surviving plants of 580 and guidelines on CA issued by the MoEF&CC which provides for raising of 1000 plants per hectare.	वन मंडल अधिकारी, सतना द्वारा पत्र क्र. 4890 दिनांक 22/06/2021 से अवगत कराया है कि वर्ष 2000 में तैयार की गई रोपण योजना में 8600 पौधे रोपित करने का प्रावधान था, चूंकि वास्तविक रोपण जुलाई 2004 में मिश्रित प्रजाति के 2000 पौधों का रोपण किया गया था, शेष क्षेत्र पर वृक्ष आच्छादित हो जाने के कारण 20 से.मी. गोलाई तक के जड़ भण्डार विकास का कार्य एवं अनुपयोगी झाड़ियों की सफाई एवं टूट ड्रेसिंग का कार्य कराया गया है, दिनांक 23/12/2020 को स्थल निरीक्षण के दौरान 520 पौधे वर्तमान में जीवित पाये गये है। भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की गाइड लाईन के अनुसार 11 वर्षीय वृक्षारोपण योजना 1000 पौधे प्रति हेक्टर की दर से तैयार की जाकर संलग्न है।
2	Suatus of utilization of compensatory levies realized from the user agency in lieu of diversion of forest land in the year 2002 for raising CA.	वन मंडल अधिकारी, सतना द्वारा निम्नानुसार अवगत कराया गया है कि :-
a.	How much amount was deposited in CAMPFA fund for CA ?	आवेदक संस्था द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि रुपये 130024/- बैंकर्स चेक क्र. बी.सी. 00/013 772321 दिनांक 20/6/2000 भारतीय स्टेट बैंक सतना सिटी में जमा किया गया है

		जिसे पीडी एकाउण्ट मद में जरिये चालान नं. 3/4 दिनांक 29 जून 2000 में दाखिल खजाना किया जा चुका है।
b.	How much amount was spent for plantation ?	वृक्षारोपण कार्य में वर्ष 2003-04 से वर्ष 2006-07 तक तादादी राशि रुपये 78,269/- व्यय किया गया है।
c.	What is the status of remaining amount i.e. where is the amount and how much ?	उक्त योजना की राशि पीडी एकाउण्ट मद में रुपये 51,755/- शेष है।
d.	How much amount has been proposed for remaining plantation and what is the source of the said amount ?	रुपये 20,58,354/- की वृक्षारोपण योजना तैयार की गई है जो संलग्न है। यह राशि विभागीय मद से प्रावधानित की जावेगी।
e.	Detailed project report of remaining plantation shall be submitted.	विस्तृत 11 वर्षीय वृक्षारोपण योजना तैयार कर संलग्न है।
3	Detailed status report for non compliance/partial compliance of the conditions stipulated in the approval under Para 1.21 (iii) of FCA Handbook 2019 shall be submitted.	आवेदक संस्था द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि पर प्रत्यावर्तन हेतु अधिसूचित शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

*S*  
29/6/2024  
(मुनील अग्रवाल)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबन्ध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ-1/FP/MP/MIN/33660/2018/2075  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 29-6-24

1. मुख्य वन संरक्षक, रीवा वृत्त रीवा, मध्य प्रदेश।
  2. वन मंडल अधिकारी (सा.) वन मंडल, सतना, मध्यप्रदेश
  3. श्री शरद कुमार बन्सल, पोस्ट जैतवारा जिला सतना, मध्य प्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

*S*  
29/6/2024  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबन्ध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

0/c



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA  
 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
 MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE  
 एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल / INTEGRATED REGIONAL OFFICE, BHOPAL  
 Kendriya Parivaran Bhawan, Link Road No 1, E-5, Ravi Shankar Nagar,  
 BHOPAL, 462016 (M.P.)



TEL 0755-2455525 E-mail [rowr.bho.mof@nic.in](mailto:rowr.bho.mof@nic.in)

Date: 25/11/2021

File No. 6-MPC 066/2018-BHO/

To,

The Principal Secretary (Forests)  
 Govt. of Madhya Pradesh,  
 Vallabh Bhawan  
 Bhopal.

Sub: Proposal for renewal of 4.60 ha Protected Forest land for mining of reserve of Ochre, White Clay and Laterite in favour of Shri Shurad Kumar Bansal, Jaitwara in Satna District of Madhya Pradesh-reg.

Ref: APCCF(LM) & Nodal Officer, M.P. letter No. F-1/FP/MP/MIN/33660/2018/2074 dated 29/06/21.

Sir,

With reference to the above mention subject and letter under reference, undersigned is directed to inform you that it is observed that proposal needs further clarification. In this connection, undersigned is directed to request you to submit following information documents:

1. The afforestation in the CA land, identified earlier on which CA plantation has failed, has been proposed by way of proposing afforestation of 8000 plants over 8 ha. Cost of Rs. 20,58,354/- proposed to be incurred on re-afforestation will be spent from the State Forest Department account. However it has not been clarified whether the same will be met from CAMPA account or otherwise.
2. The violation of condition of FC approval, the State has mentioned non-compliance is attributable to the State Authorities and not to the user agency and accordingly action are being taken by the State Forest Department against the responsible officials. Details of action may be sent.
3. Nodal Officer (FCA) in this letter dated 24/09/2020 has mentioned that Govt. of M.P. has amended M.P. Minor Minerals Rules, 1996 on 01/04/2015. However, State Government had sought a clarification in this regard from the Forest Conservation Division where no clarification was provided by the State Govt.

4. The Nodal Officer (FCA), Govt. of M.P. to ascertain any decision on the request made by the Nodal Officer (FCA) was taken by the Forest (Conservation) Division.
5. It may be mentioned here that in the past approval was granted on 19/12/2002 for 8.02 ha which was subsequently revised and revised approval over an area of 4.6 ha was granted on 21/07/2009 by IRO Bhopal for a period of 10 years. Revised approval 21/07/2009 implies that FC approval was valid till 20/07/2019.

This has been issued with the approval of competent authority.

Yours faithfully

  
(Hare Ram Kumar)

Technical Officer (Forestry)

Copy to : The PCCF (LM) and Nodal Officer, Govt. of MP, Satpura Bhawan, Bhopal-  
62004.

  
(Hare Ram Kumar)

Technical Officer (Forestry)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-1/FP/MP/MIN/33660/20218/1144

भोपाल, दिनांक 28/3/22

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),  
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, केन्द्रीय पर्यावरण भवन  
लिंग रोड नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- वन मंडल सतना के परिक्षेत्र मझगंवा ग्राम पिपरीटोला के वन कक्ष क्र. पी.एफ.-870 के रकबा 4.600 हेक्टेयर वनभूमि में ओपन कास्ट पद्धति से ओकर व्हाट क्ले, लेटराइट खनिज उत्खनन नवीनीकरण का श्री शरद कुमार बंसल, सतना के व्यपवर्तन का आन लाईन प्रस्ताव क्र. FP/MP/MIN/33660/2010

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्र./6-MPC 066/2018-BHO/ दिनांक 25/11/2021

—0—

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र क्र./6-MPC 066/2018-BHO/ दिनांक 25/11/2021 से 05 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। चाही गई जानकारी बिन्दुवार निम्नानुसार है:-

क्र.	चाही गई जानकारी	प्रस्तुत जानकारी												
i	The afforestation in the CA land identified earlier on which CA plantation has failed, has been proposed to be incurred on reafforestation of 8000 plans over 8 ha. Cost of Rs. 20,58,354/- proposed to be incurred on re-afforestation will be spent from the State Forest Department account. However it has not been clarified whether the same will be met from CAMPA account or otherwise.	पुर्न वृक्षारोपण योजना में आंकलित राशि रूपये 20,58,354/- विभागीय मद से प्रावधानित की जावेगी।												
ii	The violation of condition of FC approval, the State has mentioned non-compliance is attributable to the State Authorities and not to the user agency and accordingly action are being taken by the State Forest Department against the responsible officials. Details of action may be sent.	<p>पूर्व में रकबा 8.00 हेक्टेयर गैरवनभूमि में 8600 पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित होने के बावजूद 2000 पौधे रोपित कर इसमें से केवल 520 पौधे जीवित होने व वृक्षारोपण विफल होने के स्थिति में तत्कालीन दोषी अधिकारी/कर्मचारी की जानकारी निम्नानुसार है:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.</th> <th>अधिकारी/कर्मचारी का नाम</th> <th>पदनाम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>श्री अमरीश पाण्डेय</td> <td>परिक्षेत्र अधिकारी मझगंवा</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>श्री भाईलाल वर्मा</td> <td>परिक्षेत्र सहायक अमिरती</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>श्री सुरेन्द्र त्रिपाठी</td> <td>वनरक्षक बीटगार्ड चितहरा</td> </tr> </tbody> </table> <p>उपरोक्त वर्णित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा वृक्षारोपण का कार्य कराया गया था। वर्तमान में उक्त अधिकारी/कर्मचारी सेवा निवृत्त हो गये है। वन मंडल अधिकारी, सतना का पत्र क्रमांक 2026 दिनांक 21/03/2022 संलग्न है।</p>	क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	1	श्री अमरीश पाण्डेय	परिक्षेत्र अधिकारी मझगंवा	2	श्री भाईलाल वर्मा	परिक्षेत्र सहायक अमिरती	3	श्री सुरेन्द्र त्रिपाठी	वनरक्षक बीटगार्ड चितहरा
क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम												
1	श्री अमरीश पाण्डेय	परिक्षेत्र अधिकारी मझगंवा												
2	श्री भाईलाल वर्मा	परिक्षेत्र सहायक अमिरती												
3	श्री सुरेन्द्र त्रिपाठी	वनरक्षक बीटगार्ड चितहरा												

<p>iii Nodal Officer (FCA) in this letter dated 24/09/2020 has mentioned that Govt. of M.P. has amended M.P. Minor Minerals Rules, 1996 on 01/04/2015. However, State Government had sought a clarification in this regard from the Forest Conservation Division wherein no clarification was provide by the State Govt.</p>	<p>खनिज साधन विभाग ने यह सहमति दी है कि श्री शरद बंसल की लीज की अवधि बढ़ाये जाने में कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृति प्राप्त हो।</p> <p>भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के परिपत्र क्र. 11-51/2015-FC दिनांक 01/05/2015 में स्पष्ट निर्देश है कि किसी खदान में केवल उसी भाग के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अनुमोदन की आवश्यकता है जिसकी लीज पूर्व में स्वीकृत न हो। इस खदान के पूर्ण लीज क्षेत्र का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 में अनुमोदन पूर्व से प्राप्त है।</p> <p>मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा पत्र क्र. एफ 3-127/1993/12/2 दिनांक 06/06/2020 के तहत कलेक्टर खनिज कार्यालय, सतना द्वारा विषयांकित खदान की मूल स्वीकृत अवधि 01/09/2004 से 31/08/2054 (50 वर्ष) विस्तारित मान्य करते हुए खनिजपट्टाधारी से पूरक अनुबंध दिनांक 20/01/2021 को निष्पादित किया गया है। (प्रति संलग्न है)</p> <p>मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा पत्र क्र. /1452/2329/2016/10-3 दिनांक 27/09/2016 से इस खदान के खनन पट्टे की अवधि को मूल स्वीकृति पट्टा अवधि से 50 वर्ष विस्तारित (Extend) मान्य किया जाय अथवा नहीं किया जाय भारत सरकार, नई दिल्ली से मार्गदर्शन चाहा गया था जो प्राप्त न होने के कारण आवेदक द्वारा नवीनीकरण का यह प्रस्ताव FP/MP/MIN/33660/2018 प्रस्तुत किया गया है।</p>
<p>iv The Nodal Officer (FCA), Govt. of M.P. to ascertain any decision on the request made by the Nodal Officer (FCA) was taken by the Forest (Conservation) Division.</p>	<p>बिन्दु क्रमांक- iii में उल्लेखित पत्र पर भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, से कोई मार्गदर्शन /उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।</p>
<p>v It may be mentioned here that in the past approval was granted on 19/12/2002 for 8.02 ha which was subsequently revised land revised approval over an area of 4.6 ha was granted on 21/07/2009 by IRO Bhopal for a period of 10 years. Revised approval 21/07/2009 implies that FC approval was valid till 20/07/2019.</p>	<p>भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल द्वारा पूर्व औपचारिक स्वीकृति आदेश दिनांक 19/12/2002 को निरस्त करते हुए संशोधित औपचारिक स्वीकृति आवेदक क्रमांक 8 C/5/435/1997-FCW/1805 दिनांक 21/07/2009 जारी किया गया था। तत्पश्चात् पत्र क्रमांक 8 C/5/435/1997-FCW/47 दिनांक 06/01/2010 से शुद्धि पत्र जारी किया गया जिसमें इस " खनन पट्टे की अवधि दिनांक 19/12/2002 से 18/12/2012 तक (10 वर्ष) निर्धारित की गई थी।</p>

अतः उपरोक्तानुसार जानकारी संलग्न प्रेषित कर प्रकरण में अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

*Su*  
28/3/2022  
(सुनील अग्रवाल)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ-1/FP/MP/MIN/33660/20218/1145

भोपाल, दिनांक 28/3/22

प्रतिलिपि:-

वन मण्डल अधिकारी, सामान्य वन मण्डल, सतना मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

*Su*  
28/3/2022  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

o/c

File No.6-MPC066/2018-BHO

4/2022



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल/ INTEGRATED REGIONAL OFFICE, BHOPAL  
Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar  
BHOPAL - 462016 (M.P.)

TEL 0755-2466525 E mail [rowz.bpl-mef@nic.in](mailto:rowz.bpl-mef@nic.in)

File No. 6-MPC 066/2018-BHO/

Date: 25/06/2022

To,

The Principal Secretary (Forests)  
Govt. of Madhya Pradesh  
Vallabh Bhavan, Bhopal  
(M.P.)

Sub: Proposal for renewal of 4.60 ha Protected Forest land for mining of reserve of Ochre, White Clay and Laterite in favour of Shri Sharad Kumar Bansal, Jaitwara in Satna District of Madhya Pradesh-reg.

Ref: 1. This office letter No. 6-MPC 066/2018-BHO/ dated 25/11/2021.  
2. PCCF (LM), M.P. letter No. FP/MP/MIN/33660/20218/1144 dated 28/03/22.

Sir,

With reference to the above mention subject and letter under reference, undersigned is directed to inform you that proposal needs further clarification. In this connection, I am directed to request you to submit following information/ documents:

1. Compliance status of approval dated 21/07/2009 shall be submitted before sending the file to the Ministry for necessary action.
2. De-novo Site Inspection Report of concerned DFO w.r.t. status of violation under FCA, 1980 needs to be submitted.

Further, necessary action will be carried out after receipt of above information.

Yours faithfully

(Hare Ram Kumar)  
Technical Officer (Forestry)

Copy to: The PCCF (LM) and Nodal Officer, Forest Department, Govt. of MP, Bhopal.

Signed by Hare Ram

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ-1 / FP/MP/MIN/33660/20218/2852

भोपाल, दिनांक 11/8/22

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, केन्द्रीय पर्यावरण भवन  
लिंक रोड नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- वन मंडल सतना के परिक्षेत्र मझगंवा ग्राम पिपरीटोला के वन कक्ष क्र. पी.एफ.-870 के रकबा 4.600 हेक्टेयर वनभूमि में ओपन कास्ट पद्धति से ओकर व्हाट क्ले, लेटराइट खनिज उत्खनन नवीनीकरण का श्री शरद कुमार बंसल, सतना के व्यपवर्तन का आन लाईन प्रस्ताव क्र. FP/MP/MIN/33660/2010

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्र./6-MPC 066/2018-BHO/ दिनांक 25/06/2022

---0---

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र क्र./6-MPC 066/2018-BHO/ दिनांक 25/06/2022 से 02 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। चाही गई जानकारी बिन्दुवार निम्नानुसार है:-

क्र.	चाही गई जानकारी	प्रस्तुत जानकारी
i	Compliance status of approval dated 21/07/2009 shall be submitted before sending the file to the Ministry for necessary action.	भारत सरकार द्वारा जारी स्वीकृति पत्र दिनांक 21/07/2009 में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन आवश्यक अभिलेखों सहित संलग्न प्रस्तुत है।
ii	De-novo Site Inspection Report of concerned DFO w.r.t. status of violation under FCA, 1980 needs to be submitted.	इस बिन्दु के संबंध में वन मंडल अधिकारी, सतना द्वारा पत्र दिनांक 05/08/2022 से आवेदित वनक्षेत्र का दिनांक 02/08/2022 को संयुक्त रूप से किये गये स्थल निरीक्षण की निरीक्षण टीम प्रस्तुत की गई है जिसमें उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि इस खदान की लीज दिनांक 18/12/2012 तक थी। उक्त लीज अवधि समाप्त होने के बाद लीज क्षेत्र में उत्खनन, परिवहन कार्य पूर्ण रूप से बन्द पाया गया है। उक्त लीज क्षेत्र वन विभाग के अधिपत्य में है। लीज क्षेत्र में दिनांक 18/12/2012 तक पिट क्रमांक 01 में रकबा 0.230 हेक्टेयर, पिट क्रमांक 02 में रकबा 0.475 हे. कुल 0.705 हेक्टेयर क्षेत्र में उत्खनन कार्य स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर 0.303 हेक्टेयर की रोड कुल रकबा 1.008 हेक्टेयर में उत्खनन कार्य एवं निकासी मार्ग का कार्य किया गया है। उत्खनित क्षेत्र में आवेदक द्वारा मिश्रित प्रजाति के पौधों का रोपण कराया गया है। वर्तमान में उपरोक्त खदान पूर्ण रूप से बन्द है। आवेदक द्वारा उक्त क्षेत्र में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

अतः वन मंडल अधिकारी, सतना के पत्र दिनांक 05/08/2022 की प्रति आवश्यक अभिलेखों सहित संलग्न प्रेषित कर प्रकरण में स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध है।  
संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

*S*  
17/8/2022  
(सुनील अग्रवाल)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17/8/22

पृ. क्रमांक/एफ-1 / FP/MP/MIN/33660/20218/2853

प्रतिलिपि:-

- 1 मुख्य वन संरक्षक, रीवा वृत्त, रीवा, मध्यप्रदेश
- 2 वन मण्डल अधिकारी, सामान्य वन मण्डल, सतना मध्य प्रदेश
- 3 श्री शरद कुमार बंसल, मु.पो. जैतवारा, जिला सतना मध्य प्रदेश।  
की ओर सूचनार्थ अग्रेषित

*S*  
17/8/2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

1/37302/2023

6-MPC066/2018-BHO



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल / INTEGRATED REGIONAL OFFICE, BHOPAL  
Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,  
BHOPAL - 462016 (M.P.)



TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in

क्रमांक: 6 एमपीसी 066/2018-वीएचओ/  
पति,

दिनांक : 30/01/2023

प्रधान सचिव (वन)  
मध्यप्रदेश शासन,  
वल्लभ भवन, भोपाल,  
(मध्यप्रदेश)।

विषय: सतना जिले के परिक्षेत्र मझगंवा ग्राम-पिपरीटोला के वन कक्ष क्र. पी.एफ.-870 की  
4.60 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि ओपन कास्ट पद्धति से ओवर व्हाइट फ्ले,  
लेटराइट खनिज उत्खनन नवीनीकरण हेतु श्री शरद कुमार बंसल, जैतवारा को  
उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ: 1. कार्यालय का पत्र क्रमांक 6-एमपीसी 066/2018-वीएचओ दिनांक 25/06/2022  
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), म.प्र. का पत्र क्रमांक एफ-1/FP/MP/MIN/  
33660/ 20218/ 2852 दिनांक 17/08/22

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्रों के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का  
निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित जातकारियां प्रेषित करने का कष्ट करें-

1. Detailed report on Point-wise compliance status of Formal approval dated  
21/07/2019 shall be submitted specifically w.r.t. condition no. 2 and 4

भवदीय

(हरे राम कुमार)

तकनीकी अधिकारी (यानिकी)

प्रतिलिपि: प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, सतपुडा  
भवन, भोपाल।

Signed by Hare Ram Kumar

Date: 30-01-2023 10:58:07

Reason: Approved

## कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-1/FP/MP/MIN/33660/20218/

भोपाल, दिनांक

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),  
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, केन्द्रीय पर्यावरण भवन  
लिंग रोड़ नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- वन मंडल सतना के परिक्षेत्र मझगंवा ग्राम पिपरीटोला के वन कक्ष क्र. पी.एफ.-870 के रकबा 4.600 हेक्टेयर वनभूमि में ओपन कास्ट पद्धति से ओकर व्हाट क्ले, लेटराइट खनिज उत्खनन नवीनीकरण का श्री शरद कुमार बंसल, सतना के व्यपवर्तन का आन लाईन प्रस्ताव क्र. FP/MP/MIN/33660/2010

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्र./6-MPC 066/2018-BHO/ दिनांक 30/01/2023

—0—

आपके संदर्भ पत्र क्र./6-MPC 066/2018-BHO/ दिनांक 30/01/2023 से विषयांकित प्रकरण में पूर्व में भारत सरकार के औपचारिक अनुमोदन पत्र दिनांक 21/07/2009 में वर्णित समस्त शर्तों का विशेषकर शर्त संख्या-2 एवं 4 का पूर्ण पालन प्रतिवेदन की जानकारी चाही गई जो बिन्दुवार निम्नानुसार है:-

क्र.	भारत सरकार की शर्त क्रमांक	शर्त का पालन प्रतिवेदन
1	वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा पुनः प्रस्तुत वचन पत्र परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।
2	अ वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर सतना जिले के रघुराजनगर तहसील के अंतर्गत ग्राम नयागाव के खसरा क्रमांक 96/1 (पार्ट) में समतुल्य गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा।	इस शर्त के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि रु. 1,30,024/- दिनांक 26.06.2000 को वन विभाग को जमा करवाई गई है।
	ब इस गैर वनभूमि को आरक्षित वन घोषित किया जायेगा।	प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि को मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 17.02.2003 में आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जा चुका है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।
	स इस गैर वनभूमि को आरक्षित वन घोषित करने के लिए भारतीय वन अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत जारी मूल अधिसूचना की एक प्रति यह वन भूमि सौंपने के 6 माह के अन्दर नोडल अधिकारी द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।	प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि को मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 17.02.2003 में आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जा चुका है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।


3	उपयोगकर्ता के खर्च पर, भूमि पर क्रम संख्या, बियरिंग, और खम्भे की दूरी सहित, आर.सी.सी. खम्भों (ऊँचाई 4 फिट) का प्रयोग करते हुये खनन पट्टा क्षेत्र का सीमांकन किया जायेगा।	माइनिंग लीज एरिये का सीमांकन आर.सी.सी. पिल्लर के माध्यम से काफी पूर्व किया जा चुका है। इस कार्य के संबंध में तत्समय तैयार पंचनामा परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।
4	वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर समतलीकरण किया जाएगा। खनन एक तरफ से एक भाग से दूसरे भाग की ओर व्यवस्थित तरीके से किया जावेगा तथा जिस किसी भाग में उत्खनन पूर्ण हो जाए वहां पर जितनी जल्दी हो सके समतलीकरण कार्य किया जाएगा तथा उसका Reclamation किया जाएगा।	वनमण्डलाधिकारी, सतना द्वारा सतना के पत्र क्रमांक 8266 दिनांक 31.08.2012 से मौका पंचनामा प्रतिवेदन दिया गया है। मौका पंचनाम प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि आवेदक द्वारा भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा निर्धारित शर्त अनुसार उत्खनित क्षेत्र का समतलीकरण (रिक्लमेशन) कर इस पर 650 पौधे रोपित किये जाए गये हैं। साथ ही लीज बाउण्ड्री लाईन पर विभिन्न प्रजाति के लगभग 900 पौधे जीवित अवस्था में मौका से पाये गये। मौका पंचनामा परिशिष्ट-4 पर संलग्न है। इस तथ्य की पुष्टि गूगल इमेज से भी की जा सकती है।
5	खनन पट्टे की अवधि 10 वर्ष होगी।	मध्यप्रदेश खनिज साधन विभाग द्वारा आदेश क्रमांक 3-114/95/12/2 दिनांक 18.06.2003 से खनिपट्टा 10 वर्ष के लिये स्वीकृत किया गया था, जिसकी अवधि 01.09.2004 से 31.08.2014 तक थी। परिशिष्ट-5 पर संलग्न है। भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल के शुद्धि पत्र क्रमांक 8C/5/435/1997-FCW/47 दिनांक 06.01.2010 में स्पष्ट किया गया कि खनिपट्टा की अवधि 10 वर्ष अर्थात् दिनांक 19.12.2002 से 18.12.2012 तक होगी। अतः खदान दिनांक 18.12.2012 से वन विभाग के अधिपत्य में हैं।
6	वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जायेगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान का वचन पत्र परिशिष्ट-6 पर संलग्न है। इस तथ्य की पुष्टि गूगल इमेज से भी की जा सकती है।
7	प्रत्यावर्तित वनभूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान का वचन पत्र परिशिष्ट-7 पर संलग्न है। इस तथ्य की पुष्टि गूगल इमेज से भी की जा सकती है।
8	राज्य शासन द्वारा लगायी गयी अन्य कोई शर्त। उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा अन्य कोई शर्त लगाये जाने की स्थिति में इसकी सूचना इस कार्यालय को दी जायेगी।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान का वचन पत्र परिशिष्ट-8 पर संलग्न है।

भारत सरकार के उपरोक्त 8 शर्तों के अतिरिक्त म0प्र0 शासन, वन विभाग, भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक 1948/1693/09/10-3 दिनांक 10.08.2009 में निम्न शर्तें अधिरोपित हैं :-

1	स्वीकृत खदान के आस-पास के 2 कि.मी. की परिधि के वनक्षेत्र में उत्खनन नहीं होने का दायित्व उपयोगकर्ता का होगा। यदि आस-पास के 2 कि.मी. के वनक्षेत्र की परिधि में अवैध उत्खनन होता है तो उत्खनन की सूचना उपयोगकर्ता द्वारा खनिज अधिकारी तथा वनमण्डलाधिकारी को तत्काल लिखित में की जायेगी, अन्यथा राज्य शासन द्वारा विधिवत कार्यवाही की जावेगी।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान का वचन पत्र परिशिष्ट-9 पर संलग्न है।
2	आवेदक संस्था से यह लिखित वचन पत्र लिया जावे कि भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त यदि अन्य कोई शर्त अधिरोपित की जाती है, तो व उन्हें मान्य होगी।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान का वचन पत्र परिशिष्ट-9 पर संलग्न है।

अतः आवेदक श्री शरद बंसल द्वारा पूर्व में दिये गये वचन पत्र एवं दिनांक 07/02/2023 को दिये गये वचन पत्र की प्रतियां तथा आवश्यक अभिलेखों संलग्न प्रेषित कर प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

  
(सुनील अग्रवाल)


प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ-1/FP/MP/MIN/33660/20218/ 613

भोपाल, दिनांक 08/08/2023

प्रतिलिपि:-

- 1 मुख्य वन संरक्षक, रींवा वृत्त, रींवा, मध्यप्रदेश
  - 2 वन मण्डल अधिकारी, सामान्य वन मण्डल, सतना मध्य प्रदेश
  - 3 श्री शरद कुमार बंसल, मु.पो. जैतवारा, जिला सतना मध्य प्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ अग्रेषित

  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

6-MPC065/2018-BHO

1/52802/2023



(सत्यमेव जयते)

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE

क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल/ REGIONAL OFFICE, BHOPAL

Kejdriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,  
BHOPAL - 462016 (M.P.)

BHOPAL - 462016 (M.P.)

TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in



क्रमांक: 6-एमपीसी-066/2018-वीएचओ/  
प्रति.

दिनांक : 12/09/2023

प्रधान सचिव (वन)

मध्यप्रदेश शासन,

वल्लभ भवन, भोपाल,

(मध्यप्रदेश)।

विषय: सतना जिले के परिक्षेत्र मझगांव ग्राम-पिपरीटोला के वनकटा क्रमांक पीएफ-870 की 460 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि कोपन कास्ट पद्धति से ओवर च्हाइट कलेंडर आईट खनिज उत्खनन नवीनीकरण हेतु श्री शरद कुमार वंसल, जैतवारा को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ: प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश का पत्र क्रमांक एफ-1/FP/MP/MIN/33660/20218/612 दिनांक 08/02/2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्र के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव से संबंधित राज्य शासन, मध्यप्रदेश से प्राप्त प्रतिउत्तर दिनांक 08/02/2023 एवं REC Meeting dated 13/06/2023 उपरोक्त प्रस्ताव आगामी कार्यवाही हेतु मंत्रालय, नई दिल्ली प्रेषित किया गया। मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रस्ताव से संबंधित वांछित जानकारी/ दस्तावेज प्रेषित किये जाने का अनुरोध किया गया है जो कि निम्न नांकित है-

1. A copy of approved mining plan for the renewal period shall be submitted.
2. Documentary proof shall be provided to substantiate that the mining lease has been extend to period upto 31/03/2054.
3. The proposal is related to renewal of mining lease, hence status of the safety zone shall be required.

उपरोक्त विवरण स्पष्ट रूप से अभिलेख सहित प्रेषित किये जाने का अनुरोध है जिससे प्रस्ताव में आगामी कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

(श्री राम कुमार)

तकनीकी अधिकारी (वाणिकी)

प्रतिलिपि: प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, सतपुडा भवन, भोपाल।

Signed by: Hare Ram Kumar

Date: 12-09-2023 20:23:03

Reason: Approved

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), वन भवन, तुलसी नगर, म.प्र., भोपाल

क्रमांक/एफ-1/FP/MP/MIN/33660/20218/5351

भोपाल, दिनांक 23.10.2024

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),  
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, केन्द्रीय पर्यावरण भवन  
लिंग रोड नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- वन मंडल सतना के परिक्षेत्र मझगंवा ग्राम पिपरीटोला के वन कक्ष क्र. पी.एफ.-870 के रकबा 4.600 हेक्टेयर वनभूमि में ओपन कास्ट पद्धति से ओकर व्हाट क्ले, लेटराइट खनिज उत्खनन नवीनीकरण का श्री शरद कुमार बंसल, सतना के व्यपवर्तन का आन लाईन प्रस्ताव क्र. FP/MP/MIN/33660/2018

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्र./6-MPC 066/2018-BHO/ दिनांक 12/09/2023


—0—

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई 03 बिन्दुओं की जानकारी प्राप्त कर निम्नानुसार प्रेषित है :-

क्र.	चाही गई जानकारी	प्रेषित जानकारी
1	A copy of approved mining plan for the renewal period shall be submitted.	चाही गई इस बिन्दु की जानकारी के संबंध में नवीनीकरण अवधि हेतु अनुमोदित माईनिंग प्लान की प्रति प्रस्तुत की गई है, जो संलग्न है।
2	Documentary proof shall be provided to substantiate that the mining lease has been extend to perood upto 31/08/2054.	चाही गई इस बिन्दु की जानकारी के संबंध में कलेक्टर, खनिज शाखा, सतना द्वारा खदान की मूल स्वीकृति दिनांक 01.09.2004 से 31.08.2054 (50 वर्ष) तक मान्य करते हुये खनि पट्टाधारी से अनुबंध दिनांक 20.01.2021 को निष्पादित किया गया है। निष्पादित अनुबंध एवं रजिस्ट्री की प्रति संलग्न प्रेषित है।
3	The proposal is related to renewal of mining lease, hence status of the safety zone shall be required.	चाही गई इस बिन्दु की जानकारी के संबंध में लेख है कि प्रस्ताव खनन पट्टा नवीनीकरण का होने से सुरक्षा क्षेत्र की जांच वनमण्डलाधिकारी, सतना द्वारा कराई गई है, जिसमें खदान क्षेत्र पी.एफ.-870 श्री शरद कुमार बंसल को पूर्व स्वीकृत खदान रकबा 4.600 हेक्टेयर आवेदित क्षेत्र के सेपटी जोन 7.5 मीटर छोड़ा गया है। इस सेपटी जोन में पौधा रोपण भी किया गया है। निरीक्षण के दौरान सेपटी जोन में 900 पौधों से अधिक पौधे जीवित अवस्था में पाये गये हैं।

उपरोक्तानुसार प्राप्त जानकारी संलग्न प्रेषित कर निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार की आवश्यक अनुमति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

  
(एच.एस.मोहन्ता)


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ-1 / FP/MP/MIN/33660/20218/ 5352

भोपाल, दिनांक 23.10.21

प्रतिलिपि:-

- 1 मुख्य वन संरक्षक, रीवा वृत्त, रीवा, मध्यप्रदेश
  - 2 वन मण्डल अधिकारी, सामान्य वन मण्डल, सतना मध्य प्रदेश
  - 3 श्री शरद कुमार बंसल, मु.पो. जैतवारा, जिला सतना मध्य प्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ अग्रेषित

  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल



भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA  
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय  
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

**पत्र-2**  
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र,  
Regional Office, Western Region,  
E-3/240, अरेरा कालोनी/Arera Colony,  
भोपाल (म०प्र०)/Bhopal-462016 (M.P.)  
दूरभाष /Phone: 466525, 465496, 465054  
फैक्स /Fax: 0755-463102  
तार /Telegram: CENTFOREST  
अणुडाक /E-mail: rccfw@sancharnet.in

क्रमांक: 8सी/5/435/1997-एफसीडब्ल्यू/ 2971

दि. 19-12-2002,

प्रति,

प्रधान सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
वन विभाग, वल्लभ भवन,  
भोपाल ।

विषय: सतना जिले में लेटराइट, व्हाइट क्ले व ओकर्स के उत्खनन हेतु 8.00 हे० वनभूमि श्री शरद कुमार बंसल को उपयोग पर देने बाबत।

- संदर्भ: 1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक 8सी/5/435/1997-एफसीडब्ल्यू दिनांक 27.08.1998  
2. मु०व०सं०(भू-सर्वे), म०प्र० का पत्रांक एफ-1/63/94/10-11/3853 दिनांक 29.11.2002

महोदय,

कृपया अपने उक्त विषयक पत्रांक एफ-5/18/97/10/3, दिनांक 05.05.1997 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन का अनुरोध किया गया था ।

उक्त वनभूमि के उल्लिखित उद्देश्य हेतु प्रत्यावर्तन के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा, उसमें लगायी गयी शर्तों के अधीन, सिद्धान्ततः सहमति दी गयी थी ।

उपरोक्त संदर्भित पत्र (2) द्वारा नोडल अधिकारी, म०प्र० शासन ने उक्त शर्तों की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा केन्द्र सरकार की ओर से सतना जिले में लेटराइट, व्हाइट क्ले व ओकर्स के उत्खनन हेतु 8.00 हे० वनभूमि श्री शरद कुमार बंसल को वनेत्तर उपयोग के लिये दिये जाने का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों पर औपचारिक अनुमोदन किया जाता है :-

वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।

2 क. वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर सतना जिले के रघुराजपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम नयागांव के खसरा नं० 96/1 :पार्ट: में 8.00 हे० गैर वन भूमि पर इस पत्र के निर्गत होने के दो वर्ष के अंदर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा ।

ख. यह भूमि आरक्षित/संरक्षित वन घोषित की जायेगी ।

3. उपयोगकर्ता के खर्च पर, भूमि पर क० संख्या, बियरिंग और खम्भे से खम्भे की दूरी सहित, आ०सी०सी० खम्भों (उंचाई 4 फीट) का प्रयोग करते हुये खनन पट्टा क्षेत्र का सीमांकन किया जायेगा ।

4. वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर खनित क्षेत्र का समतलीकरण किया जायेगा । खनन एक तरफ से एक भाग से दूसरे भाग की ओर व्यवस्थित तरीके से किया जायेगा तथा जिस किसी भाग में उत्खनन पूर्ण हो जाये वहाँ पर जितनी जल्दी हो सके समतलीकरण कार्य किया जायेगा ।

5. खनन पट्टे की अवधि 10 वर्ष होगी ।
6. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।
7. प्रत्यावर्तित वनभूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा ।
8. राज्य सरकार द्वारा लगाई गई अन्य कोई भी शर्त ।

भवदीय,

(दीपक श्रीवास्तव)

उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:

1. निदेशक(एफ0सी0) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
2. मुख्य वन संरक्षक (भू-सर्वे) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, म0प्र0 शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
3. वन संरक्षक, रीवा वृत्त, रीवा, म0प्र0 ।
4. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, सतना (म0प्र0) ।
5. श्री शरद कुमार बंसल, ग्राम जैतवारा, जिला सतना (म0प्र0) ।
6. आदेश पत्रावली ।

दीपक श्रीवास्तव  
(दीपक श्रीवास्तव) 18-12-20

उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

san/order/2other/6-7



सत्यमेव जयते

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA  
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय  
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र,  
Regional Office, Western Region,  
"केन्द्रीय पर्यावरण भवन"  
"Kendriya Paryavaran Bhavan  
लिन्क रोड नं०-३, Link Road No. 3  
E-5, रविशंकर नगर/Ravi Shankar Nagar,  
भोपाल (म०प्र०)/Bhopal-462016 (M.P.)  
फोन- 2466525, 2463102, 2465496  
अण्डाक /E-mail: rccfbhopal@gmail.com

पत्र-३

क्रमांक: 8C/5/435/1997-FCW/1805,

दि०-२१-७-२००९,

प्रति,

प्रधान सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
वन विभाग, वल्लभ भवन,  
\* भोपाल ।

विषय: सतना जिले में लेटराइट, व्हाइट क्ले व ओकर्स के उत्खनन हेतु (8.00 हे० वनभूमि में से) संशोधित औपचारिक अनुमोदन 4.600 हे० वनभूमि उपयोग पर देने एवं 3.400 हे० वनभूमि समर्पण हेतु श्री शरद कुमार बंसल के प्रस्ताव बाबत ।

- संदर्भ: 1. इस कार्यालय का औपचारिक अनुमोदन पत्रांक 8सी/5/435/1997-एफसीडब्ल्यू/2971 दिनांक 19/12/2002  
2. अपर प्रधान मु०व०सं० एवं नोडल अधिकारी, म०प्र० का पत्रांक एफ-1/152/94/10-11/2759 दिनांक 24/12/2008

महोदय,

कृपया मध्यप्रदेश सरकार के उक्त विषयक पत्रांक एफ-5/18/97/10/3 दिनांक 05/05/1997 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के उपरोक्त संदर्भित पत्र (2) का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन/समर्पण का अनुरोध किया गया था ।

उक्त वनभूमि के उल्लिखित उद्देश्य हेतु प्रत्यावर्तन के लिए इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा, उसमें लगायी गयी शर्तों के अधीन, औपचारिक स्वीकृति दी गयी थी । उपरोक्त संदर्भित पत्र (2) द्वारा नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन ने 3.400 हे० वनभूमि समर्पण का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । अतः केन्द्र सरकार की ओर से 4.600 हे० वनभूमि उपयोग पर देने एवं 3.400 हे० वनभूमि समर्पण हेतु श्री शरद कुमार बंसल के प्रस्ताव को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृति आदेश दिनांक 19/12/2002 (संदर्भ संख्या 1) को अधिग्रहित करते हुए निम्नलिखित शर्तों पर औपचारिक अनुमोदन दिया जाता है :-

1. वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।
2. अ) वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्चे पर सतना जिले के रघुराजपुर तहसील के अन्तर्गत ग्राम-नयागांव के खसरा क्रमांक 96/1(पार्ट) में समतुल्य गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा ।  
ब) इस गैर वनभूमि को आरक्षित वन घोषित किया जायेगा ।  
स) इस गैर वनभूमि को आरक्षित वन घोषित करने के लिए भारतीय वन अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत जारी मूल अधिसूचना की एक प्रति यह वनभूमि सौंपने के 6 माह के अन्दर नोडल अधिकारी द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी ।

.....2

3. उपयोगकर्ता के खर्च पर, भूमि पर कम संख्या, बियरिंग और खम्भे की दूरी सहित, आर0सी0सी0 खम्भों (ऊँचाई 4 फिट) का प्रयोग करते हुये खनन पट्टा क्षेत्र का सीमांकन किया जायेगा ।
4. वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर समतलीकरण किया जायेगा । खनन एक तरफ से एक भाग से दूसरे भाग की ओर व्यवस्थित तरीके से किया जायेगा तथा जिस किसी भाग में उत्खनन पूर्ण हो जाये वहाँ पर जितनी जल्दी हो सके समतलीकरण कार्य किया जायेगा तथा उसका reclamation किया जायेगा
5. खनन पट्टे की अवधि 10 वर्ष होगी ।
6. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जायेगा ।
7. प्रत्यावर्तित वनभूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा ।
8. राज्य शासन द्वारा लगायी गयी अन्य कोई शर्त । उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा अन्य कोई शर्त लगाये जाने की स्थिति में इसकी सूचना इस कार्यालय को दी जायेगी ।

इस कार्यालय के औपचारिक अनुमोदन पत्रांक 8सी/5/435/1997-एफसीडब्ल्यू/2971 दिनांक 19/12/2002 को निरस्त किया जाकर, उपरोक्त औपचारिक अनुमोदन प्रेषित किया जाता है ।

भवदीय,

(सुजॉय बैनर्जी)

उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:

1. उप सचिव(एफ0सी0),पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
3. वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमण्डल सतना, जिला-सतना, मध्यप्रदेश ।
4. श्री शरद कुमार बंसल, ग्राम-जैतवारा, जिला-सतना, मध्यप्रदेश ।
5. आदेश पत्रावली ।


(सुजॉय बैनर्जी)

उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

# GEO REFERENCED MAP FOR DIVERTED LAND



PROPOSAL NO - FP/MP/MIN/36660/2018  
 PROPOSAL NAME - RENEWAL OF MINING LEASE OF OCHRE , WHITE CLAY & LATERITE  
 DIVISION- SATNA(M.P.)  
 TOTAL APPLIED AREA - 4.60 HA.  
 AREA FOR MINING - 4.542 HA.  
 AREA FOR EXT. PATH- 0.058 HA.



## INDEX

APPLIED AREA FOR MINING OVER: 4.542 HA.	
MINEABLE AREA (3.740HA.)	
SAFETY ZONE/GREEN BELT AREA (0.802 HA.)	
EVACUATION ROAD (APPROACH- 0.058 HA.)	
	145mX4m



## कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल सतना, म.प्र.

क्रमांक /मा.चि./

/सतना,दिनांक

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मू-प्रबन्ध)  
मध्य प्रदेश, भोपाल

विषय- वन भूमि के लिए नेट प्रजेन्ट वैल्यू वसूल करने बावत्।

सन्दर्भ-(1) म.प्र. शासन वन विभाग का आदेश क्रमांक/एफ-5/16/2000/10-3 दिनांक 12.09.08।

(2) मेसर्स शरद कुमार बंसल, मुकाम पोस्ट जैतवारा का आवेदन दिनांक 19.01.09।

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग भोपाल के सन्दर्भित आदेश से उल्लेखित वनों की ईको वैल्यू श्रेणी से नेट प्रजेन्ट वैल्यू राशि वसूल करने का निर्देश प्राप्त हुआ है।

वन मण्डल सतना हेतु बनाई गई कार्य आयोजना आलेख भाग-1 अध्याय 3 वन संसाधन पृष्ठ 13 में योजना क्षेत्र के अन्तर्गत पाये जाने वाले वनों का विवरण दर्शाया गया है। जिसके अनुसार निर्धारित श्रेणी 5बी(2सी) उत्तरी ऊष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती मिश्रित वन का क्षेत्र ही निर्धारित होता है। जिसके अनुसार आदेश में निर्धारित III ऊष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के लिए लागू नेट प्रजेन्ट वैल्यू राशि वसूल किया जाना है।

मेसर्स शरद कुमार बंसल, मुकाम पोस्ट जैतवारा द्वारा पिपरी टोला खदान (जो वर्तमान में बंद है) रकबा 4.600 हेक्टर हेतु एन. पी. व्ही. राशि के सम्बन्ध में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। श्री बंसल से अंतर की राशि जमा कराये जाने का विवरण निम्नानुसार है:-

स्वीकृति वन क्षेत्र (हे. में)	शासन को समर्पण किये जाने वाला वन क्षेत्र (हे. में)	शेष क्षेत्र (हे. में)	शेष क्षेत्र हेतु जमा कराई गई ने. प्र. वैल्यू राशि 5. 80 लाख की दर से	संशोधित दर 6.26 लाख अनुसार जमा कराई जाने वाली ने. प्र. वैल्यू राशि	अन्तर की राशि जो आवेदक से जमा कराई जानी है
8.000	3.400	4.600	2668000	2879600	211600

वन मण्डल अधिकारी

वन मण्डल सतना

पृ. क्रमांक/मा.चि./ 308

/सतना,दिनांक 24/10/09

प्रतिलिपि,

- मुख्य वन संरक्षक (एन.पी.व्ही.), विकास, म.प्र., सतपुडा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- मुख्य वन संरक्षक, रीवा वृत्त, रीवा की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- मे. शरद कुमार बंसल, मु. पोस्ट जैतवारा की ओर उनके आवेदन के सन्दर्भ में सूचनार्थ। एन.पी.व्ही. के संशोधित दर अनुसार अन्तर की राशि रु. 211600 का ड्राफ्ट वन मण्डल अधिकारी सतना के पक्ष में जमा कराया।

वन मण्डल अधिकारी

वन मण्डल, सतना

**-पत्र-6****कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल सतना, म.प्र.**कमांक/मा.चि./  
प्रति,

5515

/सतना,दिनांक



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

(मू - प्रबन्ध)

मध्य प्रदेश, भोपाल

विषय-सतना जिले में लेटराइट, व्हाइट क्ले, ओकर्स के उत्खनन हेतु 8.00 हेक्टेयर वन भूमि पर शरद कुमार बंसल का प्रस्ताव।

सन्दर्भ-आपका पृष्ठां. पत्र कमांक/एफ-1/152/94/10-11/908 दिनांक 28.04.09।

आपके सन्दर्भित पत्र के निर्देशानुसार विषयांकित के सम्बन्ध में नेट प्रजेन्ट वैल्यू की अंतर की राशि 2,11,600.00 (दो लाख ग्यारह हजार छः सौ मात्र) आवेदक से ड्राफ्ट कमांक 185397 दिनांक 8.07.09 इलाहाबाद बैंक का वन मण्डल अधिकारी, सतना के नाम प्राप्त हो गया है। जमा कराई गई राशि के सम्बन्ध में सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वन मण्डल अधिकारी

पृ. कमांक/मा.चि./  
प्रतिलिपि,

5516

/सतना,दिनांक

वन मण्डल सतना  
14/7/09

14-7-09

मुख्य वन संरक्षक, रीवा वृत्त, रीवा की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वन मण्डल अधिकारी

वन मण्डल, सतना  
14/7/09

# कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सतना (म.प्र.)

क्रमांक/मा.चि./  
प्रति.

सतना,दिनांक

मुख्य वनसंरक्षक(भू-सर्वेक्षण)  
सतपुडा भवन भोपाल

विषय:-सतना वनमण्डल के अंतर्गत वन परिक्षेत्र मझगावां के कक्ष क्र 230 पी. में 8.00 हे.क्षेत्र में लेटराइट,क्लाइट ब्लै व ओकर्स के उत्खनन हेतु श्री शरद कुमार बंसल को उपयोग पर देने बाबत ।

संदर्भ:-आपका पत्र क्र./पृ/एफ-1/152/94/10-11/1786 दिनांक 4.7.03 ।

आपके संदर्भित क्रमांक के पालन में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा दिनांक 19.12.02 को दी गई स्वीकृति में रोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन आपकी ओर भेजा जा रहा है ।

1. वनभूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा के संबंध में आवेदक द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है जो चार प्रतिशतों में संलग्न है ।
2. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण 8.00 हे पर ग्राम नया गांव की गैर वनभूमि खसरा नं. 96/1 पार्ट में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु 87553.00 की राशि का बजट आवंटन प्राप्त हुई है । वृक्षारोपण कार्य किया जा रहा है ।
3. ग्राम नया गांव के खसरा नं. 96/1 पार्ट को क्र.डी-594 -90-3-10-3 दिनांक 17.2.03 से अधिसूचित किया गया है ।
4. उपयोग कर्ता के खर्च पर खनन पट्टा क्षेत्र का सीमांकन कम संख्या, बियरींग और खम्भे से खम्भे की दूरी सहित आर.सी.सी.पीलर सहित खनिज विभाग के खनि निरीक्षक के साथ संयुक्त रूप से किया गया है जिसका मौका पंचनामा फील्ड बुक एवं नक्शे की छायाप्रति संलग्न है ।
5. खनित क्षेत्र 8.00 हे के समतलीकरण हेतु आवेदक से निर्धारित दर 10000 रु.प्रति हे. से 80000 रु.जमा कराया गया जिसका समायोजन चालान नं. 7/3 दिनांक 10.5.03 से किया जा चुका है
6. खननपट्टे की अवधि 10 वर्ष पर आवेदक द्वारा सहमति दी गई है ।
7. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किये जाने का आवेदक का वचन पत्र संलग्न है ।
8. उपयोग कर्ता से प्रत्यावर्तित वन भूमि का प्रत्याशा मूल्य निर्धारित दर 1000 रु. से 8000 रु. जमा कराया गया जिसका समायोजन चालान नं. 7/3 दिनांक 10-5-03 से किया जा चुका है ।
9. स्वीकृत खदान के आस-पास के 2 कि.मी. की परिधि में वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन नहीं होने तथा होने पर सूचना देने का वचन पत्र आवेदक से प्राप्त को संलग्न भेजा जा रहा है ।
10. आवेदक द्वारा भविष्य में कोई अतिरिक्त शर्त लगाये जाने पर उन्हें मानने का वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे संलग्न कर भेजा जा रहा है ।

पालन प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित है ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

वनमण्डलाधिकारी  
वनमण्डल सतना

पृ.क्र./मा.चि./  
प्रतिलिपि:-

257


सतना, दिनांक

11/2/04

1. वनसंरक्षक रीवा वृत्त की ओर उनके पत्र क्रमांक/मा.चि./4568 दिनांक 21.8.03 के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

2. कलेक्टर (खनिज शाखा) सतना की ओर सूचनार्थ । संयुक्त सीमांकन एवं स्थल मा.चि. संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार



वनमण्डलाधिकारी  
वनमण्डल सतना  
11/2/04

# कार्यालय वन मण्डल, सतना, (म. प्र.)

पत्र-8

क्रमांक/मा.चि./

/सतना,दिनांक

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,


रीवा वृत्त, रीवा (म. प्र.)

विषय- सतना जिले के लेटराइट व्हाइट क्ले व ओकर्स के उत्खनन हेतु (8.000 हेक्टेयर वन भूमि में से) संशोधित रकबा 4.600 हेक्टेयर वन भूमि उपयोग पर देने एवं 3.400 हेक्टेयर वन भूमि समर्पण हेतु श्री शरद कुमार बंसल का प्रस्ताव।

सन्दर्भ- आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./8580 दिनांक 11.09.09।

आपके सन्दर्भित पत्र से प्राप्त विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार एवं म. प्र. शासन की स्वीकृति शर्तों के आधार पर संशोधित रकबा 4.600 हेक्टेयर वन भूमि को उपयोग पर देने हेतु परिक्षेत्र अधिकारी मझगवां को निर्देशित कर क्षेत्र का सीमांकन कराकर क्षेत्र को पृथक कराने की कार्यवाही पूर्ण कराई गई। संशोधित स्वीकृत क्षेत्र को सीमांकन उपरान्त आवेदक को उपयोग हेतु कार्य करने की अनुमति प्रदाय की गई। परिक्षेत्र अधिकारी मझगवां द्वारा किये गये क्षेत्र सीमांकन प्रतिवेदन एवं आवेदक से प्राप्त अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न कर आपकी ओर अवलोकनार्थ सम्प्रेषित है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

  
वन संरक्षक,


वन मण्डल, सतना

पृ. क्रमांक/मा.चि./ 6747


/सतना,दिनांक 5-10-09

प्रतिलिपि,

1. कलेक्टर, खनिज शाखा सतना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मेसर्स शरद कुमार बंसल, मुकाम पोस्ट जैतवारा की ओर उनके आवेदन दिनांक 20.09.09 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।

  
वन संरक्षक,

वन मण्डल, सतना



प्रेषक - शरद कुमार बंसल  
पो. - जैतवारा  
जिला - सतना (म.प्र.)

दिनांक - 20/09/2009

प्रति,

वन परिक्षेत्र अधिकारी  
परिक्षेत्र मझगवां  
जिला - सतना (म.प्र.)

विषय सतना जिले मे ग्राम पिपरी टोला कक्ष क्र. 203 पी. मे 8.00 हे. वन भूमि मे से संशोधित स्वीकृत रकवा 4.60 हे. क्षेत्र में लेटराइट, व्हाइट क्ले व ओकर के उत्खनन हेतु वनभूमि को उपयोग मे देने बावत्।

संदर्भ वन मंडलाधिकारी सतना का पत्र क्र. मा. चि./7947 दिनांक 15.09.2009।

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य मे भारत सरकार एवं म.प्र. राज्य शासन द्वारा अधिरोपित शर्तों के पालन मे जानकारी बिन्दुवार निम्नानुसार प्रेषित है -  
भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तें एवं पालन प्रतिवेदन -

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरुप अपरिवर्तित रहेगा ।

उपयोगकर्ता द्वारा वचन पत्र पूर्व में प्रस्तुत किया जा चुका है। संशोधित स्वीकृति के पश्चात पुनः संप्रेषित है।

2. अ - वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्चे पर सतना जिले के रघुराजनगर तहसील के अंतर्गत ग्राम नयागांव के खसरा नं. 96/1 (पार्ट मे) समतुल्य गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जाएगा।

उपयोगकर्ता द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि रूपए 1,30,024 / बैंकर चेक नं. 772321 दिनांक 20.06.00 भारतीय स्टेट बैंक का वन विभाग के मद मे जमा किया गया है। शेष अग्रिम कार्यवाही वन विभाग से संबंधित है।

2. ब - इस गैर वन भूमि को आरक्षित वन घोषित किया जाएगा ।

दिनांक 17.02.2003 से म.प्र. राजपत्र मे अधिसूचित किया जा चुका है।  
(छायाप्रति संलग्न है)

2. स - इस गैर वन भूमि को आरक्षित वन घोषित करने के लिए भारतीय वन अधिनियम की धारा - 4 के अन्तर्गत सारी मूल अधिसूचना की एक प्रति यह वन भूमि सौंपने के 6 माह के अन्दर नोडल अधिकारी द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की जाएगी ।

- - - F.T.O.

उक्त कार्यवाही वन विभाग से संबंधित है।

3. उपयोगकर्ता के खर्च पर भूमि पर क्रम संख्या , वियरिंग , और खम्भे की दूरी सहित आर. सी. सी. खम्बों (उचाई 4 फिट) का प्रयोग करते हुए खनन पट्टा क्षेत्र का सीमांकन किया जाएगा ।

दिनांक 19.09.2009 को वन विभाग के अधिकारियों द्वारा सीमांकन किया गया एवं प्रतिवेदन पंचनामा भेजा गया है।

4. वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर समतलीकरण किया जाएगा । खनन एक तरफ से एक भाग से दूसरे भाग की ओर व्यवस्थित तरीके किया जावेगा तथा जिस किसी भाग में उत्खनन पूर्ण हो जाए वहां पर जितनी जल्दी हो सके समतलीकरण कार्य किया जाएगा तथा उसका Reclamation किया जाएगा ।

समतलीकरण हेतु उपयोग कर्ता द्वारा राशि रूपए 80,000/ उपलब्ध करा दी गई है। वन विभाग के मद में 16.03.2003 को जमा की जा चुकी है। अग्रिम कार्यवाही वन विभाग से संबंधित है।

5. खनन पट्टे की अवधि 10 वर्ष होगी ।

म.प्र.शासन खनिज साधन विभाग द्वारा अपने आदेश क्रमांक -3- 144/95/12/2 दिनांक 18.06.2003 द्वारा खनिजपट्टा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत किया गया है जिसका पालन उपयोगकर्ता द्वारा किया जाएगा ।

6. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जाएगा ।

उपयोगकर्ता द्वारा वचनपत्र प्रस्तुत है।

7. प्रत्यावर्तित वन भूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।

उपयोगकर्ता द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत है।

राज्य शासन द्वारा अधिरोपित शर्तें एवं पालन प्रतिवेदन :-

1. आवेदक संस्थान से यह लिखित वचनपत्र लिया जावे कि भारत शासन/राज्य शासन द्वारा उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त यदि अन्य कोई शर्त अधिरोपित की जाती है, तो वह उन्हें मान्य होगी।

उपयोगकर्ता द्वारा वचनपत्र प्रस्तुत है।

कृ . प. उ.

2. स्वीकृत खदान के आसपास के 2 किमी. की परिधि के वन क्षेत्र में उत्खनन नहीं होने का दायित्व उपयोगकर्ता का होगा। यदि आसपास के 2 किमी. के वन क्षेत्र की परिधि में अवैध उत्खनन होता है, तो उत्खनन की सूचना उपयोगकर्ता द्वारा खनिज अधिकारी तथा वन मण्डलाधिकारी को तत्काल लिखित में की जावेगी, अन्यथा राज्य शासन द्वारा विधिवत कार्यवाही की जावेगी।


उपयोगकर्ता द्वारा वचनपत्र प्रस्तुत है।


अस्तु उपरोक्तानुसार अधिरोपित शर्तों के पालन में जानकारी संप्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपि (1) वन संरक्षक, वन मंडल सतना (म.प्र.)  
(2) उपवनमंडल अधिकारी नागौद ।

भवदीय

  
Sharad Kumar Bansal  
P. O. JAITWARA,  
Dt. Saina (M.P.) Pin 485221

  
20/09/2009  
प्रा. व. म. व. प.  
20/09/2009



  
वन मंडल अधिकारी  
सतना (म.प्र.)

## वचन पत्र


भारत सरकार वन विभाग के आदेश क्रमांक - 8 सी/5/435/1977 एफ सी डब्ल्यू/2971 दिनांक 19.12.2002 एवं म.प्र. राज्य शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक एफ - 5/18/97/10/3 दिनांक 05.03.2003 द्वारा आवेदक शरद कुमार बंसल को ग्राम पिपरी टोला के कक्ष क्रमांक 203 पी. रकवा 8.000 हेक्टर वन भूमि (7.972 हेक्टर खनिज उत्खनन हेतु एवं 0.028 हे. निकासी मार्ग हेतु) पर ओकर व्हाइट क्ले एवं लेटराइट खनिज के खनिपट्टा हेतु 10 वर्ष के लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी।

तत्सम्बन्ध में आवेदक द्वारा 3.40 हे. वन भूमि समर्पण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। भारत सरकार वन मंत्रालय के पत्र क्रमांक - 8 C /5/435/1997 - FCW/1805 दिनांक 21.07.2009 एवं म.प्र. राज्य शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक - 1948/1693/09/10 - 3/ दिनांक 10.08.2009 द्वारा समर्पण स्वीकार कर (8.00 हे. में से 3.40 हे.) , शेष 4.60 हे. वन भूमि 10 वर्ष के लिए उपयोग पर देने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

राज्य शासन वन विभाग के पत्र दिनांक 10.08.2009 में निर्धारित शर्त की कंडिका 1 के अनुसार वन भूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं किया जाएगा। कंडिका 8 के अनुसार वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जाएगा। कंडिका 9 के अनुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा। कंडिका 10 के अनुसार भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा यदि अतिरिक्त अन्य कोई शर्तें लगाई जाती हैं तो आवेदक उसे मानने को वचन बद्ध है। कंडिका 11 के अनुसार स्वीकृत खदान के आसपास 2 कि.मी. की परिधि में अवैध उत्खनन नहीं होने का दायित्व उपयोगकर्ता का होगा। 2 कि.मी. की परिधि में अवैध उत्खनन होता है तो इसकी लिखित सूचना उपयोगकर्ता द्वारा खनिअधिकारी एवं वन मंडल अधिकारी को दी जाएगी।

20 SEP 2009

आवेदक



Sharad Kumar Bansal

P. O. JAITWARA,

Dist. Satna (M.P.) Pin 485221

शरद  
हिल  
20/09/2009  
वन मंत्रालय  
नया दिल्ली

वन मंडल अधिकारी  
वन मंडल सतना

# कार्यालय वन मण्डल, सतना, (म. प्र.)

पत्र-9

क्रमांक/मा.चि./

/सतना,दिनांक

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,

रीवा वृत्त, रीवा (म. प्र.)

विषय- सतना जिले के लेटराइट व्हाइट क्ले व ओकर्स के उत्खनन हेतु (8.000 हेक्टेयर वन भूमि में से) संशोधित रकबा 4.600 हेक्टेयर वन भूमि उपयोग पर देने एवं 3.400 हेक्टेयर वन भूमि समर्पण हेतु श्री शरद कुमार बंसल का प्रस्ताव।

सन्दर्भ- आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./8580 दिनांक 11.09.09।

आपके सन्दर्भित पत्र से प्राप्त विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार एवं म. प्र. शासन की स्वीकृति शर्तों के आधार पर संशोधित रकबा 4.600 हेक्टेयर वन भूमि को उपयोग पर देने हेतु परिक्षेत्र अधिकारी मझगवां को निर्देशित कर क्षेत्र का सीमांकन कराकर क्षेत्र को पृथक कराने की कार्यवाही पूर्ण कराई गई। संशोधित स्वीकृत क्षेत्र को सीमांकन उपरान्त आवेदक को उपयोग हेतु कार्य करने की अनुमति प्रदाय की गई। परिक्षेत्र अधिकारी मझगवां द्वारा किये गये क्षेत्र सीमांकन प्रतिवेदन एवं आवेदक से प्राप्त अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न कर आपकी ओर अवलोकनार्थ सम्प्रेषित है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

  
वन संरक्षक,


वन मण्डल, सतना

पृ. क्रमांक/मा.चि./ 05147

/सतना,दिनांक 5-10-09

प्रतिलिपि,

1. कलेक्टर, खनिज शाखा सतना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मेसर्स शरद कुमार बंसल, मुकाम पोस्ट जैतवारा की ओर उनके आवेदन दिनांक 20.09.09 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।

  
वन संरक्षक,


वन मण्डल, सतना



# GEO REFERENCED MAP FOR DIVERTED LAND



PROPOSAL NO - FP/MP/MIN/36660/2018  
 PROPOSAL NAME - RENEWAL OF MINING LEASE OF OCHRE , WHITE CLAY & LATERITE  
 DIVISION- SATNA(M.P.)  
 TOTAL APPLIED AREA - 4.60 HA.  
 AREA FOR MINING - 4.542 HA.  
 AREA FOR EXT. PATH- 0.058 HA.




## INDEX

APPLIED AREA FOR MINING OVER 4.542 HA	
MINEABLE AREA (3.740HA.)	
SAFETY ZONE/GREEN BELT AREA (0.802 HA.)	
EVACUATION ROAD (APPROACH- 0.058 HA.)	

PRD ROAD

वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण  
 ग्राम नयागांव खसरा क्रमांक 96/01 रकबा 8.000 हैक्ट0  
 रोपण स्थल - नयागांव का जियो मैप  
 वनपरिक्षेत्र मझगावों



Pillar No.-	Co ordinates points	
	Latitude (N)	Longitude (E)
1C	24°50'6.50" N	80°51'58.60" E
2C	24°50'10.7" N	80°52'08.40" E
3C	24°50'5.63" N	80°52'13.60" E
4C	24°49'58.6" N	80°52'04.50" E

वनपरिक्षेत्र मझगावों

कार्यालय वन वृत्त रीवा (म.प्र.)

जयंती कुन्ज वन विश्राम गृह के पास, सेन्द्रल स्कूल मार्ग रीवा  
Fax-241689, E-mail-ccf.rwa@mp.gov.in, Ph-242098

\*\*\*\*\*

आदेश

रीवा / दिनांक 07-06-2021

कमांक / 155 मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन कमांक 621/03/नियम/चार, भोपाल दिनांक 03.09.2003 द्वारा प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के तहत वनमण्डल अधिकारी सतना के पत्र कमांक/मा0चि0/4467 दिनांक 28.05.2021 से प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन ग्राम पिपरीटोला में ओपन कास्ट पद्धति से ओकर, व्हाइट क्ले, लेटराइट खनिज उत्खनन नवीनीकरण में प्रभावित वनभूमि रकबा 4.600 हे० के बदले प्राप्त गैर वनभूमि रकबा 08.000 हे. की भारत सरकार के पत्र दिनांक 24.03.2021 से दिये गये निर्देशानुसार तैयार की गई 11 वर्षीय रोपण योजना की तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

क्र०	योजना का नाम	परिक्षेत्र	कार्य का प्रकार	कार्य स्थल	प्रस्तावित क्षेत्रफल हे० में	तकनीकी स्वीकृति की राशि रूपये में
1	ओकर, व्हाइट क्ले, लेटराइट खनिज उत्खनन नवीनीकरण	मझगवां	वैकल्पिक वृक्षारोपण	नयागांव खसरा नम्बर 96/1	8.000	20,58,354.00
				योग-	8.000	20,58,354.00

शर्तें-

2- मुख्य वन संरक्षक(भू-सर्वेक्षण) म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक भू-सर्वेक्षण/बजट/दस/1415 दिनांक 24.02.2004 में औषधीय वृक्षारोपण की सफलता के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आई.ए. कमांक 574 दिनांक 08.09.2000 के पालन में कम से कम जीवित पौधों का प्रतिशत 75 प्रतिशत होना अनिवार्य रहेगा। इसी तारतम्य में प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा इस बिन्दु पर पुनः विचार करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये हैं:-

- 1- सभी औषधीय वृक्षारोपणों में पौधों का जीवित प्रतिशत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आई.ए. कमांक 574 दिनांक 08.09.2000 के निर्देशानुसार 75 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये।
- 2- औषधीय वृक्षारोपण की योजना गम्भीरता से बनाई जाये तथा तकनीकी तथा आर्थिक योजना का अंश इस प्रकार योजनाबद्ध किये जाये कि जीवित पौधों का प्रतिशत कम से कम 75 प्रतिशत करने में सहायक सिद्ध हो। जीवित पौधों के प्रतिशत की गणना प्रतिवर्ष मई माह में कराई जावे।
- 3- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित पौधों का जीवित प्रतिशत 75 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में उन वृक्षारोपणों को औषधीय वृक्षारोपणों की श्रेणी में नहीं रखा जायेगा तथा असफलता के लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 4- कार्य का क्रियान्वयन स्वीकृति योजना के नियमों के तहत ही कार्य कराया जावे तथा कार्य में कार्यरत श्रमिकों के मजदूरी का भुगतान शासन द्वारा निर्धारित दैनिक दर पर ही कराया जावेगा।
- 5- प्रोजेक्ट रिपोर्ट में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत मजदूरी की दर में वृद्धि कर प्रावधान किया गया है फिर भी यदि मजदूरी के दर में इससे अधिक की वृद्धि होती है तो अंतर की राशि संबंधित संस्था द्वारा जमा कराई जावेगी।

(ए.के. सिंह म.व.सं.)

मुख्य वन संरक्षक  
रीवा वृत्त रीवा (म.प्र.)

पृ०कमांक/मा0चि0/ 4349

प्रतिलिपि:- वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सतना की ओर उनके पत्र कमांक/मा.चि./4467 दिनांक 28.05.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

रीवा, दिनांक 07-06-2021

मुख्य वन संरक्षक  
रीवा वृत्त रीवा (म.प्र.)

# मध्य प्रदेश शासन वन विभाग



## परियोजना प्रतिवेदन

वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण  
ग्राम नयागांव खसरा क्रमांक 96/01 रकवा 8.000 हैक्ट0  
रोपण स्थल – नयागांव

### GPS Location-

N-24°50' 6.50" E- 80° 51' 58.60"	N-24°50' 10.7" E- 80° 52' 08.40"
N-24°50' 05.63" E- 80° 52' 13.60"	N-24°49' 58.6" E- 80° 52' 04.50"

योजना का नाम	—	वैकल्पिक वृक्षारोपण
रोपण स्थल	—	नयागांव
खसरा क्रमांक	—	96/01
रकवा/दूरी	—	8.000 हैक्टयर
परिक्षेत्र सहायक	—	अमिरती
वनपरिक्षेत्र	—	मझगवाँ
उपवनमण्डल	—	चित्रकूट
कार्य प्रभारी	—	श्री मैथली शरण पटेल



योजना की अवधि – वर्ष 2021–22 से 2031–32 तक  
वनपरिक्षेत्र मझगवाँ वनमण्डल सतना (म0प्र0)

## भाग-01 सामान्य विवरण

1. परियोजना का नाम :- क्षतिपूर्ति वनीकरण
2. वृक्षारोपण स्थल का नाम- नयागांव
3. किस योजना के बदले- पिपरीटोला माईनिंग लीज
4. वनीकरण के लिये चिन्हित  
गैर वन क्षेत्र- 8.000 हैक्टेयर
5. जिला :- सतना
6. वनमण्डल :- सतना
7. परिक्षेत्र :- मझगवाँ
8. तहसील :- मझगवाँ
9. सर्किल - अमिरती
10. ग्राम पंचायत :- नयागांव
11. बीट का नाम :- पिपरीटोला
12. खसरा क्रमांक :- 96/01
13. मिट्टी का प्रकार :- बलुई, मुरुमी
14. साईट क्वालिटी :- मध्यम, रोपण योग्य
15. योजना की अवधि :- 11 वर्षीय

## उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 8000 पौधे  
 2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :-

प्रजाति का नाम	पौधों की संख्या	पौधों की आयु वर्ष में	पौधों की ऊँचाई (से.मी.)	कॉलर गोलाई (से.मी.)
सागौन	5000			
करंज	1500			
नीम	1500			
योग-	8000			

3. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा बारबेड वायर लगाकर की जावेगी।
4. पुर्नउत्पादन सफाई :- क्षेत्र में किये गये ठूठ ड्रेसिंग कार्य से प्राप्त कापिस की सिंगलिंग का कार्य सुरक्षा श्रमिकों के माध्यम से द्वितीय वर्ष अथवा तृतीय वर्ष में किया जावेगा। क्षेत्र में बिरलन कार्य कार्ययोजना में दिये प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
5. सिलरीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में लैण्टाना उन्मूलन का कार्य किया जायेगा। रोपण उपरांत छटवे वर्ष तक प्रति वर्ष 3 बार निंदाई का कार्य किया जायेगा। सातवें वर्ष में 2 बार तथा आठवें वर्ष में 1 बार निंदाई का कार्य किया जायेगा।
6. रखरखाव :- रोपण के उपरांत 11 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।
7. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जावेगी। इस गणना की प्रविष्टि रोपण पंजी में की जावेगी। समय-समय पर

## उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 8000 पौधे
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :-

प्रजाति का नाम	पौधों की संख्या	पौधों की आयु वर्ष में	पौधों की ऊँचाई (से.मी.)	कॉलर गोलाई (से.मी.)
सागौन	5000			
करंज	1500			
नीम	1500			
योग-	8000			

3. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा बारबेड वायर लगाकर की जावेगी।
4. पुर्नउत्पादन सफाई :- क्षेत्र में किये गये टूट ड्रेसिंग कार्य से प्राप्त कापिस की सिंगलिंग का कार्य सुरक्षा श्रमिकों के माध्यम से द्वितीय वर्ष अथवा तृतीय वर्ष में किया जावेगा। क्षेत्र में बिरलन कार्य कार्ययोजना में दिये प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
5. सिलरीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में लैण्टाना उन्मूलन का कार्य किया जायेगा। रोपण उपरांत छटवे वर्ष तक प्रति वर्ष 3 बार निंदाई का कार्य किया जायेगा। सातवें वर्ष में 2 बार तथा आठवें वर्ष में 1 बार निंदाई का कार्य किया जायेगा।
6. रखरखाव :- रोपण के उपरांत 11 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।
7. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जावेगी। इस गणना की प्रविष्टि रोपण पंजी में की जावेगी। समय-समय पर

विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधों स्थाईत्व को प्राप्त कर लेंगे।

भाग-02

प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल के समस्त आकडे मेरे द्वारा मौके पर जाकर तैयार किये गये है। क्षेत्र उपचार कार्यों के योग्य है।



बीटगार्ड चितहरा  
वनपरिक्षेत्र मझगवाँ

प्रमाण-पत्र


यह प्रमाणित किया जाता है कि स्थल का निरीक्षण किया जाकर स्थल आधारित उपचार मानचित्रा मेरे द्वारा तैयार किया गया है तथा एकत्रित आंकडो की पुष्टि की गयी।




परिक्षेत्र सहायक अमिरती  
वनपरिक्षेत्र मझगवाँ

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है एवं निरीक्षण के समय पाया गया की क्षेत्र में जैबिक दबाव अत्यधिक होने के कारण बारबेड फेसिंग प्रस्तावित की जाती है। प्रस्तावित क्षेत्र उपचार कार्यों के योग्य है।



वनपरिक्षेत्र सहायक  
वनपरिक्षेत्र मझगवाँ



उपवनमण्डलाधिकारी  
उपवनमण्डल चित्रकूट


भाग - 3

व्यय का विस्तृत प्राक्कलन

गैर तनाभूमि ग्राम नयागांव तहसील मझगाँव खसरा क्रमांक 96/01 रकवा 8.000 हेक्ट वर्ष 2021-22  
(मजदूरी की दर 335.00)

क्र. सं.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	मुख्य वन संरक्षक रीवा द्वारा अनुमोदित दर (मा.दि. में)	दर प्रति इकाई	दर प्रति मानव दिवस	राशि (रु. में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	(अ) सर्वे एवं सीमांकन (हे०)	8	0.45	प्रति हे०	335.00	1206	
2	टीटगेट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित)	8	1.00	प्रति हे०	335.00	2680	
क्षेत्र सफाई (खरपतवार/लेन्टाना आच्छादित क्षेत्र में)							
3	अ- क्षेत्र की समस्त अनुपयोगी झाड़ियों को काटना, एकत्र करना एवं जलाना	8	4.00	प्रति हे०	335.00	10720	
4	लेन्टाना उन्मूलन कार्य मध्यम क्षेत्र	8	12.50	प्रति हे०	335.00	33500	
	<b>योग</b>	<b>16</b>				<b>44220</b>	
घेराव (सीमेन्ट खम्भा व चैनलिक की फेसिंग) (1200 र.मी.)							
भाग -1							
1	सीमेन्ट पोल क्य	600	258.00	प्रति नग		154800	
2	वारवेड वायर क्य	1100	65.00	कि. ग्रा.		71500	
	<b>योग सामग्री क्य -</b>					<b>226300</b>	
भाग -2							
1	फेसिंग हेतु गड्ढा खुदने से पूर्व रस्सी से लाइन डालना	600	2.50	प्रति हजार	335.00	503	
2	सीमेन्ट पोल फिक्स करने हेतु गड्ढा खुदाई (30x30x45 cm.)	600	3.80	प्रति सैकडा	335.00	7638	
3	ट्रकेबल प्वाइंट से स्थल तक सीमेन्ट के खम्भा दुलाई 500 मी. तक	600	8.00	प्रति नग		4800	
4	गड्ढों में खम्भे गाडना	600	40.00	प्रति नग		24000	
5	वारवेड वायर ट्रकुवेल प्वाइंट से स्थल तक दुलवाई 500 मी. तक	1100	2.00	एल.एस.		2200	
6	सीमेन्ट खम्भों से खींचकर वारवेड वायर कसकर लगवाई कार्य	1200	0.16	प्रति र.मी.	335.00	64320	
	<b>मजदूरी फेसिंग लगवाई योग -</b>					<b>103461</b>	
	<b>कुल योग घेराव कार्य</b>					<b>329761</b>	
क्षेत्र तैयारी कार्य							
6	गड्ढा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट अंतराल 2X2 मी., 3X2 मी., 3X3 मी. पर	8000	2.50	प्रति हजार	335.00	6700	
वन वर्धन कार्य							

	(अ) जाल भंडार विकास कार्य हेतु 20 सेमी. से कम गोलाई के वृक्षों की कटाई, सिंगलिंग कार्य	5	1.20	प्रति हे०	335.00	2010	
	(ब) टूठ ड्रेसिंग कार्य						
	21 से 30 से.मी.	60	1.50	प्रति सैकड़ा	335.00	302	
	31-45 से.मी.	30	2.60	प्रति सैकड़ा	335.00	261	
	46-60 से.मी.	10	4.60	प्रति सैकड़ा	335.00	154	
	योग	100				717	
7	विगड़े बांस भिरों की सफाई	-	-	-	-	0	
8	रोपण हेतु गड़ढा खोदाई						
	(व) साईज 45X45X45 सेमी.	8000	5.00	प्रति सैकड़ा	335.00	134000	
	योग	8000				134000	
9	गड़ढों में मिट्टी बदलना व खाद डलवाई						
31	मिट्टी ढुलाई, खुदाई, भराई स्थल पर खाली करवाई	90		प्रति घ.मी.	350.00	31500	
32	वर्मीकम्पोस्ट कय/परिवहन	90	700.00	प्रति क्विंटल		63000	
33	खाद एवं मिट्टी का मिश्रण तैयार कर गड़ढों में डलवाई कार्य।	8000	1.50	प्रति सैकड़ा	335.00	40200	
10	रोपण क्षेत्र के अंदर निरीक्षण पथ निर्माण कार्य	0.6 km			LS	30000	
11	अभियांत्रिकीय कार्य						
A	पत्थर का चेकडेम निर्माण	0	1.00	प्रति घ.मी.	335.00	0	
B	मिट्टी का चेकडेम निर्माण	0	0.60	प्रति घ.मी.	335.00	0	
C	वाटर हारवेस्टिंग निर्माण	0			LS	0	
12	वाच हट निर्माण	1			LS	7000	
	लोहे का बोर्ड बनवाई, पेन्ट करवाई लिखवाई, रोपण क्षेत्र का नक्शा बनवाई आदि कार्य	1			LS	8000	
14	लोहा का गेट बनवाई, पेन्ट कराकर लगवाई सहित	1		एल.एस.	LS	10000	
15	अन्य आकस्मिक व्यय (चूना रस्सी, पेट, नापने का फीता, लेखन सामग्री कय, फोटोग्राफी, अभिलेखों का संधारण मौके पर 4-4 हैक्ट. के रोक्टर बनाना अनुश्रवण एवं मुल्यांकन कार्य इत्यादि				LS	28200	
	कुल योग :-					739193	
	प्रति हेक्टेयर व्यय (रूपये में)					92399	

  
 वन परिक्षेत्राधिकारी  
 वन परिक्षेत्र मझगवों

व्यय का विस्तृत प्राक्कलन (द्वितीय वर्ष)  
रोपण वर्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 (05 प्रतिशत वृद्धि के साथ मजदूरी की दर 352.00)

क्र. सं.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	मुख्य वन संरक्षक शीवा द्वारा अनुमोदित दर (मा.दि. में)	दर प्रति इकाई	दर प्रति मानव दिवस	राशि (रु. में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पौधा क्य एवं परिवहन 10 प्रतिशत जोड़कर :-						
	(अ) पौधा क्य	8800	12.00	प्रति पौधा रु.		105600	
	(ब) ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा परिवहन	8800	5.00	प्रति पौधा रु.		44000	
	(स) सिरबोझ द्वारा परिवहन	8800	0.40	प्रति सैकड़ा	352.00	12390	
2	रोपण कार्य :-						
	(ब) साईज 45X45X45 सेमी.	8000	1.80	प्रति सैकड़ा	352.00	50688	
	योग :-	8000				50688	
3	गुन्टाना मापिंग कार्य	5	5.00	प्रति हे०	352.00	8800	
4	निर्दाई कार्य:-						
1	प्रथम निर्दाई	8000	1.25	प्रति सैकड़ा	352.00	35200	
2	द्वितीय निर्दाई	8000	1.00	प्रति सैकड़ा	352.00	28160	
	योग :-					63360	
5	1 खाद एवं कीटनाशक दवा का क्य	8000			L.S.	12000	
	2 रासायनिक खाद को गुड़ाई कर मिट्टी में मिलाना	8000	0.50	प्रति सैकड़ा	352.00	14080	
	3 कीटनाशक दवा का छिड़काव	8000	0.10	प्रति सैकड़ा	352.00	2816	
6	अग्नि सुरक्षा कार्य (6 मी.चौड़ी )	3.0	3.35	प्रति कि.मी.	352.00	3538	
7	सुरक्षा 9 माह 1 श्रमिक	8	1800.00	माह		14400	
8	अनुश्रवण एवं मुल्यांकन कार्य	1	5000.00	एल.एस.		5000	
10	अन्य व्यय					5600	
	योग :-					342272	
	प्रति हेक्टेयर व्यय					42784	

वन परिक्षेत्राधिकारी  
वन परिक्षेत्र मझगवाँ

व्यय का विस्तृत प्राक्कलन (तृतीय वर्ष)

गैर वनभूमि ग्राम नयागांव तहसील मझगवॉ खसरा क्रमांक 96/01 रकबा 8.000 हैक्ट  
रोपण पश्चात् प्रथम वर्ष का रखरखाव वर्ष 2023-24 (05 प्रतिशत वृद्धि के साथ मजदूरी की दर 370.00)

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	मुख्य वन संरक्षक शीवा द्वारा अनुमोदित दर (मा.दि. में)	दर प्रति इकाई	दर प्रति मानव दिवस	व्यय राशि (रु. में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	10 प्रतिशत पुर्नरोपण हेतु पौधा क्य एवं परिवहन :-						
	(अ) पौधा क्य	800	12.00	प्रति पौधा रु.		9600	
	(ब) ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा परिवहन	800	5.00	प्रति पौधा रु.		4000	
	(ख) सिरबोज़ द्वारा परिवहन	800	0.40	प्रति सैकडा	370.00	1184	
	10 प्रतिशत पौधों के पुर्नरोपण	800	1.50	प्रति सैकडा	370.00	4440	
	निर्दाई कार्य:-						
1	प्रथम निर्दाई	8000	1.25	प्रति सौ पौधा	370.00	37000	
2	द्वितीय निर्दाई	8000	1.00	प्रति सौ पौधा	370.00	29600	
	योग :-					66600	
1	खाद एवं कीटनाशक दवा का क्य	8000			L.S.	35000	
2	रासायनिक खाद को गुडाई कर मिट्टी में मिलाना	8000	0.50	प्रति सैकडा	370.00	14800	
3	कीटनाशक दवा का छिडकाव	8000	0.10	प्रति सैकडा	370.00	2960	
	विकसित जड भंडार का एकलीकरण	4	1.20	प्रति हे0	370.00	1776	
	निराग मरम्मत						
1	फैसिंग मरम्मत	200	0.14	प्रति २0मी0	370.00	10360	
2	निराग सुरक्षा कार्य (6 मी.चौडी )	3	3.35	प्रति कि.मी.	370.00	3719	
	सुरक्षा 12 माह 1 श्रमिक	8	1800.00	प्रति हे0	0.00	14400	
	निराग श्रवण एवं मुल्यांकन कार्य	2	5000.00			10000	
	निराग व्यय					8236	
	योग :-					187075	
	प्रति हेक्टेयर व्यय					23384	

वन परिक्षेत्राधिकारी  
वन परिक्षेत्र मझगवॉ

## व्यय का विस्तृत प्राक्कलन (चतुर्थ वर्ष)

खसरा गौर वनभूमि ग्राम नयागांव तहसील मझगवॉ खसरा क्रमांक 96/01 रकवा 8.000 हैक्ट

रोपण पश्चात् द्वितीय वर्ष का रखरखाव वर्ष 2024-25 (05 प्रतिशत वृद्धि के साथ मजदूरी की दर 388.00)

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	मुख्य वन संरक्षक रीवा द्वारा अनुमोदित दर (मा.दि. में)	दर प्रति इकाई	दर प्रति मानव दिवस	व्यय राशि (रु. में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
निर्दाई कार्य:-							
1	प्रथम निर्दाई	8000	1.25	प्रति सौ पौधा	388.00	38800	
2	द्वितीय निर्दाई		1.00	प्रति सौ पौधा	388.00	0	
3	आगि सुरक्षा कार्य (6 मी.चौड़ी )	3	3.35	प्रति कि.मी.	388.00	3899	
4	सुरक्षा कार्य श्रमिक द्वारा वर्तमान दैनिक मजदूरी दर पर 1.5 वृद्धि के आधार पर	8	1800.00	प्रति हे०		14400	
5	अनुभवण एवं मुल्यांकन	2	5000.00	प्रति मुल्यांकन		10000	
6	अन्य व्यय	LS				2300	
योग :-						69399	
प्रति हेक्टेयर व्यय						8675	

## भाग - 3

## व्यय का विस्तृत प्राक्कलन (पंचम वर्ष)

रोपण पश्चात् तृतीय वर्ष का रखरखाव वर्ष 2025-26 (05 प्रतिशत वृद्धि के साथ मजदूरी की दर 407.00)

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	मुख्य वन संरक्षक रीवा द्वारा अनुमोदित दर (मा.दि. में)	दर प्रति इकाई	दर प्रति मानव दिवस	व्यय राशि (रु. में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	7	8	9
सिगलिंग कार्य							
1	निश्चित प्रजातियों के दो सीधे पीके छोड़े जायेंगे।	8.000	4.00	प्रति हे०	407.00	13024	
पोशाक मरम्मत							
1	पोशाक मरम्मत	800	0.14	प्रति २०मी०	407.00	45584	
3	आगि सुरक्षा कार्य (6 मी.चौड़ी )	3	3.35	प्रति कि.मी.	407.00	4090	
4	सुरक्षा 12 माह 1 श्रमिक	8	1800.00	प्रति हे०	0.00	14400	
5	अन्य व्यय कीटनाशक दवा एवं वर्मीकम्पोस्ट इत्यादि पर			एल.एस.		4618	
6	अनुभवण एवं मुल्यांकन	2	5000.00	प्रति मुल्यांकन		10000	
योग :-						91716	
प्रति हेक्टेयर व्यय						11465	

वन परिक्षेत्राधिकारी

वन परिक्षेत्र मझगवॉ

## व्यय का विस्तृत प्राक्कलन (चतुर्थ वर्ष)

गैर वनभूमि ग्राम नयागांव तहसील मझगवॉ खसरा क्रमांक 96/01 रकवा 8.000 हैक्ट

रोपण पश्चात् द्वितीय वर्ष का रखरखाव वर्ष 2024-25 (05 प्रतिशत वृद्धि के साथ मजदूरी की दर 388.00)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	मुख्य वन संरक्षक रीवा द्वारा अनुमोदित दर (मा.दि. में)	दर प्रति इकाई	दर प्रति मानव दिवस	व्यय राशि (रु. में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	निर्दाई कार्य:-						
1	प्रथम निर्दाई	8000	1.25	प्रति सौ पौधा	388.00	38800	
2	द्वितीय निर्दाई		1.00	प्रति सौ पौधा	388.00	0	
3	अग्नि सुरक्षा कार्य (6 मी. चौड़ी)	3	3.35	प्रति कि.मी.	388.00	3899	
4	सुरक्षा कार्य श्रमिक द्वारा वर्तमान दैनिक मजदूरी दर पर 1.5 वृद्धि के आधार पर	8	1800.00	प्रति हे०		14400	
5	अनुश्रवण एवं मुल्यांकन	2	5000.00	प्रति मुल्यांकन		10000	
6	अन्य व्यय	LS				2300	
	योग :-					69399	
	प्रति हेक्टेयर व्यय					8675	

## व्यय का विस्तृत प्राक्कलन (पंचम वर्ष)

रोपण पश्चात् तृतीय वर्ष का रखरखाव वर्ष 2025-26 (05 प्रतिशत वृद्धि के साथ मजदूरी की दर 407.00)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	मुख्य वन संरक्षक रीवा द्वारा अनुमोदित दर (मा.दि. में)	दर प्रति इकाई	दर प्रति मानव दिवस	व्यय राशि (रु. में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	7	8	9
1	रिगलिंग कार्य						
1	गिरीत प्रजातियों के दो सीधे पीके छोड़े जायेंगे।	8.000	4.00	प्रति हे०	407.00	13024	
2	पेशाव मरम्मत						
1	फेसिंग मरम्मत	800	0.14	प्रति २०मी०	407.00	45584	
3	अग्नि सुरक्षा कार्य (6 मी. चौड़ी)	3	3.35	प्रति कि.मी.	407.00	4090	
4	सुरक्षा 12-माह 1 श्रमिक	8	1800.00	प्रति हे०	0.00	14400	
5	अन्य व्यय कीटनाशक दवा एवं वर्मीकम्पोस्ट इत्यादि पर			एल.एस.		4618	
6	अनुश्रवण एवं मुल्यांकन	2	5000.00	प्रति मुल्यांकन		10000	
	योग :-					91716	
	प्रति हेक्टेयर व्यय					11465	

वन परिक्षेत्राधिकारी

वन परिक्षेत्र मझगवॉ

भाग - 3

व्यय का विस्तृत प्राक्कलन (षष्ठम वर्ष)

गैर वनभूमि ग्राम नयागांव तहसील मझगवॉ खसरा क्रमांक 96/01 रकवा 8.000 हैक्ट

रोपण पश्चात् चतुर्थ वर्ष का रखरखाव वर्ष 2026-27 (05 प्रतिशत वृद्धि के साथ मजदूरी की दर 427.00)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	वन संरक्षक रीवा द्वारा अनुमोदित दर (मा.दि. में)	दर प्रति इकाई	दर प्रति मानव दिवस	व्यय राशि (रु. में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अग्नि सुरक्षा कार्य (6 मी. चौड़ी )	3.0	3.35	प्रति कि.मी.	427	4291	
2	सुरक्षा 12 माह 1 श्रमिक	8	1800.00	प्रति हे0	0.00	14400	
3	सुरक्षा घेरा मरम्मत कार्य	300		एल.एस.		35000	
4	अनुश्रवण एवं मल्यांकन	2		प्रति मुल्यांकन	5000.00	10000	
5	अन्य व्यय					2100	
	योग :-					65791	
	प्रति हेक्टेयर व्यय					8224	

भाग - 3

व्यय का विस्तृत प्राक्कलन (सप्तम वर्ष)

रोपण पश्चात् पंचम वर्ष का रखरखाव वर्ष 2027-28 (05 प्रतिशत वृद्धि के साथ मजदूरी की दर 448.00)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	वन संरक्षक रीवा द्वारा अनुमोदित दर (मा.दि. में)	दर प्रति इकाई	दर प्रति मानव दिवस	व्यय राशि (रु. में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	घेराव मरम्मत						
1	फेसिंग मरम्मत	250		एल.एस.	448.00	36000	
2	अग्नि सुरक्षा कार्य (6 मी. चौड़ी )	3.0	3.35	प्रति कि.मी.	448.00	4502	
3	सुरक्षा 12 माह 1 श्रमिक	8	1800.00	प्रति हे0	0.00	14400	
5	अन्य व्यय					2600	
	योग :-					57502	
	प्रति हेक्टेयर व्यय					7188	

वन परिक्षेत्राधिकारी  
वन परिक्षेत्र मझगवॉ

भाग - 3

व्यय का विस्तृत प्राक्कलन (अष्टम वर्ष)

गैर वनभूगि ग्राम नयागांव तहसील मझगवाँ खसरा कमांक 96/01 रकवा 8.000 हैक्ट

रोपण पश्चात् षष्ठम वर्ष का रखरखाव वर्ष 2028-29 (05 प्रतिशत वृद्धि के साथ मजदूरी की दर 470.00)

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	वन संरक्षक रीवा द्वारा अनुमोदित दर (मा.दि. में)	दर प्रति इकाई	दर प्रति मानव दिवस	व्यय राशि (रु. में)	रिमार्क
2	3	4	5	6	7	8
अग्नि सुरक्षा कार्य (6 मी.चौड़ी )	3.0	3.35	प्रति कि.मी.	470	4724	
सुरक्षा 12 माह 1 श्रमिक	8	1800.00	प्रति हे0	0.00	14400	
सुरक्षा घेरा मरम्मत					22076	
योग :-					41200	
प्रति हेक्टेयर व्यय					5150	

भाग - 3

व्यय का विस्तृत प्राक्कलन (नवम वर्ष)

रोपण पश्चात् सप्तम वर्ष का रखरखाव वर्ष 2029-30 (05 प्रतिशत वृद्धि के साथ मजदूरी की दर 494.00)

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	वन संरक्षक रीवा द्वारा अनुमोदित दर (मा.दि. में)	दर प्रति इकाई	दर प्रति मानव दिवस	व्यय राशि (रु. में)	रिमार्क
2	3	4	5	6	7	8
अग्नि सुरक्षा कार्य (6 मी.चौड़ी )	3.0	3.35	प्रति कि.मी.	494.00	4965	
सुरक्षा 12 माह 1 श्रमिक	8	1800.00	प्रति हे0	0.00	35702	
योग :-					40667	
प्रति हेक्टेयर व्यय					5083	

वन परिक्षेत्राधिकारी  
वन परिक्षेत्र मझगवाँ

भाग - 3

व्यय का विस्तृत प्राक्कलन (दशम वर्ष)

गैर वनभूमि ग्राम नयागांव तहसील मझगवॉ खसरा कमांक 96/01 रकवा 8.000 हैक्ट

रोपण पश्चात् अष्टम वर्ष का रखरखाव वर्ष 2030-31 (05 प्रतिशत वृद्धि के साथ मजदूरी की दर 519.00)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	वन संरक्षक रीवा द्वारा अनुमोदित दर (मा.दि. में)	दर प्रति इकाई	दर प्रति मानव दिवस	व्यय राशि (रु. में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अग्नि सुरक्षा कार्य (6 मी. चौड़ी )	3.0	3.35	प्रति कि.मी.	519.00	5216	
2	सुरक्षा 12 माह 1 श्रमिक	8	1800.00	प्रति हे०	0.00	34893	
	योग :-					40109	
	प्रति हेक्टेयर व्यय					5014	

भाग - 3

व्यय का विस्तृत प्राक्कलन (एकादश वर्ष)

गैर वनभूमि ग्राम नयागांव तहसील मझगवॉ खसरा कमांक 96/01 रकवा 8.000 हैक्ट

रोपण पश्चात् नवम वर्ष का रखरखाव वर्ष 2031-32 (05 प्रतिशत वृद्धि के साथ मजदूरी की दर 545.00)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	वन संरक्षक रीवा द्वारा अनुमोदित दर (मा.दि. में)	दर प्रति इकाई	दर प्रति मानव दिवस	व्यय राशि (रु. में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अग्नि सुरक्षा कार्य (6 मी. चौड़ी )	3.0	3.35	प्रति कि.मी.	545.00	5477	
2	सुरक्षा 12 माह 1 श्रमिक	8	1800.00	प्रति हे०	0.00	34893	
	योग :-					40370	
	प्रति हेक्टेयर व्यय					5046	

वन परिक्षेत्राधिकारी  
वन परिक्षेत्र मझगवॉ

प्राक्कलन के अनुसार व्यय का गोशवारा

क्र.	वित्तीय वर्ष	कार्य का विवरण	मजदूरी दर (प्रति वर्ष 05% की वृद्धि के साथ)	राशि रू0	हैक्टेयर	प्रति हैक्टर व्यय	रिमार्क
1	2	3	5	6	7	8	9
1	2021-22	भूमि तैयारी	335.00	739193	8.000	92399	
2	2022-23	पौधा रोपण	352.00	342272	8.000	42784	
3	2023-24	रोपण के पश्चात् प्रथम वर्ष का रखरखाव	370.00	187075	8.000	23384	
4	2024-25	रोपण के पश्चात् द्वितीय वर्ष का	388.00	69399	8.000	8675	
5	2025-26	रोपण के पश्चात् तृतीय वर्ष का रखरखाव	407.00	91716	8.000	11465	
6	2026-27	रोपण के पश्चात् चतुर्थ वर्ष का रखरखाव	427.00	65791	8.000	8224	
7	2027-28	रोपण के पश्चात् पंचम वर्ष का रखरखाव	448.00	57502	8.000	7188	
8	2028-29	रोपण के पश्चात् षष्ठम वर्ष का रखरखाव	470.00	41200	8.000	5150	
9	2029-30	रोपण के पश्चात् सप्तम वर्ष का	494.00	40667	8.000	5083	
10	2030-31	रोपण के पश्चात् अष्टम वर्ष का	490.00	40109	8.000	5014	
11	2031-32	रोपण के पश्चात् नवम वर्ष का रखरखाव	545.00	40370	8.000	5046	
		योग :-		1715295	8.000	214412	

1	वैकल्पिक वृक्षारोपण की कुल राशि	1715295
2	आवृत्त कार्य की राशि 05%	85765
3	मानव संसाधन विकास 1%	17153
4	अनुभूत एवं मूल्यांकन की राशि 04%	68612
	<b>वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना योग</b>	<b>1886824</b>
5	शपारतीजन चार्ज 10%	171529
6	<b>महायोग</b>	<b>2058354</b>
7	प्रति हैक्टेयर व्यय	257294

1	व्यय का विवरण	राशि
2	वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की मूल राशि	1715295
3	मूल लागत पर प्रावधानित राशि	343059
4	<b>महायोग</b>	<b>2058354</b>

वन परिक्षेत्र अधिकारी  
वन परिक्षेत्र मझगाँव

उप वन मण्डलाधिकारी  
उप वन मण्डल चित्रकूट

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा के साथ प्रेषित है।

वन मण्डलाधिकारी  
वन मण्डल सतना (म.प्र.)


प्रस्तावित राशि रूपये 2058354 अनुमोदित।

मुख्य वन संरक्षक  
सिवनी जिला (म.प्र.)

वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण  
 ग्राम नयागांव खसरा क्रमांक 96/01 रकबा 8.000 हैक्ट0  
 रोपण स्थल - नयागांव का जियो मैप  
 वनपरिक्षेत्र मझगवाँ

N


Scale-1:4000



Pillar No.-	Co ordinates points	
	Latitude (N)	Longitude (E)
1C	24°50'6.50" N	80°51'58.60 " E
2C	24°50'10.7" N	80°52'08.40 " E
3C	24°50'5.63" N	80°52'13.60 " E
4C	24°49'58.6" N	80°52'04.50 " E

वनपरिक्षेत्राधिकारी  
 वनपरिक्षेत्र- मझगवाँ

PART PLAN OF VILLAGE – NAYAGAWAN, TAHSIL- MAJHAGAMA, DIST- SATNA (M.P.) REVENUE LAND IN KHASRA NO. 96/1 (PART) AREA, 8.00H TRANSFERED TO FOREST DEPARTMENT FOR COMPENSATORY AFFORESTATION IN LIEU OF MINING LEASE IN VILLAGE PIPARI TOLA RANG MAJHAGAMA DIST- SATNA MARKED AS RED



1C - N-24° 50' 06.50" E-80° 51' 58.60"	2C - N-24° 50' 10.7" E-80° 52' 08.40"
3C - N-24° 50' 05.63" E-80° 52' 13.60"	4C - N-24° 49' 58.6" E-80° 52' 04.50"

*[Signature]*  
R.O. Kalyan

कार्यालय वनसंरक्षण विभाग, वनसंरक्षण, सतना मध्य

--

क्रमांक/मार्गिका/

सतना, दिनांक

प्रति,

मुख्य वनसंरक्षक,

1 भू-सर्वेक्षण एवं वनसंरक्षण अधिका  
मध्य भोपाल

विषय:- जिला सतना में ग्राम पिपरोटोला तहसील रघुरा जनगर परिक्षेत्र मध्यम  
संरक्षित वनखण्ड छनिहरा क्लॉ 203 पी.03तरा नं.111 पी.12/1  
के 1पी। की भी भूमि 16.868 हे० पर ऑकल प्लानेटरी के लेटरा  
छनिज के उल्लेख हेतु श्री शरदकुमार वंशल का प्रस्ताव ।

संदर्भ:- आपका पत्र 10/4-सर्वे/8080/2500 भोपाल दि० 16-7-96

--

उपरोक्त संदर्भ में प्रतिवेदन है कि वांछित जानकारी कंडिका 1,3,4,5  
की आवेदक से पूर्ति कराई गई तथा उनसे प्राप्त मूलतः संलग्न है।

आवेदित वनक्षेत्र के बदले प्रस्तावित गैर वनभूमि का स्थल निरीक्षण  
उपसंरक्षण विभाग नागोद के द्वारा किया गया है तथा उपयुक्त पाए जाने पर  
उनके द्वारा चारिणी योजना तैयार की गई है। प्रस्तावित गैर वनभूमि की  
आवेदित वनभूमि से दूरी नक्शा अनुसार लगभग 4.5 कि०मी० है।

अंततः - अन्ततः 4 प्रतियों में प्रस्तुत।

वनसंरक्षण विभाग  
वनसंरक्षण, सतना मध्य

पु०३०/मार्गिका/

1986 सतना, दिनांक

30-12-96

प्रतिनिधि- 1- वनसंरक्षण रीवा सूत रीवा मध्य को उनके पत्र क्र० मार्गिका/  
5242 दि० 9-8-96 के संदर्भ में सूचनाएं प्रेषित ।

2- जिलाध्यक्ष छनिज शाखा सतना ।

3- श्री शरद कुमार वंशल निवासी जेतवारा को सूचनाएं एवं आवश्यक  
कार्रवाई हेतु अत्रेषित।

वनसंरक्षण विभाग  
वनसंरक्षण, सतना मध्य